ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

दिसम्बर 2018 अंक 5

विषय सूची

दिसम्बर 2018
अंक-5

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- अभिनव भारत की रणनीति @ 75: नीति आयोग
- चुनावों में मुफ्त उपहार की बढ़ती संस्कृति
- चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा: एक अवलोकन
- ब्रेक्जिट समझौता: अब तक की यात्रा
- कोयला क्या आज भी वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है
- जलवायु नियम पुस्तिका: लक्ष्यों की पड़ताल करता एक दस्तावेज
- भारत में वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-25

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 26-33

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 34-42

सात महत्वपूर्ण तथ्य 43

विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम-2018 44-46

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 47

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. अभिनव भारत की रणनीति @ 75: नीति आयोग

चर्चा का कारण

हाल ही में नीति आयोग ने नव भारत के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति उद्घाटित की है, जो कि वर्ष 2022-23 तक के निर्धारित लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। इस रणनीति में 41 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जो कि भारत की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। इस रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में अभी तक हुई प्रगति, बाधाएँ तथा उन बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव का विवरण दिया गया है।

परिचय

प्रधानमंत्री की ओर से किए गए 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए नीति आयोग ने पिछले वर्ष नवम्बर से ही इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था जिसका परिणाम 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' जैसे दस्तावेज के रूप में सामने आया।

इस दस्तावेज की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री ने कहा है, ''नीति आयोग द्वारा लाई गई 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' नीति निरूपण और कार्यान्वयन के मूल में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और दक्ष प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास है। यह विचार विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहन देगी तथा हमारे नीतिगत दृष्टिकोण को और परिष्कृत करने के लिए फीडबैक आमंत्रित करेगी। हमारा मानना है कि आर्थिक बदलाव जन भागीदारी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। विकास को हर हाल में जन आंदोलन बनना चाहिए।''

इस कार्यनीति को तैयार करने में नीति आयोग ने अत्यंत सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। नीति आयोग ने प्रत्येक क्षेत्र में हितधारकों के तीनों समूहों यथा कारोबारियों, वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया। इन प्रमुख व्यक्तियों में किसान, सामाजिक संगठन, थिंक टैंक, श्रमिकों के प्रतिनिधि और श्रम संगठन तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल थे।

प्रत्येक अध्याय के मसौदे को विचार-विमर्श के लिए वितरित किया गया और जानकारियाँ, सुझाव तथा टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों को भी साथ जोड़ा गया। इसके दस्तावेज का मसौदा सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में भी वितरित किया गया, जहां से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों को इसमें शामिल किया गया।

इस दस्तावेज को तैयार करते समय राज्य और जिला स्तर पर 800 से ज्यादा हितधारकों और लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

भारत युवाओं का देश है तथा अभी यह अधिकांश क्षेत्रों में संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है। युवा जनसंख्या की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए यह आवश्यक है कि भारत एक उच्च संवृद्धि दर को अगले तीन दशकों तक बनाए रखे। भारत को विकास की इस यात्रा में अनेक चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही राह में कई महत्वपूर्ण पड़ाव भी आएंगे जब देश को अपनी प्रगति की समीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक पड़ाव 2022 में प्रस्तुत होगा जब भारत अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाठ को मनाएगा क्योंकि इस पड़ाव पर सरकार का ध्येय भारत की अर्थव्यवस्था को 4.0 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाना होगा।

2017-18 में भारत की वृद्धि दर 6.7% रही जो कि अपेक्षा से कम थी। आर्थिक व सामाजिक रूप से भारत को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक सुदृढ़ रणनीति द्वारा अर्थव्यवस्था को सबल रखा जाए ताकि लोगों को अच्छा जीवन व स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके एवं उनके जीवनशैली में बढ़ोत्तरी की जा सके। भारत के लिए विकासात्मक रणनीति में कुछ क्षेत्र प्रमुख हैं, जैसे किसानों की आय को दुगुना करना; मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना; विज्ञान एवं तकनीक को सदृढ़ करना; स्वस्थ पर्यावरण तथा पर्यटन क्षेत्र का विकास आदि। इन सबके लिए निवेश की आवश्यकता भी होगी। अतः निवेश के लिए भी सशक्त एवं सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होगी। ज्ञातव्य है कि निवेश की दर को सकल निश्चित पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) द्वारा मापा जाता है। वर्तमान में यह दर 29% है जिसे 2022 तक 36% तक पहुँचाने का लक्ष्य है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

इस दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, ताकि निजी निवेशक और अन्य हितधारक अभिनव भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें और 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकें।

दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों : वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है।

वाहकों पर आधारित पहला खंड आर्थिक निष्पादन के साधनों में वृद्धि करने; विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने; किसानों की आमदनी दोगुनी करने; विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

वाहकों से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- वर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गति को निरंतर तेजी से बढ़ाना। इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार

होगा और यह 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी।

- कृषि क्षेत्र में, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाना चाहिए।
- 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना होगा क्योंकि इससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है।
- रोजगार के अधिकतम साधनों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों का संहिताकरण और प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने और विस्तार करने के प्रबल प्रयास किए जाने चाहिए।
- खनन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए 'एक्सप्लोर इन इंडिया' मिशन का आरंभ किया जाना चाहिए।

दूसरा खंड अवसंरचना से संबंधित है जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है। यह भारतीय कारोबारियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अवसंरचना से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना में तेजी लाना होगा। आरडीए रेलवे के लिए एकीकृत, व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या निर्णय लेने का कार्य करेगा।
- तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा माल परिवहन के अंश को दोगुना करना होगा। बुनियादी ढाँचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरूआत में, वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने तथा मल्टी-मॉडल और डिजिटल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईटी-सक्षम मंच का विकास करना होगा।
- 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। साथ ही वर्ष 2022-23 तक सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं को राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को भी प्राप्त करना होगा।

समावेशन से संबंधित खंड समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है। इस खंड के तीन विषय स्वास्थ्य, शिक्षा और परंपरागत रूप से हाशिए पर मौजूद आबादी को मुख्य धारा में लाने के आयामों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

समावेशन से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- देश भर में 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (पीएम-जेएवाई) प्रारंभ करने सहित आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
- केन्द्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फोकल प्वाइंट बनाना और समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना होगा।
- 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जरिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री की संकल्पना को पूर्ण करना।
- आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को प्रोत्साहन देना होगा।

शासन से संबंधित अंतिम खंड में इस बात पर गहन चिंतन किया गया है कि विकास के बेहतर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शासन के ढाँचों को किस तरह सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है।

शासन से संबंधित खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों की नयी पहल करने के पूर्व, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना होगा।
- मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्वरित बनाने के लिए मध्यस्थ संस्थानों और इस प्रक्रिया का आकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना होगा।
- लंबित मामलों को निपटाना तथा नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना होगा।
- प्लास्टिक अपशिष्ट और नगर निगम के अपशिष्ट से निपटने तथा अपशिष्ट से धन सृजित करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना होगा।

नव भारत के लिए रणनीति

- नव भारत बनाने के लिए विकास व्यापक स्तर पर होना चाहिए जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी भूमिका समझनी होगी। जिस प्रकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी भारतीयों के प्रतिबद्ध होने से पाँच वर्ष के भीतर भारत को स्वाधीनता प्राप्त हो गयी थी उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को प्रतिबद्ध होकर 2022 तक नव भारत बनाने का संकल्प भी लेना होगा। विकास को निचले स्तर से प्रारंभ करना होगा तथा नीतियों को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना होगा ताकि समावेशी विकास द्वारा उच्च आर्थिक संवृद्धि प्राप्त की जा सके।
- विकासात्मक रणनीति इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके। इसके लिए तकनीक तथा कौशल का विकास आवश्यक है। संतुलित विकास के लिए हमें कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना होगा साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कम विकसित क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। इन सबके विकास द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित एवं उच्च गति से बढ़ेगी तथा एक सशक्त भारत के निर्माण का सपना सच होगा।
- इस रणनीति का क्रियान्वयन सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच एक सेतु का कार्य करेगा तथा दोनों के निष्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। नव भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना, सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाना, काले धन को नष्ट करना, इज आफ डूईंग में सुधार करना, पारदर्शिता व उत्तरदायी शासन जैसे सशक्त कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह

रणनीति सफल रही तो 2022 तक न केवल हम नव भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि 2047 में, जब हम अपने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होंगे।

आलोचना

- रिपोर्ट में तकनीकी को क्षमता निर्माण और उन्नयन के रूप में देखा गया है जबकि यथार्थ में केवल तकनीक द्वारा ही यह संभव नहीं है।
- आवास तथा भौतिक अवसंरचना में निवेश पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है जबकि बहस इस बात की है कि क्या केवल सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश तर्कसंगत है?
- रिपोर्ट में जलमार्गों को सुधारने एवं डिजिटलीकरण को वित्तीय समावेशन का माध्यम बताया गया है। किसानों की आय को बढ़ाने की भी बात की गयी है। ये सब बातें पहले की सरकारों द्वारा भी की गयी परंतु अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली इसलिए आज जरूरत इस बात की पहचान करने की है कि भारत को सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से कौन से तत्व रोक रहे हैं और उनसे किस प्रकार से निपटा जाय।
- सरकार द्वारा सामाजिक-राजनीतिक रूप से समानता लाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए जो कि शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसके लिए निचले स्तर पर उचित शिक्षा की आवश्यकता है। साथ ही इसके लिए धन का सही जगह पर आवंटन भी महत्वपूर्ण विषय है।

निष्कर्ष

भारत विश्व की तीव्रतम गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 25 वर्षों में हमने लगभग 7% की औसत वृद्धि दर को कायम रखा है। स्वतंत्रता पश्चात से लेकर अभी तक भारत ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, इसमें अंतरिक्ष, सैन्य, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, उद्योग आदि सम्मिलित हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी हमने पर्याप्त मजबूत किया है और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। परंतु हमें अपनी कमियों एवं कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि कुछ ऐसे विषय हैं, जिनमें हमारी रैंकिंग विश्व में निचले स्तर पर है। इन क्षेत्रों में हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। भारत में समावेशी विकास की भारी कमी है। भारत का वित्तीय घाटा 6.5% है जो कि G-20 देशों में सबसे अधिक है। हाल ही में भारत के निवेश दर में कमी आयी है साथ ही बेरोजगारी चरम पर है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना आकलन निष्पक्षता से करें एवं समावेशी विकास के साथ-साथ तीव्र संवृद्धि को प्राप्त करें तभी जाकर 2022 तक नव भारत का सपना साकार हो सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

2. चुनावों में मुफ्त उपहार की बढ़ती संस्कृति

चर्चा का कारण

चुनावी घोषणापत्र में वादे करके मुफ्त सामान बांटने या कर्ज माफी की परंपरा हमारे देश में आजादी के बाद से ही प्रारम्भ हो गयी थी जो वर्तमान में भी जारी है। हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन ने आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुफ्त में सामान बांटना या किसानों का कर्ज माफ करना देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही बैंकों की सेहत बिगड़ती है एवं राजस्व घाटे में बढ़ोतरी भी होती है।

पृष्ठभूमि

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रायः हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वस्थ एवं स्वच्छ निर्वाचन लोकतंत्र की बुनियाद होती है। भारत में लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा आजादी के चार वर्षों के बाद सम्पन्न हुई जिसके अंतर्गत 1951-1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। उसी समय से गरीबों आदि के लिए विभिन्न तरह के वादे किये जाने लगे थे। लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी व्यवस्था में गरीब जनता को न्यूनतम सुविधा लाभ देना जरूरी भी है।

सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के राजनेताओं ने गरीबों के वोट हासिल करने के लिए सस्ता भोजन और मनोरंजन प्रदान करने की योजना बनाई थी। उन्होंने इस योजना को 'ब्रेड एंड सर्कसेस' (Bread and Circuses) नाम दिया। आजाद भारत में सर्वप्रथम मुफ्त उपहार संस्कृति (Freebies Culture) को सबसे पहले तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने शुरू किया। चुनाव जीतने के लिए 1996 में डीएमके ने बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त में कलर टेलीविजन देने का वादा किया। डीएमके का यह फॉर्मूला काम कर गया और वह चुनाव भी जीत गई और करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए। इससे तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने का नया मंत्र मिल गया। फिर तो हर चुनाव में सरकारी पैसे से मुफ्त उपहार लुटाने का चलन इस कदर बढ़ा कि उसने सारी हदें पार कर दीं। पंजाब के राजनेताओं ने भी पूरे एक दशक तक किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया और इससे न केवल पंजाब की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई, बल्कि किसानों द्वारा ओवर पंपिंग किए जाने से मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा।

सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2013 के अपने आदेश में कहा था कि "यह नियम स्पष्ट है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट कार्य' नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी तरह का मुफ्त सामान बांटने से निश्चित तौर पर लोगों पर प्रभाव पड़ता है और इससे समान प्रतिद्वंद्विता प्रभावित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की जड़ें हिला देता है" (एस. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु)।

जहां तक लोकतंत्र का मामला है, तो एक तरफ हम खुश हैं कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह है कि अब वोटर और राजनीतिक दलों के बीच

याचक व दाता का संबंध बनता जा रहा है। अब तकरीबन हर राजनीतिक दल वोट के बदले लोगों को कुछ न कुछ देने का वायदा करने लगे हैं। चुनावी वायदे तो पहले भी किए जाते थे, लेकिन तब यह सड़क बनवाने, पुल बनवाने, कारखाने लगाने आदि सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए होते थे। लेकिन फिर इसमें समय के साथ-साथ बदलाव आने लगे और नये चुनावी लुभावन वादों का दौर शुरू हुआ फिर इसमें कर्ज माफी और मुफ्त बिजली जैसे वायदे होने लग गए। लेकिन वर्तमान समय में मतदाताओं को निजी तौर पर गिफ्ट देने के वायदे होने लगे हैं, जो सिलसिला दक्षिण भारत में सिलाई मशीन और रंगीन टेलीविजन से शुरू हुआ था, अब मुफ्त लैपटॉप, टेबलेट, स्मार्टफोन और गायों तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए 'गेम चेंजर' छात्रों और युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने के वायदे को माना गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद एक सूत्री कार्यक्रम के तहत छात्रों को 'मुफ्त लैपटॉप' बांटे। ऐसी बातों को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें, तो भी निम्न, मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए ये लैपटॉप उन्हें सूचना तकनीक के आधुनिक नेटवर्क से जोड़ने के उपकरण न होकर 10-15 हजार रुपये के उपहार थे, जो उन्हें अपने मतदान के बदले में मिले। इसी तरह, कन्या विद्या धन या छात्राओं को मुफ्त साइकिल बांटने जैसी योजनाओं के नतीजे भले ही कितने भी सही रहे हों, लेकिन मूल रूप में ये सब मतदान के बदले उपहार ही थे।

अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद वहाँ की सरकारों ने कर्ज माफी की घोषणा की साथ ही भविष्य में छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने का वायदा भी किया है। गिफ्ट देने के ये वायदे पार्टियों के चुने जाने पर उनकी सरकार के गवर्नेस की मूल नीतियों और बजट को प्रभावित करते हैं। गिफ्ट के वायदे तो हमेशा पूरे हो जाते हैं, पर कारखाने लगाने, रोजगार सृजन जैसे दीर्घकालिक असर वाले वायदे कभी पूरे नहीं होते। गिफ्ट की इस राजनीति का एक कारण जनसंख्या के रूप में बदलाव भी है। युवा वर्ग देश के सबसे बड़े मतदाता समूह के रूप में उभरा है। राजनीतिक दलों को लगता है कि वे इस महत्वाकांक्षी मतदाता समूह को गिफ्ट देकर लुभा सकते हैं।

दुखद बात यह है कि राजनीतिक दलों की यह रणनीति काम भी कर रही है। जनता में बढ़ती जा रही यह 'याचक वृत्ति' उसमें 'आत्मसम्मान' नहीं विकसित होने दे रही। फिर इस तरह के वायदे और उनके प्रभाव में आकर वोट देना, दोनों ही लोकतांत्रिक विवेक के खिलाफ हैं। हालाँकि हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकण्डे अपनाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किये जाए?

संविधान ने देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी है। ऐसे में इस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए कुछ कदम उठाये। चुनाव आयोग ने इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model code of conduct)

भारत में चुनाव आचार संहिता की शुरूआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से मानी जाती है। इसका प्रभाव 1990 के बाद से देखा जाने लगा। यह निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि सत्तारूढ़ दल अन्य दलों की अपेक्षा निर्वाचन के समय अनावश्यक लाभ न उठा पाएँ। आदर्श आचार संहिता प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों के दिशा-निर्देश के लिए वे नियम हैं जिनका चुनाव के दौरान पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो सकती है और दोषी पाये जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनावों की तारीखों के एलान के साथ ही वहाँ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

- वोटरों को रिश्वत देकर या डरा, धमकाकर वोट नहीं माँग सकते।
- मतदान केन्द्र पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करा सकते।
- सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनावों के लिए नहीं हो सकता।
- प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता।
- सरकार, मंत्री या अधिकारी चुनाव के एलान के बाद अपने मंजूर किए गए धन या अनुदान के अलावा अपने विवेक से कोई नया आदेश नहीं दे सकते यानी सीधे शब्दों में कहे तो कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकते।
- शराब या अन्य कोई मादक पदार्थ चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व तक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अथवा किसी निजी दुकान, खाद्य स्थल, होटल अथवा किसी अन्य स्थान पर नहीं बेचा जा सकता।

मुफ्त उपहार संस्कृति का औचित्य

यूपीए शासन में शुरू हुई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कुछ वर्ष पहले तक कई राजनीतिक दल आलोचना करते रहे, लेकिन कई राज्यों में बहुत हद तक इसका सही लाभ भी पहुंचा। स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना का उन्नयन भी लगभग 10 वर्ष पहले असंगठित श्रमिकों के लिए 30 हजार रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा वाली बीमा योजना से प्रारंभ हुआ था। अब नई योजना के तहत पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दस करोड़ परिवारों को देने का लक्ष्य रखा गया है।

देश में कुछ राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त में बालिकाओं को साइकिलें उपलब्ध करायी गई, जिससे न केवल विद्यालयों में उनकी संख्या भी बढ़ी, साथ ही शिक्षा का स्तर भी उच्च हुआ तथा इन योजनाओं के नतीजे क्रांतिकारी ही निकले। लाडली लक्ष्मी योजना से बच्चियों के मृत्यु दर में अपेक्षाकृत कमी दर्ज की गई जो लैंगिक सुधार के दृष्टिकोण से उचित समझा जाएगा।

विकास की उम्मीदें

आमतौर पर हमारे यहाँ मतदाता नकारात्मक मतदान करता है, यानी जो उसको पसंद नहीं उसके खिलाफ मतदान करता है। बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनको पचास फीसदी से ज्यादा वोट हासिल होते होंगे। कई बार तो वे जितने वोट हासिल करते हैं, उनसे ज्यादा तो उनके खिलाफ होते हैं। लोकलुभावन घोषणाएँ एक बार सही हो सकती हैं लेकिन ऐसी घोषणाएँ या उनका अनुपालन समस्या का कोई स्थायी या दीर्घकालीन समाधान नहीं है। सत्ता में बैठे दलों व नेताओं से अपेक्षा रहती है कि वे विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करें। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार व चिकित्सा तथा शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। मुफ्तखोरी वाली घोषणाओं पर अमल को प्राथमिकता दी गई तो समग्र विकास की उम्मीदें कम रह जाएंगी। कितना ही बिजली-पानी मुफ्त ले लें, कर्ज माफी योजनाओं का फायदा उठा लें, लेपटॉप, मोबाइल, आदि मुफ्त ले लें लेकिन एक बात यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सबकी भरपाई अप्रत्यक्ष करारोपण से होती है। इसका अहसास मूल्यवर्धित कर, बिक्री कर व अन्य उपकरों लगते वक्त मतदाता को होता ही नहीं। अत: महंगाई का सामना उसी जनता को करना पड़ता है जिसके लिए ये कथित लोक लुभावन घोषणाएँ पूरी की जाती हैं।

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता में रहने वाले अपने कामों से जनता को प्रभावित नहीं कर पाते लेकिन, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वे अपने लिए सकारात्मक धारणा बनाने के उद्देश्य से लोकलुभावन घोषणाओं की पैंतरेबाजी अपनाते हैं। इसी तरह मुफ्त पानी और बिजली से भी सरकार की आय प्रभावित होती है। किसानों को बांटे गए ऋणों को माफ करना अच्छा कदम माना जाता है। यदि किसानों की परेशानी में ऐसा किया जाता है तो यह अच्छा कदम कहा जा सकता है लेकिन बांटा गया ऋण वापस आए है, तो यह और अच्छी बात होगी। इसके बाद भी कोई भी राजनीतिक दल राजकोषीय घाटे की भरपाई कैसे करेगा, इस बारे में कोई योजना नहीं बताता।

प्रलोभन देने वाले वादों पर निगरानी जरूरी

वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकलुभावन वादे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कई बार ऐसे वादें कर दिये जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संभव नजर नहीं आते। राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर मतदाता न ही पूरी तरह से भरोसा कर पाता है और न ही वह अविश्वास प्रकट कर पाता है। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे तार्किकता के साथ मतदान करें या ऐसे लोक लुभावन वादों पर आश्रित हो जाएँ जो संभवत: पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है, उसे यह देखना चाहिए कि वादों में तार्किकता है या नहीं।

चुनावी घोषणापत्र में कल्याण संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। फिर भी राजनीतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो मतदाताओं पर मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें। सबको एक समान अवसर प्रदान करने तथा वायदों की विश्वसनीयता के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्रों में वायदों के मूल आधार पर भी विचार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय अपेक्षाओं को पूरे करने के साधनों का भी व्यापक उल्लेख करना चाहिए। राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को मतदाताओं का विश्वास ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिनको पूरा करना संभव हो सके।

चुनौतियाँ

चुनाव के दौरान अपने किये वादे पूरे करने के लिए मौजूदा सरकार ने चुनाव के दौरान अपना तरीका यह बताया था कि विदेशों में जमा काला धन लाकर और जनता में बांटकर खुशहाली लाएंगे, अपने योग्य प्रबंधन के हुनर से बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाकर, बिचौलिये हटाकर महंगाई खत्म करेंगे और देश की आधी से ज्यादा आबादी, यानी किसानों को उसके उत्पाद की लागत का 50 फीसदी लाभ दिलाएंगे, जिससे उनका संकट दूर हो जाएगा। जब ये वादे किए जा रहे थे, तब यह किसी ने नहीं पूछा कि ये बातें व्यावहारिक हैं भी या नहीं और ये वादे पांच साल में पूरे हो भी सकते हैं या नहीं? पीछे पलटकर देखें तो मतदाता को राजनीतिक तौर पर शिक्षित करने की जरूरत तो कभी समझी ही नहीं गई। मीडिया के पाठकों और दर्शकों को शिक्षित करने की कोई मुहिम लोकतांत्रिक भारत में अब तक नहीं दिखती।

आगे की राह

भारत 1950 में पूर्णत: लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था, लेकिन वर्ष 1991 तक उसने मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे। इस रोचक ऐतिहासिक क्रम का अर्थ यह है दायित्वों और बाध्यताओं के बारे में जानने से पहले हम अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जान चुके थे। बाजार में उपभोग से पहले उत्पादन करना पड़ता है। टीवी खरीदने से पहले काम करके वेतन अर्जित करना पड़ता है। एक उपभोक्ता के रूप में हम प्रतिस्पर्धी का उत्पाद खरीदकर खराब उत्पादन करने वालों को दंडित करते हैं। एक कर्मचारी नौकरी बदलकर खराब नियोक्ता को सबक सिखा सकता है। इसी तरह चुनावों को प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में विश्वसनीयता बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मतदाता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए। लेकिन इन लोक-लुभावन वादों और घोषणाओं के कारण जनता अपने मताधिकार का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाती, जैसा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए। हमारे राजनेताओं की यह प्रवृत्ति बन गई कि नौकरियां सृजित करने से पहले 'लोककल्याणकारी वस्तुओं' का वितरण करें।

हकीकत यह है कि सारी घोषणाएँ जनता के लिए नहीं बल्कि वोट हासिल करने के उद्देश्य से ही होती हैं। किसी भी राजनीतिक दल को अपना घोषणापत्र इस तरह से बनाना चाहिए जिससे उसकी मंशा जनता का विकास करना हो। इसके घोषणापत्र का राजनीतिक और वित्तीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को यह परखना चाहिए कि घोषणापत्र में किए गए वादों की गंभीरता कितनी है। वे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले न हों। घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि जो वायदे किए जा रहे हैं, उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा क्या वे राजनीतिक और आर्थिक तौर पर पूरे किए जा सकते हैं? राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम एक्ट), राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रावधान करता है, ऐसे में चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि लोकलुभावन वायदे वाले दल या नेता इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले तो नहीं हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

3. चीन–म्यांमार आर्थिक गलियाराः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को बेल्ट एंड रोड परियोजना (BRI) की देख-रेख के लिए एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका उद्देश्य बीआरआई (BRI) के तहत चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे (CMEC) की संयुक्त स्थापना को लागू करना है। यह समिति न केवल म्यांमार को बीआरआई से जुड़ने के महत्व का संकेत देती है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करती है कि बीआरआई (BRI) चीन और म्यांमार के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिचय

ज्ञातव्य है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और म्यांमार की राज्य सलाहकार आंग सान सू की द्वारा 2017 के अंत में 'एक पट्टी एक मार्ग' गलियारे का निर्माण करने की महत्वपूर्ण सहमति व्यक्त की गई थी। इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए चीनी राष्ट्रीय सुधार और विकास आयोग के उपाध्यक्ष 'निगं च्यी च' ने 24 से 27 नवंबर 2018 तक म्यांमार की यात्रा की। उन्होंने आंग सान सू की तथा म्यांमार के वित्त मंत्री व वाणिज्य मंत्रालय सहित 11 विभागों और संबंधित प्रध ानों के साथ कार्य सभा का आयोजन भी किया। दोनों देशों ने चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के निर्माण को व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाने, रंगून औद्योगिक न्यू सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहयोग करने आदि मुद्दों पर व्यापक सहमतियाँ व्यक्त की।

चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के निर्माण की परियोजना के माध्यम से दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने से म्यांमार के आर्थिक विकास व जन-जीवन में सुधार किया जाएगा। चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे का निर्माण दोनों देशों के हितों के अनुकूल है। समझौते के मुताबिक चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा चीन के यूनुन प्रांत को म्यांमार के तीन आर्थिक केंद्रों - मंडाले, यांगून न्यू सिटी और क्यॉपू स्पेशल इकनॉमिक जोन से जोड़ेगा। गलियारे के बनने के बाद यांगून से म्यांमार के संकटग्रस्त राखाइन प्रांत तक पहुंचने में भी आसानी होगी।

म्यांमारः म्यांमार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु का कार्य करता है। यह उत्तर-पश्चिम और पूर्वोत्तर सीमाओं पर क्रमशः भारत और चीन से घिरा हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों के भंडार, उभरते उपभोक्ता वर्ग, युवा आबादी तथा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति (भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific)) इसे महत्वपूर्ण हित धारक बनाती है। म्यांमार की स्थिति भारत, चीन एवं आसियान देशों के साथ-साथ अन्य देशों की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ तक कि म्यांमार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा की नीति ''पॉइवोट टू एशिया'' के केन्द्र बिन्दू में रहा है। यह अमेरिका के लिए दो तरह से महत्वपूर्ण रहा है। पहला आसियान के सदस्य देश के रूप में तथा दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भी।

चीन-म्यांमार संबंध

म्यांमार पर कूटनीतिक संतुलन बनाये रखने का दबाव है क्योंकि रोहिंग्या संकट की वजह से पश्चिमी देशों ने नैप्यीदा (म्यांमार की राजधानी) से दूरी बना रखी है और इस सूरत में चीन की तरफ म्यांमार का झुकाव बढ़ता जा रहा है। म्यांमार पहले से ही चीन की तरफ राजनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए झुका हुआ है, इस स्थिति का बीजिंग पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। म्यांमार में सैनिक शासन के दौरान चीन और म्यांमार में बहुत घनिष्ठ सामरिक सम्बन्ध रहे हैं, लेकिन जब सैनिक शासन की जगह 2010 में लोकतंत्र ने ली तो चीन-म्यांमार के रिश्तों में अनिश्चितता आई। उसके बाद के वर्षों में म्यांमार ने चीन प्रायोजित दो प्रोजेक्ट रद्द कर दिए, 2011 में 'मैत्सोन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट' और 2013 में लेत्पेदौंग की तांबे की खान से संबंधित परियोजना। इससे दोनों के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते की शुरूआत हुई।

बदलते समय के मुताबिक बीजिंग ने अपनी म्यांमार नीति में बदलाव किया है ताकि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित इन देशों में चीन के खिलाफ बढ़ती भावना पर रोक लगायी जा सके और अपने मूल हितों को सुरक्षित रखा जा सके, जिसका एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है नैप्यीदा और वाशिंगटन के बीच सामरिक संबंधों को सीमित करना। जब 2016 में आँग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सत्ता संभाला तो म्यांमार ने चीन और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में एक संतुलित नीति अपनाई। चीन ने म्यांमार को लेकर अपनी नीति में जो बदलाव किये हैं उसकी वजह से म्यांमार को फायदा तो हुआ लेकिन साथ ही म्यांमार ने जो सामरिक संतुलन बनाने का प्रयास किया है उसकी वजह से न सिर्फ चीन बल्कि एशियाई देशों से भी उसके बेहतर संबंध बन रहे हैं।

म्यांमार, चीन की बेल्ट रोड परियोजना में तब शामिल हुआ जब मई 2017 में आंग सान सू की ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए चीन की बेल्ट एण्ड रोड फोरम में हिस्सा लिया। सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट और मेरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव के तहत इस सम्मेलन में दोनों देशों के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ। वन बेल्ट वन रोड पहल के तहत, दो आर्थिक गलियारा बांग्लादेश-चीन-इंडिया-म्यांमार आर्थिक गलियारा और इंडो-चाइना प्रायद्वीप गलियारा में म्यांमार अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से इसमें शामिल हुआ है। बीजिंग और नैप्यीदा दोनों ही बेल्ट रोड परियोजना के अहमियत को महत्व देते हैं क्योंकि विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी।

जब म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहिंग्या संकट की वजह से दबाव महसूस कर रहा था उसी समय चीन ने म्यांमार को चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारा का प्रस्ताव दिया। अपने देश में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ म्यांमार की सरकार ने जिस तरह का बर्ताव किया है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव उस पर बना हुआ है। बीजिंग इस बात को अच्छी तरह समझता है कि म्यांमार को चीन की कूटनीतिक और राजनीतिक मदद की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जांच को टाला जा सके। जब म्यांमार में सुधार के दौर बीजिंग के साथ रिश्ते एक मुश्किल दौर में थे उसी समय चीन ने वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत वैकल्पिक आर्थिक गलियारे पर काम शुरू कर दिया जिसमें शामिल है चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, चीन-लाओस-थाईलैंड (CLT) रोड तथा रेलवे कॉरिडोर और चीन-इंडिया-नेपाल कॉरिडोर। बीजिंग CMEC (China Myanmar Economic Corridor) को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि ये हिन्द महासागर और उसके आगे

तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा रास्ता है। हिन्द महासागर तक पहुँचने के लिए म्यांमार को एक सेतु की तरह इस्तेमाल करना चीन के सामरिक हित में है और यही उसकी दीर्घकालीन नीति भी रही है। साथ ही ये बीजिंग की रणनीति का अहम हिस्सा बना रहेगा और निकट भविष्य में चीन और म्यांमार की एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहेगी।

वन बेल्ट वन रोड परियोजनाः एक अवलोकन

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) नामक इस परियोजना को शुरू हुए पांच साल हो चुके हैं, हालांकि चीन के लिए इसे मूर्त रूप देना इतना आसान भी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 7 सितंबर 2013 को कजाखिस्तान की नजरबायेव यूनिवर्सिटी में एक भाषण देते हुए इस परियोजना की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक इसमें दुनिया के 70 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति इस परियोजना को 'प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी' का नाम देते हैं। दरअसल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बीआरआई का स्वागत उन देशों ने ज्यादा किया जहां का आधारभूत ढांचा बहुत अच्छा नहीं था। इन देशों में चीन ने रेलवे, सड़क और बंदरगाहों के निर्माण की कई योजनाएं शुरू की हैं।

हालांकि भारत ने खुद को चीन की इस परियोजना से अलग किया हुआ है, लेकिन भारत के अलावा उसके कई पड़ोसी देश इस परियोजना में चीन के साथ है। वहीं कई देश ऐसे हैं जो इस परियोजना में शामिल होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा विचार कर रहे हैं, इन देशों में मलेशिया से लेकर म्यांमार तक शामिल हैं। हालाँकि चीन ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि वह परियोजना में शामिल देशों को यह समझा सके कि यह कितने फायदे का सौदा है, फिर भी कई एशियाई देश इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख वजह चीन का इन देशों में फैलता कर्ज का जाल है। वर्तमान में बीआरआई परियोजना से पीछे हटने वाला देश मलेशिया है। जुलाई महीने में मलेशिया ने अपने देश में इस परियोजना के तहत चल रहे कुछ कामों को रोक दिया।

चीन-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और भारत

पिछले 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय दक्षिण एशिया का विचार भारत पर आधारित था, जिसे सामंजस्य का वाहक (एजेंट) माना जाता था। पहले इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव महज धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत ही नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक चिंतन और आर्थिक मॉडलों के केंद्र में भी था। अब यह आज के दौर में सच नहीं रह गया है। यूं तो दक्षिण एशिया आज भी एक भौगोलिक इकाई की तरह मौजूद है, लेकिन इसके आर्थिक और राजनीतिक महत्व का केंद्र लगातार भारत से दूर खिसकता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया की पुरानी संरचना नष्ट नहीं हुई है लेकिन इसमें कमी आ रही है।

चीन 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के जरिए एशिया की औपनिवेशिक विरासतों तथा एशियाई समुदायों को बांटने वाली एकपक्षीय राजनीति कर रहा है। चीन की योजना में, दक्षिण एशिया ढांचागत परियोजनाओं के जटिल नेटवर्क की महज एक गांठ भर है, जो आखिरकार अखिल यूरेशियाई व्यवस्था का सृजन करेगी। चीन इस उपमहाद्वीप में सुरक्षा, विकास और आर्थिक विकास के अकेले निर्णायक के तौर पर उभरना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि को अन्य देश उसके क्षेत्रवाद के इस उद्देश्य का ध्यान बांटे और न ही वह भारत जैसी ताकतों को अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करने देना चाहता है। लेकिन क्या चीन से प्रतिस्पर्धा करने या उसका मुकाबला करने से कुछ हासिल होगा? आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षेत्रों में चीन और भारत की ताकत के बीच फासला आज भी बहुत ज्यादा है।

मौजूदा सत्ता समीकरण को देखते हुए, भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने यानी अगले दशक तक मौजूदा व्यापार 2.6 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 5 ट्रिलियन डॉलर करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आवश्यक आर्थिक भार उठाए बगैर अपना प्रभाव आजमाने से सिर्फ पड़ोसियों के साथ रिश्तों में जटिलता ही आएगी। ऐसे में भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत को इस क्षेत्र के लिए नयी योजनाओं की घोषणा करने के बजाए, अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा और अपनी आर्थिक तथा सामरिक क्षमता में इज़ाफा करना होगा।

कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत को दक्षिण एशिया में चीनी निवेश के लिए सहयोग करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए और उसका माध्यम बनना चाहिए। यह बात समझने में मुश्किल लग सकती है, लेकिन यदि लक्ष्य-क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को बहाल करना है, तो यह बहुत बड़ा सामरिक बोध है। इस परियोजना में चीन का अधिकांश निवेश बुनियादी ढांचा और विनियामक व्यवस्था भी तैयार करेगा, जो इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के बाजार को भी जोड़ेगा। अगले दशक में, जब भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर को पार करेगी, तो इस तरह के निवेश भारतीय मुद्रा को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम करने में मदद करेंगे।

भारत को म्यांमार और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन कायम करने की जरूरत है, जिससे कि वह इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वास्तव में, यदि भारत को चीन से मुकाबला करना है, तो उसे चीन से बेहतर दृष्टिकोण को अपनाना होगा। भारत को चीन की महत्वाकांक्षाओं का लाभ उसी तरीके से उठाना चाहिए, जिस तरह चीन के उदय को अमेरिका की अर्थव्यवस्था से सहायता मिली थी। आने वाले दशकों में यही संतुलन कायम करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए।

दक्षिण एशिया का सिरमौर बनने के लिए भारत को इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देखना बंद करना होगा। इस क्षेत्र में भारत की व्यापक नीति के मार्गदर्शक पुराने नारे नहीं, बल्कि नई वास्तविकताएं होनी चाहिए। भारत को आजादी के संक्रमण काल में जो संस्थागत कमजोरियाँ विरासत में मिली हैं, उन्हें सुधारना होगा, ताकि वह आधुनिक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं का 5,000 साल पुराने सभ्यतागत लोकाचारों के साथ मिश्रण कर सके। भारत का दृष्टिकोण उदारवादी लोकतंत्र के प्रति संकल्पबद्धता के साथ त्वरित आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय अखंडता के निरंतर प्रयासों से मार्गदर्शित होना चाहिए। अपनी प्रगति के साथ-साथ, भारत को क्षेत्र की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, भले ही क्षेत्र के लिए भारत की ओर से व्यक्त की गई कुछ प्रतिबद्धताएं उसके अपने कारोबारों के लिए मुश्किलों भरी हो सकती हैं। हालाँकि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए उदार हृदय, साहसपूर्ण दृढ़ता और दूरदर्शितापूर्ण प्रबंधन की जरूरत है।

भारत की चिंताएँ

गौरतलब है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) पर भारत ने आपत्ति जताई थी। अब म्यांमार में भी चीन ऐसा ही गलियारा बनाने की तैयारी में है। अगर यह परियोजना अमल में आती है तो बड़ी मात्रा में चीन की पूंजी म्यांमार में निवेश होगी, इससे भारत का अपने पड़ोसी देश म्यांमार पर पकड़ कमजोर होगी।

भारत-म्यांमार संबंध 'एक्ट ईस्ट नीति' तथा 'पहले पड़ोसी' के विषय पर आधारित है। इन दोनों नीतियों का लक्ष्य दोनों देशों के बीच एक स्वतंत्र, सक्रिय और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को लेकर चलना है। विशेष रूप से म्यांमार आसियान देशों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है।

म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं। म्यांमार इन चार राज्यों से 1643 किमी की सीमा साझा करता है। इस तरह से देखा जाए तो चीन इस आर्थिक गलियारे के सहारे भारत के पूर्वी राज्यों तक आसानी से पहुँच सकता है।

भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजना भारत को आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भारत महत्वाकांक्षी ट्रांस-एशियाई रेलवे परियोजना में भी भागीदार है लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिभागी देशों में मतभेद के कारण इसकी प्रगति काफी धीमी है वहीं चीन इन देशों में अपनी योजनाओं के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

जब तक भारत का इन देशों के साथ सीमा-पार संपर्क मजबूत नहीं होगा तब तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक्ट ईस्ट नीति का लाभ नहीं मिल सकता है।

म्यांमार में सीएमईसी करार सकारात्मक माना जा सकता है वहीं भारत के दृष्टिकोण से यह योजना सुरक्षा में सेंध की तरह है। यह परियोजना चीन के 'स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स' का ही विस्तारित रूप है जो विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश है। जिसका उदाहरण श्रीलंका में हंबनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह आदि है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना चीनी सैनिकों को तत्काल इस क्षेत्र में पहुंचने में मददगार साबित होगी।

परियोजना के माध्यम से चीन, दक्षिण चीन सागर के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी में भी अपनी पहुँच मजबूत कर सकता है, जिसका परिणाम यह होगा कि इस क्षेत्र में भारत के व्यापार को धक्का लगेगा।

हालाँकि चीन ने कभी इन आरोपों को नहीं माना है और हमेशा से कहते आया है कि वह दक्षिण एशिया के साथ आयात-निर्यात को बढ़ाना चाहता है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन म्यांमार के माध्यम से हिन्द महासागर तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर लेगा। चीन की यह कोशिश निश्चित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और हिन्द महासागर में भारत की राजनीतिक और सामरिक दोनों हितों को प्रभावित करेगा।

अगर म्यांमार के राखाइन राज्य में स्थिरता की बात की जाए तो दोनों देश प्रयासरत हैं लेकिन जो काम भारत को आगे बढ़कर देखना चाहिए था वो अब चीन कर रहा है जिससे की वह राजनीतिक बढ़त की स्थिति में नजर आ रहा है।

आगे की राह

चीन, ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी से अमेरिका की वापसी के बाद इस खाली स्थान को भरने की मांग कर रहा है और भारत को भी इसमें शामिल करना चाहता है जो 'एशियाई शताब्दी' के दृष्टिकोण से एक प्रकार से उचित भी है। ऐसे में भारत को चीन के लिये एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिसमें न केवल आर्थिक रूपरेखा हो बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की रणनीति भी हो। भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर पुनः विचार करने की जरूरत है, साथ ही 'पहले पड़ोसी' की नीति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत सार्क, बिम्सटेक, आसियान, एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठनों की मदद भी ले सकता है।

इसके अलावा, भारत को उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्रयास करने चाहिये। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपींस जैसे देश जो चीन के साथ बहुत सहज महसूस नहीं करते, के साथ मिलकर भारत को क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं का विकास करना चाहिये। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ बीआरआई के विकल्प पर इन देशों के साथ भारत को आगे बढ़ना चाहिए लेकिन भारत को इन विकल्पों के साथ चीन को यह संदेश पहुँचाने का एक सार्थक प्रयास भी करना होगा कि नए रास्तों की तलाश करना वह भी जानता है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप में भारत को अपने संसाधनों के साथ अपने बुनियादी ढ़ाँचे की पहलों को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य देशों में परियोजनाओं को लागू करने में अपनी कई संस्थागत समस्या को दूर करना भी भारत की रणनीति में होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. ब्रेक्जिट समझौताः अब तक की यात्रा

चर्चा का कारण

12 दिसंबर, 2018 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे (Theresa May) को खुद की पार्टी में ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में बेक्जिट डील पर वोटिंग को थेरेसा मे ने टाल दिया। वोटिंग टालने के बाद विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट डील में नरमी बरतने के लिए थेरेसा सदस्य देशों से संपर्क साधने में जुटी हुई हैं। हालाँकि यूरोपीय संघ किसी भी प्रकार के नरमी के मूड में नहीं है।

परिचय

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रेक्जिट दो शब्दों के मेल से बना है- ब्रिटेन+एक्जिट (Britain+Exit)। 2016 में ब्रिटेन के लोगों ने जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। इस जनमत संग्रह के दो साल से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद ब्रेक्जिट डील को ब्रिटेन की संसद से मंजूरी नहीं मिल पाई है। ब्रेक्जिट के लिए डेडलाइन 29 मार्च, 2019 तय किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ब्रेक्जिट डील को संसद से मंजूरी दिलाने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही हैं, हालाँकि इस कवायद में उनके सामने मुश्किलें भी आ रही हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा का कहना है कि हमें ब्रिटिश लोगों को ब्रेक्जिट देने और इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। ब्रेक्जिट से हमारे पैसे, सीमाओं और कानूनों पर अपना नियंत्रण होगा। यह नौकरी, सुरक्षा और संघ की रक्षा करता है। साथ ही देश को एक साथ लाता है।

ईयू में ब्रिटेन का इतिहास

ब्रिटेन वर्ष 1973 में यूरोपियन यूनियन में

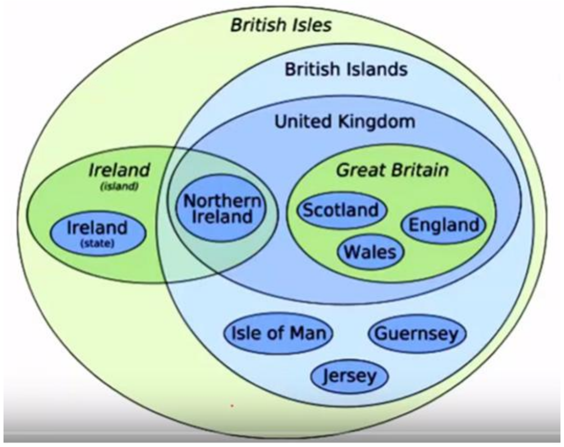

शामिल हुआ था। उन दिनों यूरोपियन यूनियन को 'यूरोपियन आर्थिक समुदाय' (European Economic Community) के नाम से जाना जाता था। दो वर्ष के पश्चात् ही 1975 में ब्रिटेन की एक राजनीतिक पार्टी ने कहा कि हम ब्रेक्जिट मसौदे पर एक जनमत संग्रह (Referendum) कराएँगे जिसमें ब्रिटिश लोगों को यह तय करने का अधिकार होगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है अथवा नहीं। इस जनमत संग्रह में 68 प्रतिशत लोगों ने उन दिनों यूरोपियन यूनियन के साथ रहने में ही अपनी सहमति जतायी थी। उसके बाद 40 वर्ष तक कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। वर्ष 2010 के बाद से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, जिसके पश्चात् ब्रिटेन में पुनः यूरोपियन यूनियन से बाहर होने की माँग प्रबल हुई। इसी दौरान ब्रिटेन में यूनाइटेड किंग्डम इंडिपेंडेंस पार्टी (UKIP) का जन्म हुआ। इस पार्टी का कहना था कि यूकेआईपी ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर पाने में सफलता हासिल करेगा। 2014 में यूरोपियन यूनियन की संसद के लिए हुए चुनाव में यूकेआईपी को 25% वोट मिले थे और इंग्लैण्ड की सभी पार्टियों में से इसने प्रथम स्थान हासिल किया था। 2015 में ब्रिटेन के आम चुनाव में इस पार्टी को 12% वोट मिले थे और इन्हें तीसरा स्थान मिला था। समय के अंतराल में यूकेआईपी की प्रतिष्ठा में दिन-प्रतिदिन इजाफा होता चला गया। यूकेआईपी की प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए तत्कालीन सत्ताधारी दल कंजरवेटिव पार्टी (2010-15) ने 2015 के आम चुनाव में एक चुनावी वादा किया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में वापस लौटती है तो जनमत संग्रह कराएगी जिसके तहत ब्रिटेन की जनता को यह खुली छूट होगी कि वह यह तय करें कि उसे ईयू के साथ रहना है या नहीं? इस वजह से यूकेआईपी के वोटर ने कंजरवेटिव पार्टी को वोट किया और कंजरवेटिव पार्टी फिर से सत्ता में वापस लौट आयी और डेविड कैमरून पुनः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए।

ब्रेक्जिट की माँग क्यों?

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया दो भागों में विभाजित हो गयी थी। इस दौरान यूरोप को अपनी पहचान और अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अलग जगह बनानी थी। ऐसी परिस्थितियों के दौरान 1957 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैण्ड ने मिलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की। इस संघ के सदस्य देश एक दूसरे से सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) नहीं लेते थे। अनाज के उत्पादन का आपस में बँटवारा होता था। इस व्यवस्था से सभी सदस्य देशों ने तीव्र आर्थिक विकास किया। 1 जनवरी 1973 को ब्रिटेन, आयरलैण्ड और डेनमार्क ने भी यूरोपीय संघ की सदस्यता ले ली। 1 जनवरी 1999 में इस समूह ने अपनी एक मुद्रा यूरो को भी अपना लिया। कुछ वर्षों तक इस समूह ने तो काफी अच्छी प्रगति हासिल की परंतु सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक समान नहीं थीं। फलस्वरूप बिना किसी सीमाबंधनों के कारण अपेक्षाकृत गरीब देशों के लोग अमीर देशों में आने लगे। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ब्रिटेन भुगत रहा था। ब्रिटिश लोगों में धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था, अपनी सामाजिक सोच और अपनी पहचान नष्ट हो जाने का डर सताने लगा, जिस कारण वे यूरोपीय संघ से बाहर होने की माँग करने लगे और यहीं से ''ब्रेक्जिट'' शब्द का जन्म हुआ। कुछ अन्य प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं-

- यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन से कई अरब पाउण्ड, लगभग 13 मिलियन यूरो सदस्यता शुल्क के रूप में लेता है जो अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके प्रत्युत्तर में उसे बहुत कम राशि ही, लगभग 7 मिलियन यूरो प्राप्त होती है।
- यूरोपियन यूनियन में लाल फीताशाही का काफी वर्चस्व है। इस वजह से ब्रिटेन का आर्थिक विकास काफी प्रभावित होता है।
- ब्रिटेन के चारों ओर मत्स्य उद्योग संबंधी विनियमन भी ईयू ही तैयार करता है, जो उनकी स्वायत्तता को प्रत्यक्ष तौर पर चोट पहुँचाती है। ईयू की इस नीति के कारण ब्रिटेन को लाभ न होकर यूरोप के बाजार को इससे लाभ पहुँचता है। ब्रिटेन के निवासियों का कहना है कि ईयू ब्रिटेन को स्वयं के अधिकार से भी वंचित कर रहा है।
- यूके में आप्रवासियों का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। विशेषकर सीरिया और अफ्रीकी देशों से काफी आप्रवासी ब्रिटेन में आकर बस गये हैं। 2015 में यूके में 330000 लोगों को आप्रवासी का दर्जा दिया गया और यूके की माँग है कि यह संख्या 100000 के आसपास रहे। आप्रवासी संबंधी नीतियाँ भी ईयू ही बनाती है ना कि ब्रिटेन। अगर इंग्लैण्ड ईयू से बाहर हो जाता है तो उन्हें खुद आप्रवासियों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होगा।

नोटः ईयू में कुल 28 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रिटेन भी एक सदस्य देश है। यूरोपियन यूनियन की नींव है- लिस्बन संधि, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी देश किस प्रकार से आपस में अपने संबंध को स्थापित करेंगे।

वर्तमान परिदृश्य

2015 में कंजरवेटिव पार्टी के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने यह वादा किया कि वह सत्ता में आने के बाद ब्रेक्जिट मुद्दे पर जनमत संग्रह कराएँगे। कंजरवेटिव पार्टी का दावा था कि 1973 में ईयू में ब्रिटेन के शामिल होने से ब्रिटेन का कोई फायदा नहीं हुआ। हालाँकि डेविड कैमरून अपनी पार्टी लाइन के विपरीत ब्रेक्जिट के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा बना रहे। आखिरकार बड़े पैमाने पर हुए जनमत संग्रह के बाद 23 जून 2016 को नतीजे आए। काँटे की टक्कर में ईयू छोड़ने वाले 'लीव अभियान' का पलड़ा भारी पड़ा। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में लगभग 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 'रीमेन अभियान' के पक्ष में 16141241 वोट पड़े जबकि 'लीव अभियान' के पक्ष में 17410742 से ज्यादा वोट पड़े। इस प्रकार जनमत संग्रह में 72.2% लोगों ने भाग लिया। ईयू में रहने के पक्ष में 48.1% लोग थे जबकि ब्रेक्जिट अर्थात् ईयू से बाहर जाने वाले के पक्ष में 51.9% लोग थे। इसके पश्चात डेविड कैमरून ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद थेरेसा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनीं और उनके कंधे पर ब्रेक्जिट की औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी मिली।

इस क्रम में पहला काम था ईयू को इस बाबत औपचारिक नोटिस देना। यह नोटिस लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के लिए देना था, जिसे 29 मार्च 2017 को थेरेसा की

सरकार ने ईयू काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क को दे दिया। 30 मार्च को ब्रेक्जिट से जुड़े 'ग्रेट रिपील बिल' (Great Repeal Bill) को प्रकाशित कर दिया गया।

हालाँकि अब यह निर्धारित किया जाने लगा कि आखिर ब्रिटेन किन शर्तों के आधार पर ईयू से अलग होगा। यहीं से थेरेसा की मुश्किलों का सिलसिला शुरू होता है। उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने जैसे- ब्रेक्जिट वार्ताकार डेविड डेविस, विदेश सचिव बोरिश जॉनसन ने ब्रेक्जिट मसौदे पर असहमति जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यह जिम्मेदारी टॉमनिक रॉब को सौंपी गयी और उन्होंने भी नवंबर, 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान थेरेसा मे ने ईयू के साथ मिलकर एक मसौदा तैयार किया, जिसे 'चेकर्स प्लान' का नाम दिया गया।

चेकर्स प्लान

- इस वर्ष 7 जुलाई को पेश की गई चेकर्स डील की 12 शर्तों के मुताबिक नॉर्वे और आयरलैण्ड या नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच कोई 'हार्ड बॉर्डर' नहीं होगा।
- ब्रिटेन को यह अधिकार होगा कि यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देशों के साथ भी वह खुद की शर्तों पर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- ईयू और ब्रिटेन के बीच इंडस्ट्रियल और कृषि सामानों के लिए मुक्त व्यापार होगा जिसके नियम और कानून एक होंगे।
- साथ ही समान कृषि नीति और समान मत्स्य नीति को त्याग दिया जाएगा।

ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव

यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला कर ब्रिटेन ने अपना भविष्य तो तय कर लिया है परंतु उनका यह फैसला कई देशों से उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा।

भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत ब्रिटेन को अपने लिए यूरोप का द्वार मानता आया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में भारत की कई बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं। ब्रिटेन के लिए भारत इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय कंपनियाँ भी यूरोपीय संघ के 'मुक्त बाजार प्रणाली' (Free Market System) के तहत ब्रिटेन से बाकी यूरोपीय देशों में आसानी से कारोबार करती रही हैं। लेकिन ब्रिटेन के अलग होने से भारतीय कंपनियों को वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, जिसका असर भारतीय कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

पिछले कुछ वर्षों तक भारत का पूरे यूरोपीय संघ में व्यापार ज्यादातर ब्रिटेन तक ही सीमित रहा। 2015-16 के आँकड़े के अनुसार, भारत का ब्रिटेन को छोड़कर बाकी ईयू के साथ व्यापार अधिशेष केवल 60 करोड़ डॉलर था, जबकि अकेले ब्रिटेन के साथ ही व्यापार अधिशेष 360 करोड़ डॉलर रहा। ईयू से अलग हो जाने के बाद भारत को ब्रिटेन और ईयू के बाकी देशों से अलग-अलग व्यापारिक संबंध मजबूत करने होंगे। ये भारत के लिए एक नई चुनौती होगी। पिछले कुछ वर्षों में ईयू के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। ईयू ने भारत को उभरते विश्व की ताकत बताया है। ईयू ने नवंबर में भारत के साथ रिश्ते को लेकर एक रणनीतिक दस्तावेज भी जारी किया था। इसे यूरोपीय संघ ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था और सतत आधुनिकीकरण के लिए एक साझीदार की संज्ञा दी है। इसमें कहा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीतिक, सामरिक और रक्षा सहयोग की जरूरत है। दोनों के बीच 100 अरब डॉलर का आपसी व्यापार है, जिससे ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया है।

भारत और ब्रिटेन के बीच सालाना व्यापार 2017 में 18 अरब पाउण्ड रहा, जो 2016 की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है। सन् 2000 के बाद से ब्रिटेन ने भारत में 19 बिलियन पाउण्ड से ज्यादा का निवेश किया है, जो अमेरिका या किसी अन्य यूरोपीय देश से ज्यादा है। ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद यूरो मुद्रा के कमजोर होने की भी आशंका जतायी जा रही है। अगर यूरो कमजोर होता है, तो डॉलर मजबूत होगा और इसका प्रभाव भारतीय मुद्रा रुपया पर भी पड़ेगा। अचानक डॉलर की माँग बढ़ने से रुपया कमजोर हो सकता है और कच्चे तेल (Crude Oil) खरीदने की भारत की लागत और बढ़ सकती है। यही वजह रहा कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह के फैसले का तुरंत असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा और बाजार एवं रुपये दोनों में गिरावट दर्ज की गयी।

यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का बाहर होना भारत के लिए इसलिए भी एक झटके के तौर पर देखा जाता है क्योंकि यूके ने शुरू से ही ईयू में भारत के पक्ष में अपनी सहमति जतायी है और समय-समय पर भारत का साथ भी दिया है। विशेषकर भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संबंधी मुद्दों पर अभी कई वर्षों से बातें चल रही हैं जिसमें यूके ने भारत की तरफदारी की है। अब यदि ब्रिटेन ईयू से बाहर हो जाता है तो भारत के लिए इस समझौते पर दस्तखत कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि एफटीए पर बातचीत अभी भी जारी है।

ब्रेक्जिट के लागू होने की समय-सीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियों पर भारत को अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इन चुनौतियों के अलावा भारत को ब्रेक्जिट से कई उम्मीदें भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन का ईयू से अलग होने पर भारत को कई क्षेत्रों में लाभ भी हो सकता है। इसमें प्रमुख रूप से सेवा और आईटी क्षेत्र शामिल हैं। इससे भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के अवसर में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि ब्रिटेन पर यूरोपीय छात्रों को जगह देने की कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। ईयू से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का इरादा भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने का है।

ब्रिटेन के समक्ष चुनौतियाँ

थेरेसा के समक्ष सर्वप्रमुख चुनौती है, बेक्जिट डील को संसद से पास कराना जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ की है। जब थेरेसा को यह महसूस हुआ कि इस डील को संसद से पास कराने के लिए उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उन्होंने इस डील पर वोटिंग कराना जरूरी नहीं समझा और इसे स्थगित कर दिया। इसके पश्चात थेरेसा ने इस डील संबंधी जटिलताओं में कुछ ढील देने के लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कुछ अन्य सदस्य देशों जैसे- नीदरलैण्ड और जर्मनी का दौरा किया। साथ ही ईयू के अध्यक्ष जां-क्ला जॉन्कर से मुलाकात की। थेरेसा मे का मानना है कि यदि वह ब्रेक्जिट डील में ईयू के सदस्य देशों से कुछ ढील दिलवा पाने में सफल हो जाती हैं तो इस डील को संसद से पास करवाना उनके लिए काफी आसान हो जाएगा।

लेकिन जां-क्ला जॉन्कर ने पहले से तैयार मसौदे में फेरबदल करने से इंकार कर दिया और कहा कि, ''पुनर्विचार के लिए अब कोई जगह नहीं है। वापसी के करार को छेड़े बिना स्पष्टीकरण और आगे की व्याख्या के लिए पर्याप्त जगह है। हर किसी को ये जानना होगा कि वापसी का समझौता फिर से नहीं खोला जाएगा।''

ब्रेक्जिट की सबसे बड़ी समस्या 'बैकस्टॉप' से संबंधित है। यद्यपि ब्रेक्जिट की इस बड़ी समस्या को लेकर ईयू काउंसिल के अध्यक्ष डॉनल्ड टस्क के बयान ने थेरेसा की मुश्किलों को थोड़ी राहत पहुँचायी। उन्होंने कहा कि, ''बैकस्टॉप एक बीमा पॉलिसी के रूप में है, आयरलैण्ड द्वीप पर कठोर सीमा न हो और एकल बाजार की अखंडता बनी रहे। ईयू 31 दिसंबर 2020 तक

वैकल्पिक व्यवस्था से जुड़े समझौते पर तेजी से काम करें ताकि बैकस्टॉप लगाने की जरूरत न पड़े।'' उल्लेखनीय है कि 'बैकस्टॉप' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जो आयरलैण्ड और शेष यूनाइटेड किंगडम की सीमा पर बेरोकटोक आवाजाही की स्थिति प्रदान करता है।

ब्रेक्जिट के समर्थक और विरोधी दोनों ही थेरेसा मे के विरोध में खड़े हैं। ऐसे में ईयू से पिछले हफ्ते ब्रेक्जिट मसौदे में स्पष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं मिला। अब उनके पास रास्ते बहुत ही कम और कठिन हैं। पहला, वह संसद को ब्रेक्जिट मसौदे के पक्ष में तैयार कर लें। दूसरा, बिना किसी समझौते के मार्च 2019 में ईयू से बाहर हो जाएँ। ये दोनों ही विकल्प फिलहाल काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है।

निष्कर्ष

ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन का ईयू से व्यापार कम होगा। इस समय ब्रिटेन का ईयू से व्यापार लगभग 50 प्रतिशत होता है। यह संभावना जतायी जा रही है कि ब्रिटेन का ईयू से अलग होने के बाद व्यापार में कमी आएगी और उन्हें एक नए बाजार के रूप में एशियाई देश भारत, चीन आदि की जरूरत होगी।

दीर्घावधि में इसका प्रभाव नकारात्मक होगा या सकारात्मक यह तो भविष्य के अधर में लटका हुआ है। हालाँकि आईएमएफ और विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ब्रेक्जिट का प्रभाव पूरी दुनिया पर नकारात्मक रहेगा। यहाँ तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 0.5 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि इसका प्रभाव तो दो-चार वर्ष बाद ही प्रतीत होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

5. कोयला क्या आज भी वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है

चर्चा का कारण

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय बने कोयले से संबंधित विनियमों/अधिनियमों को वापस लेने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि इन विनियमों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ नये कोयला जनित संयंत्रों की स्थापना को रोकना था। पूर्व कोयला लॉबिस्ट और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के कार्यकारी प्रशासक एण्ड्रयू व्हीलर के नेतृत्व में बनी समिति ने कोयले से संचालित ऊर्जा संयंत्रों पर से कई और विनियमों को हटाने की घोषणा की है। वर्तमान प्रशासन अगर इस तरह के विनियमन वापस लेता है तो आने वाले वर्षों में अमेरिका में जीवाश्म ईंधन से संचालित होने वाले संयंत्रों की स्थापना के लिए रास्ता खुल जायेगा।

परिचय

कोयला प्राचीन समय से ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, जो आज भी पृथ्वी पर बिजली/ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी वैश्विक स्तर पर कोयले की खपत पहले की तुलना में काफी कम हुई है। पिछले 25 वर्षों में कोयले की मांग स्थिर रही है। ऐसा अनुमान है कि चीन वर्ष 2040 तक कोयले की वैश्विक मांग का 40% उपभोगकर्ता बना रहेगा।

कोयले की मांग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों में कम हुई है। वहीं अमेरिका में इस कमी का मुख्य कारण प्राकृतिक गैसों की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय नीतियाँ रही हैं। इसके विपरीत भारत और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कोयले की मांग बढ़ी है क्योंकि ये अपने विकास, औद्योगिकीकरण तथा बिजली के लिए कोयले का उपयोग लगातार बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा बनाई गई नई ऊर्जा नीतियों से भी ऊर्जा के मिश्रित उपयोग में कोई खास अंतर परिलक्षित नहीं हुआ है। विश्व में आज कोयले की ऊर्जा क्षेत्र में हिस्सेदारी 44 फीसदी है, जो 2040 तक 49% हो जाने की उम्मीद है।

भारत में कोयलाः एक परिदृश्य

भारत में कुल कोयले का भण्डार 300 बिलियन टन से थोड़ा अधिक अनुमानित है। अगर इस भण्डार का 50 फीसदी कोयला निकाल लिया गया हो तो भी भारत में प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन कोयले की उपलब्धता लगभग 150 वर्षों तक बनी रहेगी। आज भी भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले को विश्वसनीय स्रोत के रूप में माना जाता है। भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 63% भाग कोयला ही पूरा करता है। साथ ही देश में कुल बिजली उत्पादन में इन जीवाश्म ईंधनों का योगदान लगभग 61 फीसदी है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। कोयला निकट भविष्य में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी बिजली उद्योग के नकारात्मक प्रभाव का प्रबंधन भी प्राथमिकता में होना चाहिए।

चूंकि ऊर्जा क्षेत्र में कोयले की मांग उसकी उपलब्धता की तुलना में पिछले 10 वर्षों में अधिक रही है, इसलिए कोयले की तुलना में अन्य किसी ईंधन को बढ़ावा देना देश की प्राथमिकता में कम ही रहा है। कोयला जनित ऊर्जा कुल बिजली लागत की तुलना में काफी किफायती है, जो उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब भारत बिजली उत्पादन के अन्य महंगे स्रोतों से जुड़ रहा है।

वैश्विक परिदृश्य

सामान्यतः विकसित देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कोयले की तुलना में अन्य स्रोतों से करते हैं वहीं विकासशील देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए कोयले का अधिक इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत जैसे देशों को लिया जा सकता है। हालाँकि कुछ विकसित देश भी कोयले का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता बरकरार है जबकि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है। ऐसी ही स्थिति अमेरिका की भी है जो आज भी अपने कायेले के प्लांट के संरक्षण की बात कर रहा है।

पोलैण्ड और जर्मनी में भी लंबे समय से कोयले के खनन उद्योग स्थापित हैं।

वर्ष 1984 का भोपाल गैस त्रासदी और वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं के बाद वैश्विक स्तर पर कोयला, परमाणु ऊर्जा की तुलना में ऊर्जा का एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्रोत बनकर उभरा है। इसी तरह नीदरलैण्ड जैसे देश में भी प्राकृतिक गैस

की कमी को दूर करने के लिए कोयले का उपयोग बढ़ा है। दूसरी ओर वहीं रूस और पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देश अपनी भावी पीढ़ी के लिए कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस को अधिक तवज्जहो दे रहे हैं। इसी प्रकार ब्राजील की जलविद्युत और मैक्सिको प्राकृतिक गैस उपलब्धता उन्हें उन देशों की श्रेणी से बाहर करते हैं जो देश कोयले का अधिक उपभोग अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए करते हैं। मैक्सिको वर्ष 2018 के शुरूआत में घोषणा किया कि आने वाले समय में ऊर्जा के रूप में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता का मेजबान पोलैण्ड ने वर्ष 2040 तक कोयले से बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी को 32% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कोयले के प्रकार

कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं-

पीट कोयला: इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है, इसे जलाने पर अधिक मात्रा में धुआँ और राख उत्पन्न होता है इसलिए यह एक निम्न कोटी का कोयला माना जाता है।

लिग्नाइट कोयला: लिग्नाइट कोयला भूरे रंग का होता है। इस कोयले का उपयोग थर्मल पॉवर में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक कार्बन पाया जाता है। यह पीट कोयले की तुलना में अधिक उष्मा तथा कम धुआँ और राख देता है।

बिटुमिनस: इस प्रकार के कोयले विश्व में सबसे अधिक पाये जाते हैं। इस प्रकार के कोयले में लगभग 80-85 प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। इसका रंग काला एवं चमकीला होता है। इसका उपयोग घरों, रेलवे इंजन तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। यह पीट और लिग्नाइट की तुलना में अधिक ताप देता है।

एन्थ्रासाइट: यह कोयले का सबसे उत्तम प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 100 प्रतिशत तक पाई जाती है। यह कोयला कठोर तथा भंगुर होता है। यह सबसे कम धुआँ और राख के साथ तीव्र उष्मा देता है।

कोयला और इसका उपयोग

कोयला सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक जीवाश्म ईंधन के साथ-साथ एक ठोस कार्बन समृद्ध पदार्थ भी है जिसका रंग आमतौर पर भूरा या काला होता है जो अकसर स्तरीकृत अवसादी निक्षेपों में पाया जाता है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले इस ऊर्जा संसाधन का उपयोग ऊर्जा के साथ-साथ रासायनिक स्रोत के रूप में भी किया जाता है, जिसके माध्यम से कई सिंथेटिक यौगिक बनाये जा सकते हैं जैसे- रंग, तेल, मोम, फार्मास्युटिकल्स और कीटनाशक आदि। इसका उपयोग कोक उत्पादन और धातु उद्योग में भी किया जाता है। इसके अलावा कोयले को गैस और द्रव के रूप में तब्दील कर गैसीय और द्रव ईंधन के रूप में पाइपों के माध्यम से आसानी से परिवहन किया जा सकता है।

2000 के दशक की शुरूआत में कोयले के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई जो मुख्य रूप से एशियाई देशों (सामान्यतया चीन, भारत एवं जापान आदि) की अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य आधार था। वर्ष 2012 में दुनिया भर में कोयले का उपयोग उच्च स्तर पर पहुँच गया था, लेकिन इसके बाद कोयले के उपयोग में लगातार गिरावट आई है।

कोयले की वैश्विक खपत

विश्व ऊर्जा की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा (B.P Statistical Review of World Energy) के अनुसार विश्व में कोयले की खपत वर्ष 2017 तक 3,732 मिलियन टन तेल के बराबर थी। वर्ष 2007 और 2017 के बीच वैश्विक कोयले की खपत में 0.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा के वैश्विक मिश्रित स्रोतों में कोयले की मांग जो वर्ष 2016 में 27% थी, से घटकर 2022 में 26% रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण ऊर्जा के अन्य स्रोतों की मांग (कोयले की तुलना में) में वृद्धि को माना गया है।

वर्ष 2022 तक ऊर्जा आधारित वैश्विक विकास में भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया के अन्य देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कोयले की मांग में यूरोप, कनाडा, अमेरिका तथा चीन में कमी आएगी। इन विरोधाभासी प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप, वैश्विक कोयले की मांग वर्ष 2022 तक 5530 एम.टी.सी.ई. (Mega Tonne of Coal Equivalent) तक पहुँचने का अनुमान है जो वर्तमान स्तर से मामूली रूप से अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी के आँकड़ों के अनुसार, कोयले से बिजली उत्पादन की दर में वार्षिक रूप से 1.2% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि इन्हीं वर्षों के दौरान मिश्रित ऊर्जा के स्रोतों में कोयले की हिस्सेदारी कम होकर 2022 तक 36% होने की उम्मीद है।

भारत और चीन की तुलना

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की आउटलुक के अनुसार, भारत और चीन में कोयला जनित बिजली घर अन्य देशों की तुलना में अधिक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। वर्ष 2017 में चीन में कोयले की खपत 2013 की तुलना में 1893 मिलियन टन तेल के बराबर थी, जो वैश्विक कोयले की खपत का 51 प्रतिशत था। चीन की प्रति व्यक्ति कोयले की खपत वर्ष 2013 में 1.45 टन तेल के बराबर थी जो 2017 में घटकर 1.37 टन तेल के बराबर हो गई है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उपभोक्ता है। वर्ष 2017 में भारत में कोयले की खपत 424 मिलियन टन तेल के स्तर तक पहुँच गई है जो वैश्विक कोयला खपत का लगभग 11 प्रतिशत है। वर्ष 1990 से 2017 के मध्य भारत में प्रतिव्यक्ति कोयले की खपत 126 किलोग्राम तेल के बराबर से बढ़कर 317 किलोग्राम तेल के बराबर के स्तर तक पहुँच गयी है। यदि भारत की वर्तमान प्रतिव्यक्ति कोयले की खपत बरकरार रही तो वर्ष 2050 तक 676 किलोग्राम तेल के बराबर बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.72 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है। इन अनुमानों को देखते हुए, भारत की कोयले की मांग वर्ष 2050 तक लगभग 1.2 अरब टन तेल के बराबर बढ़ जाएगी।

वर्ष 2010 और 2017 के मध्य चीन और भारत में कोयले से उत्पन्न ऊर्जा क्षमता संयुक्त रूप से 432 गीगावाट थी, वहीं वर्ष 2017 के अंत तक संपूर्ण अमेरिका में कोयले से उत्पन्न ऊर्जा क्षमता 279 गीगावाट थी।

भारत और चीन कोयले का काफी उपयोग करते हैं। आने वाले समय में इसकी अधिक खपत की उम्मीद है। कोयले की निर्भरता कम करने के लिए भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया है क्योंकि अब भारत भी

सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत 2020 तक कोयला मुक्त ऊर्जा की रणनीति पर भी काम कर रहा है।

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन

कार्बन डाईऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में भारत विश्व में चौथे पायदान पर है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कार्बन डाईऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की वैश्विक भागीदारी 7 प्रतिशत है। इस सूची में चीन 27 प्रतिशत भागीदारी के साथ पहले स्थान पर है। अमेरिका 15 प्रतिशत के साथ दूसरे, यूरोपीय संघ 10 प्रतिशत के साथ तीसरे पायदान पर है। दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में इन चार देशों की 58 प्रतिशत भागीदारी है। बाकी सभी अन्य देश समग्र रूप से 42 फीसद कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। अध्ययन में पता चला है कि भारत का यह उत्सर्जन वर्ष 2018 में भी औसतन 6.3 प्रतिशत की दर से जारी है।

प्रभाव

औद्योगिक युग को बल देने वाले कोयले ने धरती को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की कगार पर ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल वार्मिंग संबंधी साइंटिफिक पैनल ने पाया है कि भयंकर विनाश को टालना है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ ही वर्षों में बुनियादी बदलाव लाना होगा। सबसे पहले कोयले से मुक्ति पानी होगी और वह भी बहुत जल्दी। हालाँकि पेरिस समझौते के तीन साल बाद भी कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। भविष्य में कोयले का इस्तेमाल दुनियाभर में समाप्त होना तो तय है पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक यह इतनी तेजी से नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों को टाला जा सके।

अमेरिका की 16 सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि रोकने के लिए काई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया में अमेरिका की कुल जीडीपी के दस प्रतिशत के बराबर अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक गर्मी से होने वाली मौतों के कारण 141 अरब डॉलर, समुद्री जलस्तर बढ़ने से 118 अरब डॉलर और बुनियादी ढांचा ध्वस्त होने से 32 अरब डॉलर का नुकसान होगा।

प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका सामना वर्तमान समय में पूरा विश्व कर रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलों को काटने और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले इन क्षेत्रों के वन्यजीवन को नुकसान पहुंचा है। यह एक कठिन चुनौती है।

जब कोयला जलता है तो यह कई प्रकार के वायु जनित विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है। इनमें पारा, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई अन्य भारी धातुएँ शामिल हैं जिसका गहरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे- अस्थमा और सांस लेने की समस्या, मस्तिष्क क्षति, हृदय की समस्या, कैंसर, तंत्रिका संबंधी समस्या और समय पूर्व मृत्यु आदि।

इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, समुद्री जल स्तर का बढ़ा, तटीय देशों तथा द्वीपों का जलमग्न होना, कृषि उत्पादकता में ह्रास, ग्लेशियरों का पिघलना आदि घटनाओं में वृद्धि होने का अनुमान है।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ज्यादातर राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में उच्च दक्षता-कम उत्सर्जन वाले कोयले (HELE) का उपयोग करें जो सुधार के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पश्चिमी देशों के साथ विवाद

प्रदूषण में भारत का हिस्सा वैश्विक प्रदूषण के हिसाब से काफी कम है। वैश्विक उत्सर्जन में चीन का हिस्सा जहाँ 30% के करीब है, वहीं वैश्विक आबादी में इसका हिस्सा लगभग 17% है। वैश्विक आबादी में भारत का हिस्सा लगभग 16% है, जबकि उत्सर्जन में इसका योगदान केवल 6% से 7% है।

विकसित देश चीन के साथ भारत को भी एक ही श्रेणी में रखना चाहते हैं। साथ ही उनका कहना कि चीन पर जो शर्त लागू होती है, वही भारत पर भी लागू होती है।

हालाँकि भारत इस तरह के शर्तो का खंडन करता रहा है और अगले 20 वर्षो तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए COP-21 के तहत मिली छूट की बात करता रहा है। भारत का यह भी कहना है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए COP-21 समझौते के अनुसार प्रतिबद्ध है।

COP-21 समझौते के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नवीकरणीय क्षमता कुल ऊर्जा क्षमता का 40% होना चाहिए। भारत में हाइड्रो-आधारित शक्ति सहित, यह क्षमता वर्तमान में 28% ही है। यदि भारत 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करता है तो COP-21 समझौते के 40% मानदंड हासिल कर लेगा। इसके अलावा, भारत COP-21 समझौते के अंदर रहते हुए ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब 800 मिलियन टन कोयले का उपयोग करता है जो पहले 1,500 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल करता था।

आगे की राह

आज विश्व के सामने यह समस्या है कि विकास को सतत एवं दीर्घगामी रूप कैसे दिया जाए? गौरतलब है कि यह उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के नियंत्रित उपयोग से ही यह संभव होगा। कोई भी विकास तब तक सतत नहीं हो सकता जब तक कि ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित न हो। हाल के वर्षों में समूची दुनिया में सतत विकास की अवधारणा को बल मिला है जिसने पर्यावरणीय मुद्दों को उभारा है। भले ही कोयला हमारे विकास इंजन के लिये जंक फूड की तरह है लेकिन हमें विकास कार्यों को बाधित किये बिना अपने लिये नए ऊर्जा विकल्प तलाशने होंगे। भारत ने इस ओर अपने कदम भी बढ़ाए हैं और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अत: इस लक्ष्य को दृढ़ता से हासिल करने की आवश्यकता है ताकि बिना विकास कार्यों को रोके भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके।

आर्थिक विकास का संबंध मानवीय उपभोग की विविध वस्तुओं के उत्पादन में प्रगतिशील वृद्धि से है और किसी भी देश का विकास ऊर्जा आपूर्ति के नियमित तथा निरंतर उत्पादन चक्र की गतिशीलता के बिना सुनिश्चित करना संभव नहीं है। वर्तमान समय में पेट्रोलियम, कोयला, जल एवं आणविक शक्ति के अलावा वायु एवं सौर ऊर्जा विकसित और विकासशील देशों के लिये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। आज बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और उनकी विविधता को देखते हुए व्यापक स्तर पर ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

6. जलवायु नियम पुस्तिकाः लक्ष्यों की पड़ताल करता एक दस्तावेज

चर्चा का कारण

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 24वीं बैठक (COP 24) कैटोविस, पोलैण्ड में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में, 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए एक 'नियम पुस्तिका' (Rulebook) जारी की गयी। इससे पेरिस समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो 2020 में मौजूदा क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा।

परिचय

इस वर्ष पोलैण्ड के कैटोविस शहर में आयोजित 'जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन' जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस सम्मेलन में एक 'नियम पुस्तिका' को जारी किया गया, जिसने पेरिस समझौते को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इस प्रकार जहाँ एक ओर इस सम्मेलन में, 2015 में संपन्न हुए पेरिस समझौते की प्रक्रिया पर कुछ प्रगति हुई थीं वहीं दूसरी ओर इसमें जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित गरीब और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा की गयी।

वर्तमान में विश्व के कई देशों और गैर-सरकारी संगठनों का कहना है कि कैटोविस सम्मेलन में नियम पुस्तिका को अपनाया जाना एक स्वागतयोग्य कदम है परंतु इस पर अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है।

अक्टूबर, 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) द्वारा '1.5 डिग्री रिपोर्ट' प्रस्तुत की गयी। इसमें कहा गया है कि जलवायु संकट एक भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में मानव द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और इसे जलवायु परिवर्तन की भयावह स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर (Pre Industrial Level) से 1.5°C कम करने के लक्ष्य को और कार्बन उत्सर्जन में (2010 के स्तर से) 45% की कमी लाने के लक्ष्य को हर हालत में 2030 तक प्राप्त करना होगा।

इस सम्मेलन के शुरूआत में ही यह माना गया कि वित्तीय और तकनीकी सहायता संबंधी किसी समझौते का ना हो पाना, जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते को लागू कर पाने में एक बाधा उत्पन्न कर सकती है।

अफ्रीका और छोटे-छोटे द्वीपीय देशों को इस सम्मेलन से काफी उम्मीदें जगी थीं परन्तु कुछ प्रमुख कारकों की वजह से वित्तीय सहायता संबंधी विषयों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जो निम्नलिखित हैं-

1. जी-77 के देशों में आपसी सहमति ना हो पाना।
2. चीन और जी-77 के देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव।
3. गरीब देशों के बीच समन्वय का अभाव।

आज तक विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राष्ट्रों को केवल सैद्धांतिक आश्वासन ही दिया है ना कि इसके लिए उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया है। पेरिस समझौते के वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जिन-जिन कार्यों को ठोस रूप दिए जाने की आवश्यकता थीं, उनपर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पायी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है-

- 2020 तक धन जुटाने की जो बात की गयी थी उसके लिए अभी तक कोई रोडमैप नहीं अपनाया गया।
- 2025 तक वित्त के दीर्घकालिक लक्ष्यों को तय करने के लिए अभी तक कोई विशेष प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।

विकसित देशों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के तहत अपनी प्रतिबद्धता को पूरी कर पाएँगे अथवा नहीं।

हालाँकि इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा जोर पारदर्शी ढाँचे संबंधी तौर-तरीके, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश (MPG) को तैयार करने पर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक देश द्वारा किए गए वादे के तहत उन्हें जवाबदेह ठहराना है। पेरिस समझौता प्रत्येक देश को विकास के मामले में उसकी स्थिति के बावजूद उसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के हिस्से के रूप में किए गए उत्सर्जन की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य करता है। यह भी अनिवार्य है कि पारदर्शिता के लिए एमपीजी को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाये ताकि अपने लक्ष्यों या कार्यों को प्राप्त करने में कुछ देशों द्वारा की गई प्रगति की जानकारी इकट्ठा की जा सके। उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष पर अभी भी सहमति नहीं बन पायी है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन के व्यापार के लिए एक बाजार स्थापित करने की बात की गयी है। अधिकांश अमीर देश चाहते हैं कि विकासशील देशों को अपने एनडीसी के तहत उत्सर्जन सूची की उत्सर्जन क्रेडिट में कटौती करनी चाहिए। दूसरी ओर, विकासशील देशों का मानना है कि पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। **निष्कर्षतः** हम यह कह सकते हैं कि सीओपी 24 (COP 24) एक नियम पुस्तिका को तैयार करने में काफी हद तक सफल रहा है।

नियम पुस्तिका में क्या है?

पेरिस समझौते के अन्तर्गत वैश्विक औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक कम करने की बात की गयी है। यह पुस्तिका मुख्य तौर पर यह बताती है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए विश्व के देशों द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। नियम पुस्तिका में यह बताया गया है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है और किस प्रकार से उनका मापन (Measured) और सत्यापन (Verified) करना है। उदाहरणस्वरूप, पेरिस समझौते में कहा गया है कि प्रत्येक देश के पास एक जलवायु कार्य योजना होनी चाहिए और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए साथ ही इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय को प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए।

नियम पुस्तिका में यह बताया गया है कि कार्य योजना में किन-किन कार्यों को शामिल किया जा सकता है और उन्हें कब अद्यतन करना है और उनका विवरण संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत करना है। इसके अतिरिक्त पेरिस समझौते में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से हर दो वर्ष में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में जानकारी सौंपने के लिए कहा गया है। नियम पुस्तिका में यह उल्लेख किया गया है कि कौन-सी गैसों को मापना है तथा उन्हें मापते समय कौन-सी कार्यप्रणाली और मानक लागू किये जाने हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार की जानकारी उनके प्रस्तुतीकरण में शामिल की जानी है।

पुनः पेरिस समझौते के अंतर्गत, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 'वित्तीय सहायता' प्रदान करना है और इससे संबंधित एक लेखा-जोखा भी प्रस्तुत करना है। नियम पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि वित्तीय मदद के तौर पर ऋण, रियायतें और अनुदान को जलवायु वित्तीय मदद (Climate Finance) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

नियम पुस्तिका एक गतिशील दस्तावेज है, जिसमें नए नियमों को जोड़ा जा सकता है अथवा मौजूदा नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

क्या सीओपी 24 केवल नियम पुस्तिका के लिए था?

यह सम्मेलन मुख्य तौर पर 'नियम पुस्तिका' से ही संबंधित था। परंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चाएँ हुई थीं। हाल ही में कुछ अध्ययनों के संदर्भ में, जलवायु कार्य योजना को गतिशील बनाने पर भी चर्चाएँ हुईं। कैटोविस सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले ही आईपीसीसी द्वारा दी गयी '1.5°C रिपोर्ट' ने विश्व के सभी देशों का ध्यान आकृष्ट किया।

इस सम्मेलन में यह उम्मीद की गई थी कि विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन संबंधी कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय, आईपीसीसी रिपोर्ट को स्वीकार करने के तौर-तरीकों पर ही आपसी मतभेद हो गए। इस रिपोर्ट की चेतावनी को अमेरिका, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों ने गंभीरता से नहीं लिया। इस रिपोर्ट का ''स्वागत'' करने के बजाय केवल इसे ''अनौपचारिक'' तौर पर स्वीकार कर लिया।

जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले छोटे-छोटे द्वीपीय देशों तथा अल्प विकासशील देशों द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण विषयों को कैटोविस सम्मेलन में कोई खास तवज्जह नहीं दी गयी, जिससे इन राष्ट्रों को इस सम्मेलन से काफी निराशा हाथ लगीं। इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले सबसे ज्यादा नुकसान को झेल रहे गरीब देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त होने वाला था। परंतु इस सम्मेलन में नुकसान और क्षति को लेकर कोई चर्चा नहीं की गयी। अन्य विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और क्षमता निर्माण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें उच्च से निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन विकसित देशों का कहना है कि उनके पास गरीब और अल्प विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं है। अतः विकसित देशों द्वारा फंडिंग और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यों को स्थगित कर दिया गया है। इसमें पेरिस समझौता के अनुच्छेद 9 (जिसके तहत औद्योगिक देशों से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है) की उपेक्षा की गयी है। इसके बजाय कार्बन बाजारों और बीमा प्रणालियों पर जोर दिया गया है।

सीओपी 24 और भारत के लिए चुनौतियाँ

वर्तमान में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और उभरते हुए देशों जैसे भारत और चीन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करें। भारत जैसे देशों के लिए अपने राष्ट्रीय जरूरतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती है। पेरिस समझौते के तहत भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों को उनकी क्षमता के अनुसार थोड़ी राहत देने का आश्वासन दिया गया था। परंतु कैटोविस का यह सम्मेलन भारत के समक्ष, प्रमुख रूप से दो चुनौतियाँ लेकर सामने आया है।

पहला, उस वर्ष से संबंधित है जब सभी देशों को एक नई व्यवस्था के तहत उत्सर्जन की अपनी राष्ट्रीय सूची को प्रस्तुत करना होगा। कैटोविस में, उस वर्ष के रूप में 2024 का चयन किया गया है। भारत को 2022 तक के अपने उत्सर्जन संबंधी डेटा को एकत्रित कर 2024 में प्रस्तुत करना होगा, जिससे इस नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

दूसरा, विकासशील देशों के लिए तय की गयी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं में छूट से संबंधित है। इस सम्मेलन में लगभग सभी विकासशील देशों ने एक सुर में यह बात कही है कि उन्हें प्राप्त छूट को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक वे बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित व्यवस्था को तैयार नहीं कर लेते।

जलवायु परिवर्तन और भारत

आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने से तथा सूखा, बाढ़ और हीटवेव में निरंतर वृद्धि से भारत जैसे देश (जहाँ एक बड़ी आबादी कृषि और मत्स्य संसाधनों पर निर्भर करती हैं) सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह भारत समेत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यही देश कार्बन डाइऑक्साइड के शीर्ष पाँच उत्सर्जक भी हैं। भारत को कई क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य तय करना, कायले पर निर्भरता कम करना, हरित औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाना, विलासिता संबंधी वस्तुओं से होने वाले उत्सर्जन (Luxury Emissions) पर कर लगाना और इस लाभांश का उपयोग करके गरीब लोगों तक ऊर्जा की पहुँच को संभाव्य बनाना इत्यादि।

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति 1.2 टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति 4.2 टन (CO_2) के उत्सर्जन से काफी कम है। जबकि जलवायु परिवर्तन पर कार्बन उत्सर्जन का संचयी प्रभाव पड़ता है। 2018 में भारत में उत्सर्जन वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहा है। वैश्विक जलवायु समझौते के लिए एक सदस्य के रूप में भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन का सही से आकलन करना और कार्बन न्यूनीकरण के लक्ष्य को अपनाना है। इसके लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन करने, भवन निर्माण, कृषि और परिवहन आदि को पर्यावरण अनुकूल बनाने जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि चीन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में काफी बढ़त हासिल कर ली है। जबकि संयुक्त राज्य अमरीका की कुछ राज्य सरकारें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में काफी सफलताएँ अर्जित कर ली हैं जबकि भारत द्वारा अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आगे की राह

पोलैण्ड के कैटोविस शहर में आयोजित 24वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनायी गयी 'नियम पुस्तिका' के माध्यम से पेरिस समझौते को लागू करने की जरूरत है। इस पुस्तिका में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को रोकने के लिए सभी देशों के नागरिकों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर दिया गया है।

यह बात सर्वविदित है कि गरीब और अल्प विकासशील देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अल्प मात्रा में किया जाता है, जबकि वही देश वैश्विक तापन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए वैश्विक तापन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों को उनके क्षतिपूर्ति के

लिए विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता और तकनीकों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत 195 देशों द्वारा संपन्न पेरिस समझौते की राह अभी भी आसान नहीं है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा चिह्नित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विकास संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक लोग और सरकारें पर्यावरण और विकास को भिन्न-भिन्न नजरिये से देखेंगे तब तक जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटना आसान ना होगा। वास्तव में पर्यावरण और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं ना कि भिन्न-भिन्न। दुनिया के विभिन्न देशों के युवाओं में जलवायु परिवर्तन संबंधी रोकथाम को लेकर एक उम्मीद की किरण जगी है। 15 वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि, ''यदि सिस्टम के भीतर किसी समस्या का समाधान खोजना असंभव है, तो शायद हमें सिस्टम को ही बदलना चाहिए।''

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. भारत में वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता

चर्चा का कारण

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भारत में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। भारत में हर आठ में से एक व्यक्ति की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। 'लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 18 फीसदी मौतें समय से पूर्व हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में यह आंकड़ा 26 फीसदी है। 2017 में लगभग 12.4 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं, इसमें से आधे लोगों की उम्र 70 वर्ष से कम पाई गई थी।

वायु प्रदूषण क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ''वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं।'' दूसरे शब्दों मे वायुमण्डल में विद्यमान सभी अवांछनीय अवयव की वह मात्रा, जिसके कारण जीवधारियों को हानि पहुँचती है, वायु प्रदूषण कहलाता है।''

कुछ खतरनाक वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं-

सल्फर डाइऑक्साइडः सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमण्डल में अधिक सांद्रता के कारण यह उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है जो बाह्य कार्यों में संलग्न हैं। साथ ही यह अस्थमा रोगियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

ओजोनः ओजोन के संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ व श्वास नली में सूजन से फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट आती है जो अंततः अस्थमा का कारण बनती है। यह फसलों और अन्य वनस्पतियों के साथ-साथ इमारतों को भी प्रभावित करती है।

सीसाः वायु में सीसे की अधिक मात्रा होने से मानसिक समस्याएं तथा व्यवहार संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि सीसे की थोड़ी-सी मात्रा अगर बच्चों में पायी जाती है तो यह उनके तंत्रिकातंत्र को भी क्षति पहुँचा देती है।

कार्बन मोनोऑक्साइडः कार्बन मोनोऑक्साइड जब फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो यह रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को कम कर देता है। यह प्रदूषक उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जो ह्रदय रोग से पीड़ित हैं।

बेंजीनः प्रदूषित वायु में लंबे समय तक सांस लेने से बेंजीन रक्त में विकार उत्पन्न कर सकता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और एनीमिया शामिल है।

पार्टिकुलेट मैटरः ये इतने छोटे कण होते हैं कि श्वसन मार्ग में गहराई तक आसानी से पहुँच जाते हैं और श्वास संबंधी विकारों में वृद्धि करते हैं।

नाइट्रोजन ऑक्साइडः इसका स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कम समय में यह फेफड़ों के कार्य को घटा देता है, वहीं लम्बे समय तक बच्चों में श्वसन संक्रमण के लिए उत्तरदायी है।

भारत की स्थिति

- एक अध्ययन के मुताबिक विश्व में सबसे ज्यादा 2.5 PM के रूप में वायु प्रदूषक भारत में ही मौजूद हैं।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण की वजह से वर्ष 2017 में 1.24 मिलियन लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें 0.67 मिलियन शहरी प्रदूषण से तथा 0.57 मिलियन घरेलू प्रदूषण से।
- खराब वायु गुणवत्ता के कारण लाखों लोग अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या इनकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है।
- भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत है लेकिन इसके अनुपात में वायु प्रदूषण कहीं ज्यादा लगभग 26 प्रतिशत है।
- ICMR (Indian Council of medical Research), PHFI (Public Health Foundation of India), IHMI (India Hypertension Management Initiative) और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में वायु प्रदूषण का स्तर न्यूनतम होता तो लोगों के औसत उम्र में 1.7 वर्ष की वृद्धि हो जाती। भारत के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान में औसत आयु 2.5 साल, उत्तर प्रदेश में 2.2 साल, हरियाणा में 2.1 साल वायु प्रदूषण से उम्र घट जाती है।
- लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहाँ पर प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक $10mg/m^3$ से कम हो। भारत की 77 प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषक PM 2.5 (जो कि भारत के राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों $40Mg/m^3$ से अधिक है) में सांस लेने के लिए मजबूर है।

PM 2.5 क्या होता है?

PM यानी पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण की एक किस्म है। इसके कण बेहद सूक्ष्म होते हैं जो हवा में बहते रहते हैं। पीएम 2.5 या पीएम 10 हवा में कण के साइज को बताता है। आम तौर पर हमारे शरीर के बाल PM 50 के साइज के होते हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि PM 2.5 कितने बारीक कण होते हैं। किसी भी देश में हवा में PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने पर स्थिति खतरनाक मानी जाती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 14 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब है।

- **शहरी वायु प्रदूषणः** शहरों में वायु की गुणवत्ता आमतौर पर खराब हो गई है, जिसका मुख्य कारण बड़ी संख्या में वाहनों की वृद्धि है। इसके अलावा पर्यावरण मानकों को धता बताकर बढ़ता औद्योगिकीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अधिकांश भारतीय शहर विश्व के प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आते हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष पर है।
- शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के लिए उद्योग भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि अधिकांश उद्योग शहरों के पास स्थित हैं। इसके अलावा रासायनिक इकाइयों की एक बड़ी मात्रा शहरों में 30 किमी के भीतर संकेन्द्रित हैं। ऐसी ही कहानी अन्य शहरों की भी है।
- **ग्रामीण वायु प्रदूषणः** ग्रामीण भारत में गैर-वाणिज्यिक ईंधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिसमें फसल अवशेष, खाना बनाने के लिए पशुओं का गोबर तथा लकड़ी आदि शामिल हैं। हालाँकि धीरे-धीरे इनका उपयोग प्रतिव्यक्ति कुल ईंधन खपत के हिसाब से घट रहा है लेकिन अभी भी लगभग 80% ग्रामीण खाना बनाने के लिए इन परंपरागत ईंधनों का उपयोग करते हैं। जैव ईंधनों के उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषक मुक्त होते हैं जहाँ लोग प्रत्येक दिन भोजन के समय घरों के अंदर या पास होते हैं।

विश्व की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से दुनियाभर में 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। 2016 में 91 फीसदी शहरी आबादी जिस हवा में सांस ले रही थी, उसकी गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी।
- बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआई) की सालाना वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 95 फीसदी आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। वैश्विक तौर पर प्रदूषण से होने वाली मौतों में 50 फीसदी के लिए चीन और भारत अकेले जिम्मेदार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख के आंकड़ों के साथ भारत और चीन वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में शीर्ष पर हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2010 से वायु प्रदूषण के स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है।
- वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप, कुपोषण और धूम्रपान के बाद स्वास्थ्य जोखिमों से होने वाली मौतों का चौथा सबसे बड़ा कारण है।
- दुनिया में 15 साल से कम उम्र के करीब 93 प्रतिशत बच्चे (1.8 अरब) रोजाना ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, जो इतनी प्रदूषित हैं कि उससे उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास पर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्यूएचओ) के एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2016 में प्रदूषित हवा के कारण श्वसन तंत्र में गम्भीर संक्रमण उत्पन्न होने से 6 लाख बच्चों की मौत हो गयी थी।
- डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब कोई गर्भवती महिला प्रदूषित हवा के सम्पर्क में रहती है, तो उसके द्वारा समय से पहले, आकार में छोटे और कम वजन के शिशु को जन्म देने की आशंका बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र के विकास पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे बचपन में ही कैंसर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।

वायु प्रदूषण के स्त्रोत

1. **वाहनों द्वारा वायु प्रदूषणः** विभिन्न वाहनों से निकलने वाला धुआँ वायु प्रदूषण में सबसे अधिक सहायक है। इन धुओं में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं, जो वायुमण्डल को तो दूषित करती हैं साथ ही वायु की गुणवत्ता को भी नष्ट करती हैं। ये जहरीली गैसें कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि हैं। वायुयान से सल्फर-डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाईड्रोकार्बन, एल्डिहाइड आदि विषैली गैसें निकलती हैं।
2. **औद्योगिक प्रदूषणः** बड़े-बड़े शहरों में लगे विभिन्न उद्योग भी वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ऐसे उद्योग मुख्यतः सीमेन्ट, चीनी, इस्पात, रासायनिक खाद व कारखाना आदि से संबंधित हैं। उर्वरक उद्योग से नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटैशियम युक्त उर्वरक, पोटाश के कण, इस्पात उद्योग से कार्बन डाइ-ऑक्साइड, सल्फर डाइ-ऑक्साइड, धूल के कण, सीमेंट, सोडियम, सिलिकन के कण, वायु के साथ मिलकर वायुमण्डल को खराब कर देते हैं।
3. **कृषि क्रियाएँः** कृषि की फसलों को अनेक हानिकारक दवाएं नुकसान पहुँचाती हैं। ये दवाएँ छिड़काव के दौरान वायु व मृदा दोनों को प्रदूषित करती हैं। यह प्रदूषित वायु मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक होती है।
4. **व्यक्तिगत आदतेंः** वायु प्रदूषण का एक अन्य स्रोत लोगों की व्यक्तिगत आदतें हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से वायु में धुआँ फैलता है। इसी प्रकार घर का कूड़ा-कचरा बाहर फेंकने से भी वायु में कुछ कण प्रवेश करके प्रदूषण बढ़ाते हैं।
5. **प्राकृतिक स्रोत से वायु प्रदूषणः** प्राकृतिक विपदाएँ जैसे-ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापात भूस्खलन और सूक्ष्म जीव भी वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। वायु प्रदूषण से पर्यावरण के अजैविक (भौतिक) एवं जैविक संघटकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है-
   - मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव
   - मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
   - जैविक समुदाय पर प्रभाव

वायु प्रदूषण का प्रभाव

1. कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबीन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुणा अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है एवं जहरीला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन बनाती है, जिस कारण ऑक्सीजन की वायु में पर्याप्त मात्रा रहने पर भी श्वास में अवरोध (Suffocation) होने लगता है।
2. ओजोन की अल्पता होने पर गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है।
3. सल्फर-डाइ-ऑक्साइड मिश्रित नगरीय धूम कोहरे के कारण मनुष्य के शरीर में श्वसन प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है।
4. सल्फर-डाइ-ऑक्साइड के प्रदूषण द्वारा आँख, गले एवं फेफड़े का रोग भी होता है।
5. अम्ल वर्षा के कारण धरातलीय सतह पर जल भण्डारों का जल तथा भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है (जल में अम्लता बढ़ जाती है), जो लोग इस तरह के प्रदूषित जल का सेवन करते हैं, उनका स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है।

6. वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड के सान्द्रण में वृद्धि होने से वह मनुष्य के शरीर में सांस द्वारा पहुँचती है तथा ऑक्सीजन की तुलना में एक हजार गुना अधिक तेज गति से हीमोग्लोबीन से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, मसूढ़ों में सूजन हो जाती है, शरीर के अंदर रक्त स्त्राव होने लगता है तथा निमोनिया एवं फेफड़े का कैन्सर हो जाता है।
7. कारखानों एवं स्वचालित वाहनों से उत्सर्जित कणकीय पदार्थों, जैसे-सीसा, एसबेस्ट्स, जस्ता, ताँबा, धूल आदि के कारण मानव शरीरों में कई प्रकार के प्राण घातक रोग हो जाते हैं।
8. रसायनों एवं जहरीली गैसों का संयंत्रों से अचानक स्राव होने से वायु का प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है कि पलक झपकते ही सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं।

वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क

पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से निपटाना है। एनसीएपी का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है। हालांकि यह किसी विशिष्ट लक्ष्य और समय सीमा का उल्लेख नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय करने की योजना बना रहा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य है-

व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में प्रभावी और कुशल परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को विकसित करना।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकारी प्रयास

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं-

- शहरी जनसंख्या में लगातार बढोतरी हो रही है इसलिए सरकार द्वारा 'स्मार्ट सिटी मिशन' में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक स्थिर एजेंडे को शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ घरेलू वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 द्वारा अधिसूचित 12 प्रदूषकों पर बल दिया गया है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन की निगरानी के लिए नेटवर्क बनाया गया है।
- सीएनजी, एलपीजी जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन मानक लागू किये गये हैं तथा मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को शामिल कर औद्योगिक प्रदूषण के लिए अवसंरचना निर्माण, समान प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित किया जा रहा है।
- क्लीन इंडिया मिशन (स्वच्छ भारत अभियान) लांच किया गया है।
- नगर निगम को कचरे के प्रबंधन एवं उसके पुनर्चक्रण के लिए कई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।
- सीवेज ट्रीटमेंट सयंत्रों के मानकों की अधिसूचना हितधारकों की राय के लिए जारी की गई है।
- चुने गए 63 शहरों में भारत चरण IV मानकों तथा देश के शेष भागों में भारत चरण III मानकों को लागू किया गया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक दस शहरों के साथ लांच किया गया।
- जैव-भार जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कचरे निर्माण के दौरान उत्पन्न कचरे संबंधी और अपशिष्ट माल का सही रख-रखाव के लिए निर्देश जारी किये गये।
- एनसीआर में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए लघु अवधि की योजना की समीक्षा की गई और लम्बी अवधि की योजनाएं तैयार की गई हैं।
- कठोर औद्योगिक मानकों को तैयार कर लोगों/हितधारकों की राय के लिए अधिसूचित किया गया है।
- सरकार सार्वजनिक यातायात एवं प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है जिसमें शामिल हैं- मेट्रो, कार पूलिंग, वाहन रख-रखाव प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि।
- 2800 प्रमुख उद्योगों में से 920 उद्योगों में ऑनलाइन निरंतर (24×7) निगरानी व्यवस्था स्थापित किए हैं।

आगे की राह

1. समाज के प्रत्येक वर्ग को वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
2. वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों की जाँच के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रदूषण की नियमित मॉनीटरिंग की जानी चाहिए।
3. वायु प्रदूषकों को ऊपरी वायुमण्डल में विसरित एवं प्रकीर्ण करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि धरातलीय सतह पर इन प्रदूषकों का सान्द्रण कम हो जाये।
4. वायुमण्डल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किये जाने चाहिए।
5. कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए, यथा-सौर चालित मोटर कार।
6. प्राणघातक प्रदूषण करने वाली सामग्रियों तथा तत्त्वों के उत्पादन एवं उपभोग में तुरंत रोक लगानी चाहिए।
7. वायु प्रदूषण के नियंत्रण के वर्तमान तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नये प्रभावी तरीकों की खोज के लिए कारगर प्रयास किये जाने चाहिए।
8. विभिन्न उद्योगों की स्थापना के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये जाने चाहिए।
9. ऐसे उद्योग, जो भारी प्रदूषण फैलाते हों, उन्हें रिहायशी स्थानों से काफी दूर रखना चाहिए।
10. वाहनों के प्रदूषणों के बारे में राज्य सरकार से संबंधित विभागों द्वारा वाहनों की नियमित जाँच की जानी चाहिए।
11. कारखानों के पास वृक्ष लगाने से कई प्रकार के प्रदूषक तत्त्व उनके द्वारा अवशोषित होते हैं, अतः भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
12. वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु समय-समय पर उपायों के लिए कुशल डेटा प्रसार और सार्वजनिक आउटरीच तंत्र विकसित की जानी चाहिए।
13. वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

अभिनव भारत की रणनीति @ 75: नीति आयोग

प्र. हाल ही में नीति आयोग ने नव भारत के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति उद्घाटित की है, जो कि वर्ष 2022-23 तक के निर्धारित लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- रिपोर्ट की मुख्य बातें
- नव भारत के लिए रणनीति
- आलोचना
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में नीति आयोग ने नव भारत के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति उद्घाटित की है, जो कि वर्ष 2022-23 तक के निर्धारित लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। इस रणनीति में 41 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जो कि भारत की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। इस रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में अभी तक हुई प्रगति, बाधाएँ तथा उन बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव का विवरण दिया गया है।

परिचय

- प्रधानमंत्री की ओर से किए गए 2022 तक अभिनव भारत की स्थापना के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए नीति आयोग ने पिछले वर्ष नवम्बर से ही इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था जिसका परिणाम 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' जैसे दस्तावेज के रूप में सामने आया।
- इस दस्तावेज की प्रस्तावना में प्रधानमंत्री ने कहा है, ''नीति आयोग द्वारा लाई गई 'अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति' नीति निरूपण और कार्यान्वयन के मूल में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और दक्ष प्रबंधन को एक साथ लाने का प्रयास है। यह विचार विमर्श और चर्चा को प्रोत्साहन देगी तथा हमारे नीतिगत दृष्टिकोण को और परिष्कृत करने के लिए फीडबैक आमंत्रित करेगी। हमारा मानना है कि आर्थिक बदलाव जन भागीदारी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। विकास को हर हाल में जन आंदोलन बनना चाहिए।''

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- इस दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, ताकि निजी निवेशक और अन्य हितधारक अभिनव भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें और 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकें।
- दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों : वाहक, अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है।

नव भारत के लिए रणनीति

- नव भारत बनाने के लिए विकास व्यापक स्तर पर होना चाहिए जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी भूमिका समझनी होगी। जिस प्रकार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी भारतीयों के प्रतिबद्ध होने से पाँच वर्ष के भीतर भारत को स्वाधीनता प्राप्त हो गयी थी उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय को प्रतिबद्ध होकर 2022 तक नव भारत बनाने का संकल्प भी लेना होगा। विकास को निचले स्तर से प्रारंभ करना होगा तथा नीतियों को व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाना होगा ताकि समावेशी विकास द्वारा उच्च आर्थिक संवृद्धि प्राप्त की जा सके।
- विकासात्मक रणनीति इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी क्षेत्र का संतुलित विकास हो सके। इसके लिए तकनीक तथा कौशल का विकास आवश्यक है। संतुलित विकास के लिए हमें कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना होगा साथ ही पूर्वोत्तर भारत के कम विकसित क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। इन सबके विकास द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित एवं उच्च गति से बढ़ेगी तथा एक सशक्त भारत के निर्माण का सपना सच होगा।

आलोचना

- रिपोर्ट में तकनीकी को क्षमता निर्माण और उन्नयन के रूप में देखा गया है जबकि यथार्थ में केवल तकनीक द्वारा ही यह संभव नहीं है।
- आवास तथा भौतिक अवसंरचना में निवेश पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है जबकि बहस इस बात की है कि क्या केवल सामाजिक क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश तर्कसंगत है?

निष्कर्ष

- भारत विश्व की तीव्रतम गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 25 वर्षों में हमने लगभग 7% की औसत वृद्धि दर को कायम रखा है। स्वतंत्रता पश्चात से लेकर अभी तक भारत ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, इसमें अंतरिक्ष, सैन्य, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, उद्योग आदि सम्मिलित हैं।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी हमने पर्याप्त मजबूत किया है और लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। परंतु हमें अपनी कमियों एवं कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा। ■

चुनावों में मुफ्त उपहार की बढ़ती संस्कृति

प्र. भारत में चुनावों के ठीक पहले या बाद में मुफ्त में सामान बाँटने या कर्ज माफी जैसी परंपरा प्रारम्भ हो गई है। क्या ऐसी परंपरा लोकतंत्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए उचित कदम है? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- मुफ्त उपहार संस्कृति का औचित्य
- विकास की उम्मीदें
- प्रलोभन देने वाले वादों पर निगरानी जरूरी
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- चुनावी घोषणापत्र में वादे करके मुफ्त सामान बांटने या कर्ज माफी की परंपरा हमारे देश में आजादी के बाद से ही प्रारम्भ हो गयी थी जो वर्तमान में भी जारी है। हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन ने आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुफ्त में सामान बांटना या किसानों का कर्ज माफ करना देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही बैंकों की सेहत बिगड़ती है एवं राजस्व घाटे में बढ़ोतरी भी होती है।

पृष्ठभूमि

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रायः हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वस्थ एवं स्वच्छ निर्वाचन लोकतंत्र की बुनियाद होती है। भारत में लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा आजादी के चार वर्षों के बाद सम्पन्न हुई जिसके अंतर्गत 1951-1952 में प्रथम आम चुनाव हुए। उसी समय से गरीबों आदि के लिए विभिन्न तरह के वादे किये जाने लगे थे। लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी व्यवस्था में गरीब जनता को न्यूनतम सुविधा लाभ देना जरूरी भी है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2013 के अपने आदेश में कहा था कि "यह नियम स्पष्ट है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट कार्य' नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी तरह का मुफ्त सामान बांटने से निश्चित तौर पर लोगों पर प्रभाव पड़ता है और इससे समान प्रतिद्वंद्विता प्रभावित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की जड़ें हिला देता है" (एस. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु)।

मुफ्त उपहार संस्कृति का औचित्य

- यूपीए शासन में शुरू हुई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कुछ वर्ष पहले तक कई राजनीतिक दल आलोचना करते रहे, लेकिन कई राज्यों में बहुत हद तक इसका सही लाभ भी पहुंचा। स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना का उन्नयन भी लगभग 10 वर्ष पहले असंगठित श्रमिकों के लिए 30 हजार रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा वाली बीमा योजना से प्रारंभ हुआ था। अब नई योजना के तहत पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दस करोड़ परिवारों को देने का लक्ष्य रखा गया है।

विकास की उम्मीदें

- आमतौर पर हमारे यहाँ मतदाता नकारात्मक मतदान करता है, यानी जो उसको पसंद नहीं उसके खिलाफ मतदान करता है। बहुत कम राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनको पचास फीसदी से ज्यादा वोट हासिल होते होंगे। कई बार तो वे जितने वोट हासिल करते हैं, उनसे ज्यादा तो उनके खिलाफ होते हैं।
- लोकलुभावन घोषणाएँ एक बार सही हो सकती हैं लेकिन ऐसी घोषणाएँ या उनका अनुपालन समस्या का कोई स्थायी या दीर्घकालीन समाधान नहीं है।

प्रलोभन देने वाले वादों पर निगरानी जरूरी

- वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकलुभावन वादे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कई बार ऐसे वादें कर दिये जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संभव नजर नहीं आते। राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर मतदाता न ही पूरी तरह से भरोसा कर पाता है और न ही वह अविश्वास प्रकट कर पाता है।
- ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे तार्किकता के साथ मतदान करें या ऐसे लोक लुभावन वादों पर आश्रित हो जाएँ जो संभवतः पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है, उसे यह देखना चाहिए कि वादों में तार्किकता है या नहीं।

चुनौतियाँ

- चुनाव के दौरान अपने किये वादे पूरे करने के लिए मौजूदा सरकार ने चुनाव के दौरान अपना तरीका यह बताया था कि विदेशों में जमा काला धन लाकर और जनता में बांटकर खुशहाली लाएंगे, अपने योग्य प्रबंधन के हुनर से बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाकर, बिचौलिये हटाकर महंगाई खत्म करेंगे और देश की आधी से ज्यादा आबादी, यानी किसानों को उसके उत्पाद की लागत का 50 फीसदी लाभ दिलाएंगे, जिससे उनका संकट दूर हो जाएगा।

आगे की राह

- भारत 1950 में पूर्णतः लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था, लेकिन वर्ष 1991 तक उसने मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले थे। इस रोचक ऐतिहासिक क्रम का अर्थ यह है दायित्वों और बाध्यताओं के बारे में जानने से पहले हम अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में जान चुके थे।
- हकीकत यह है कि सारी घोषणाएँ जनता के लिए नहीं बल्कि वोट हासिल करने के उद्देश्य से ही होती हैं। किसी भी राजनीतिक दल को अपना घोषणापत्र इस तरह से बनाना चाहिए जिससे उसकी मंशा जनता का विकास करना हो। इसके घोषणापत्र का राजनीतिक और वित्तीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ■

चीन–म्यांमार आर्थिक गलियाराः एक अवलोकन

प्र. हाल ही में प्रस्तावित चाइना-म्यांमार आर्थिक गलियारे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस परियोजना का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- चीन-म्यांमार संबंध
- चीन-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और भारत
- भारत की चिंताएँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को बेल्ट एंड रोड परियोजना (BRI) की देख-रेख के लिए एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका उद्देश्य बीआरआई (BRI) के तहत चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे (CMEC) की संयुक्त स्थापना को लागू करना है।
- यह समिति न केवल म्यांमार को बीआरआई से जुड़ने के महत्व का संकेत देती है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करती है कि बीआरआई (BRI) चीन और म्यांमार के बीच व्यापक रणनीतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परिचय

- ज्ञातव्य है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और म्यांमार की राज्य सलाहकार आंग सान सू की द्वारा 2017 के अंत में 'एक पट्टी एक मार्ग' गलियारे का निर्माण करने की महत्वपूर्ण सहमति व्यक्त की गई थी। इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए चीनी राष्ट्रीय सुधार और विकास आयोग के उपाध्यक्ष 'निगं च्यी च' ने 24 से 27 नवंबर 2018 तक म्यांमार की यात्रा की।
- उन्होंने आंग सान सू की तथा म्यांमार के वित्त मंत्री व वाणिज्य मंत्रालय सहित 11 विभागों और संबंधित प्रधानों के साथ कार्य सभा का आयोजन भी किया। दोनों देशों ने चीन-म्यांमार आर्थिक गलियारे के निर्माण को व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाने, रंगून औद्योगिक न्यू सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहयोग करने आदि मुद्दों पर व्यापक सहमतियाँ व्यक्त की।

चीन-म्यांमार संबंध

- म्यांमार पर कूटनीतिक संतुलन बनाये रखने का दबाव है क्योंकि रोहिंग्या संकट की वजह से पश्चिमी देशों ने नैप्यीदा (म्यांमार की राजधानी) से दूरी बना रखी है और इस सूरत में चीन की तरफ म्यांमार का झुकाव बढ़ता जा रहा है। म्यांमार पहले से ही चीन की तरफ राजनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए झुका हुआ है, इस स्थिति का बीजिंग पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है।
- म्यांमार में सैनिक शासन के दौरान चीन और म्यांमार में बहुत घनिष्ठ सामरिक सम्बन्ध रहे हैं, लेकिन जब सैनिक शासन की जगह 2010 में लोकतंत्र ने ली तो चीन-म्यांमार के रिश्तों में अनिश्चितता आई। उसके बाद के वर्षों में म्यांमार ने चीन प्रायोजित दो प्रोजेक्ट रद्द कर दिए, 2011 में 'मैत्सोन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट' और 2013 में लेत्पेदौंग की तांबे की खान से संबंधित परियोजना। इससे दोनों के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते की शुरूआत हुई।

चीन-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और भारत

- पिछले 70 वर्षों के दौरान ज्यादातर समय दक्षिण एशिया का विचार भारत पर आधारित था, जिसे सामंजस्य का वाहक (एजेंट) माना जाता था। पहले इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव महज धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत ही नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक चिंतन और आर्थिक मॉडलों के केंद्र में भी था।
- अब यह आज के दौर में सच नहीं रह गया है। यूं तो दक्षिण एशिया आज भी एक भौगोलिक इकाई की तरह मौजूद है, लेकिन इसके आर्थिक और राजनीतिक महत्व का केंद्र लगातार भारत से दूर खिसकता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया की पुरानी संरचना नष्ट नहीं हुई है लेकिन इसमें कमी आ रही है।

भारत की चिंताएँ

- गौरतलब है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) पर भारत ने आपत्ति जताई थी। अब म्यांमार में भी चीन ऐसा ही गलियारा बनाने की तैयारी में है। अगर यह परियोजना अमल में आती है तो बड़ी मात्रा में चीन की पूंजी म्यांमार में निवेश होगी, इससे भारत का अपने पड़ोसी देश म्यांमार पर पकड़ कमजोर होगी।
- भारत-म्यांमार संबंध 'एक्ट ईस्ट नीति' तथा 'पहले पड़ोसी' के विषय पर आधारित है। इन दोनों नीतियों का लक्ष्य दोनों देशों के बीच एक स्वतंत्र, सक्रिय और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को लेकर चलना है। विशेष रूप से म्यांमार आसियान देशों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है।
- म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं। म्यांमार इन चार राज्यों से 1643 किमी की सीमा साझा करता है। इस तरह से देखा जाए तो चीन इस आर्थिक गलियारे के सहारे भारत के पूर्वी राज्यों तक आसानी से पहुँच सकता है।

आगे की राह

- चीन, ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी से अमेरिका की वापसी के बाद इस खाली स्थान को भरने की मांग कर रहा है और भारत को भी इसमें शामिल करना चाहता है जो 'एशियाई शताब्दी' के दृष्टिकोण से एक प्रकार से उचित भी है। ऐसे में भारत को चीन के लिये एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिसमें न केवल आर्थिक रूपरेखा हो बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की रणनीति भी हो। भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति पर पुनः विचार करने की जरूरत है, साथ ही 'पहले पड़ोसी' की नीति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत सार्क, बिम्सटेक, आसियान, एससीओ जैसे क्षेत्रीय संगठनों की मदद भी ले सकता है। ■

ब्रेक्जिट समझौताः अब तक की यात्रा

प्र. ब्रेक्जिट डील के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की सम्यक विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- ब्रेक्जिट की माँग क्यों?
- ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 12 दिसंबर, 2018 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे (Theresa May) को खुद की पार्टी में ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि ब्रिटेन की संसद के निचले सदन में बेक्जिट डील पर वोटिंग को थेरेसा मे ने टाल दिया।
- वोटिंग टालने के बाद विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट डील में नरमी बरतने के लिए थेरेसा सदस्य देशों से संपर्क साधने में जुटी हुई हैं। हालाँकि यूरोपीय संघ किसी भी प्रकार के नरमी के मूड में नहीं है।

परिचय

- ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। ब्रेक्जिट दो शब्दों के मेल से बना है- ब्रिटेन+एक्जिट (Britain+Exit)। 2016 में ब्रिटेन के लोगों ने जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। इस जनमत संग्रह के दो साल से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद ब्रेक्जिट डील को ब्रिटेन की संसद से मंजूरी नहीं मिल पाई है। ब्रेक्जिट के लिए डेडलाइन 29 मार्च, 2019 तय किया गया है।

ब्रेक्जिट की माँग क्यों?

- यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन से कई अरब पाउण्ड, लगभग 13 मिलियन यूरो सदस्यता शुल्क के रूप में लेता है जो अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके प्रत्युत्तर में उसे बहुत कम राशि ही, लगभग 7 मिलियन यूरो प्राप्त होती है।
- यूरोपियन यूनियन में लाल फीताशाही का काफी वर्चस्व है। इस वजह से ब्रिटेन का आर्थिक विकास काफी प्रभावित होता है।
- ब्रिटेन के चारों ओर मत्स्य उद्योग संबंधी विनियमन भी ईयू ही तैयार करता है, जो उनकी स्वायत्तता को प्रत्यक्ष तौर पर चोट पहुँचाती है। ईयू की इस नीति के कारण ब्रिटेन को लाभ न होकर यूरोप के बाजार को इससे लाभ पहुँचता है।

ब्रेक्जिट का भारत पर प्रभाव

- यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला कर ब्रिटेन ने अपना भविष्य तो तय कर लिया है परंतु उनका यह फैसला कई देशों से उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा।
- भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत ब्रिटेन को अपने लिए यूरोप का द्वार मानता आया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में भारत की कई बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं। ब्रिटेन के लिए भारत इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय कंपनियाँ भी यूरोपीय संघ के 'मुक्त बाजार प्रणाली' (Free Market System) के तहत ब्रिटेन से बाकी यूरोपीय देशों में आसानी से कारोबार करती रही हैं। लेकिन ब्रिटेन के अलग होने से भारतीय कंपनियों को वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, जिसका असर भारतीय कारोबारियों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

चुनौतियाँ

- थेरेसा के समक्ष सर्वप्रमुख चुनौती है, बेक्जिट डील को संसद से पास कराना जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ की है। जब थेरेसा को यह महसूस हुआ कि इस डील को संसद से पास कराने के लिए उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उन्होंने इस डील पर वोटिंग कराना जरूरी नहीं समझा और इसे स्थगित कर दिया।
- इसके पश्चात थेरेसा ने इस डील संबंधी जटिलताओं में कुछ ढील देने के लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कुछ अन्य सदस्य देशों जैसे-नीदरलैण्ड और जर्मनी का दौरा किया। साथ ही ईयू के अध्यक्ष जां-क्ला जॉन्कर से मुलाकात की। थेरेसा मे का मानना है कि यदि वह ब्रेक्जिट डील में ईयू के सदस्य देशों से कुछ ढील दिलवा पाने में सफल हो जाती हैं तो इस डील को संसद से पास करवाना उनके लिए काफी आसान हो जाएगा।

निष्कर्ष

- ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन का ईयू से व्यापार कम होगा। इस समय ब्रिटेन का ईयू से व्यापार लगभग 50 प्रतिशत होता है। यह संभावना जतायी जा रही है कि ब्रिटेन का ईयू से अलग होने के बाद व्यापार में कमी आएगी और उन्हें एक नए बाजार के रूप में एशियाई देश भारत, चीन आदि की जरूरत होगी। ■

कोयला क्या आज भी वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है

प्र. हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय बने कोयला संसाधित विनियमों/अधिनियमों को वापस लेने की घोषणा की है। इस संदर्भ में कोयले का ऊर्जा क्षेत्र में महत्ता का उल्लेख करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भारत में कोयलाः एक परिदृश्य
- वैश्विक परिदृश्य
- भारत और चीन की तुलना
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय बने कोयले से संबंधित विनियमों/अधिनियमों को वापस लेने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि इन विनियमों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ नये कोयला जनित संयंत्रों की स्थापना को रोकना था।

परिचय

- कोयला प्राचीन समय से ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, जो आज भी पृथ्वी पर बिजली/ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी वैश्विक स्तर पर कोयले की खपत पहले की तुलना में काफी कम हुई है। पिछले 25 वर्षों में कोयले की मांग स्थिर रही है। ऐसा अनुमान है कि चीन वर्ष 2040 तक कोयले की वैश्विक मांग का 40% उपभोगकर्ता बना रहेगा।

भारत में कोयलाः एक परिदृश्य

- भारत में कुल कोयले का भण्डार 300 बिलियन टन से थोड़ा अधिक अनुमानित है। अगर इस भण्डार का 50 फीसदी कोयला निकाल लिया गया हो तो भी भारत में प्रतिवर्ष 1 बिलियन टन कोयले की उपलब्धता लगभग 150 वर्षों तक बनी रहेगी। आज भी भारत में बिजली उत्पादन के लिए कोयले को विश्वसनीय स्रोत के रूप में माना जाता है।
- भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 63% भाग कोयला ही पूरा करता है। साथ ही देश में कुल बिजली उत्पादन में इन जीवाश्म ईंधनों का योगदान लगभग 61 फीसदी है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। कोयला निकट भविष्य में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी बिजली उद्योग के नकारात्मक प्रभाव का प्रबंधन भी प्राथमिकता में होना चाहिए।

वैश्विक परिदृश्य

- सामान्यतः विकसित देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कोयले की तुलना में अन्य स्रोतों से करते हैं वहीं विकासशील देश अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए कोयले का अधिक इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत जैसे देशों को लिया जा सकता है। हालाँकि कुछ विकसित देश भी कोयले का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता बरकरार है जबकि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है। ऐसी ही स्थिति अमेरिका की भी है जो आज भी अपने कायेले के प्लांट के संरक्षण की बात कर रहा है।

भारत और चीन की तुलना

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की आउटलुक के अनुसार, भारत और चीन में कोयला जनित बिजली घर अन्य देशों की तुलना में अधिक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। वर्ष 2017 में चीन में कोयले की खपत 2013 की तुलना में 1893 मिलियन टन तेल के बराबर थी, जो वैश्विक कोयले की खपत का 51 प्रतिशत था। चीन की प्रति व्यक्ति कोयले की खपत वर्ष 2013 में 1.45 टन तेल के बराबर थी जो 2017 में घटकर 1.37 टन तेल के बराबर हो गई है।

प्रभाव

- औद्योगिक युग को बल देने वाले कोयले ने धरती को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन की कगार पर ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल वार्मिंग संबंधी साइंटिफिक पैनल ने पाया है कि भयंकर विनाश को टालना है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में कुछ ही वर्षों में बुनियादी बदलाव लाना होगा। सबसे पहले कोयले से मुक्ति पानी होगी और वह भी बहुत जल्दी।
- हालाँकि पेरिस समझौते के तीन साल बाद भी कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। भविष्य में कोयले का इस्तेमाल दुनियाभर में समाप्त होना तो तय है पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक यह इतनी तेजी से नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों को टाला जा सके।

आगे की राह

- आज विश्व के सामने यह समस्या है कि विकास को सतत एवं दीर्घगामी रूप कैसे दिया जाए? गौरतलब है कि यह उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के नियंत्रित उपयोग से ही यह संभव होगा। कोई भी विकास तब तक सतत नहीं हो सकता जब तक कि ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित न हो। हाल के वर्षों में समूची दुनिया में सतत विकास की अवधारणा को बल मिला है जिसने पर्यावरणीय मुद्दों को उभारा है।
- भले ही कोयला हमारे विकास इंजन के लिये जंक फूड की तरह है लेकिन हमें विकास कार्यों को बाधित किये बिना अपने लिये नए ऊर्जा विकल्प तलाशने होंगे। भारत ने इस ओर अपने कदम भी बढ़ाए हैं और वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अतः इस लक्ष्य को दृढ़ता से हासिल करने की आवश्यकता है ताकि बिना विकास कार्यों को रोके भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके।

जलवायु नियम पुस्तिकाः लक्ष्यों की पड़ताल करता एक दस्तावेज

प्र. सीओपी 24 (COP 24) में अपनाये गये 'नियम पुस्तिका' पेरिस समझौते को लागू कर पाने में कहाँ तक कारगर साबित होगा? समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- नियम पुस्तिका में क्या है?
- सीओपी 24 और भारत के लिए चुनौतियाँ
- जलवायु परिवर्तन और भारत
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए

पार्टियों के सम्मेलन की 24वीं बैठक (COP 24) कैटोविस, पोलैण्ड में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में, 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए एक 'नियम पुस्तिका' (Rulebook) जारी की गयी। इससे पेरिस समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो 2020 में मौजूदा क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा।

परिचय

- इस वर्ष पोलैण्ड के कैटोविस शहर में आयोजित 'जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन' जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस सम्मेलन में एक 'नियम पुस्तिका' को जारी किया गया, जिसने पेरिस समझौते को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। इस प्रकार जहाँ एक ओर इस सम्मेलन में, 2015 में संपन्न हुए पेरिस समझौते की प्रक्रिया पर कुछ प्रगति हुई थीं वहीं दूसरी ओर इसमें जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित गरीब और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों की उपेक्षा की गयी।

नियम पुस्तिका में क्या है?

- पेरिस समझौते के अन्तर्गत वैश्विक औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक कम करने की बात की गयी है। यह पुस्तिका मुख्य तौर पर यह बताती है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए विश्व के देशों द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- नियम पुस्तिका में यह बताया गया है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना है और किस प्रकार से उनका मापन (Measured) और सत्यापन (Verified) करना है। उदाहरणस्वरूप, पेरिस समझौते में कहा गया है कि प्रत्येक देश के पास एक जलवायु कार्य योजना होनी चाहिए और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए साथ ही इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय को प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए।

सीओपी 24 और भारत के लिए चुनौतियाँ

- वर्तमान में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और उभरते हुए देशों जैसे भारत और चीन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करें। भारत जैसे देशों के लिए अपने राष्ट्रीय जरूरतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती है। पेरिस समझौते के तहत भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों को उनकी क्षमता के अनुसार थोड़ी राहत देने का आश्वासन दिया गया था। परंतु कैटोविस का यह सम्मेलन भारत के समक्ष, प्रमुख रूप से दो चुनौतियाँ लेकर सामने आया है।

जलवायु परिवर्तन और भारत

- एक अनुमान के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति 1.2 टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति 4.2 टन (CO_2) के उत्सर्जन से काफी कम है। जबकि जलवायु परिवर्तन पर कार्बन उत्सर्जन का संचयी प्रभाव पड़ता है। 2018 में भारत में उत्सर्जन वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहा है।
- वैश्विक जलवायु समझौते के लिए एक सदस्य के रूप में भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन का सही से आकलन करना और कार्बन न्यूनीकरण के लक्ष्य को अपनाना है। इसके लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन करने, भवन निर्माण, कृषि और परिवहन आदि को पर्यावरण अनुकूल बनाने जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि चीन ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में काफी बढ़त हासिल कर ली है। जबकि संयुक्त राज्य अमरीका की कुछ राज्य सरकारें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में काफी सफलताएँ अर्जित कर ली हैं जबकि भारत द्वारा अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आगे की राह

- पोलैण्ड के कैटोविस शहर में आयोजित 24वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनायी गयी 'नियम पुस्तिका' के माध्यम से पेरिस समझौते को लागू करने की जरूरत है। इस पुस्तिका में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को रोकने के लिए सभी देशों के नागरिकों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर दिया गया है। ■

भारत में वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता

प्र. हाल ही में 'लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनियाभर में 15 फीसदी मौतें समय से पूर्व हो जाती हैं। इस संदर्भ में वायु प्रदूषण के कारणों का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वायु प्रदूषण क्या है?
- भारत की स्थिति
- विश्व की स्थिति
- प्रभाव
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भारत में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं।

वायु प्रदूषण क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ''वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं।'' दूसरे शब्दों मे वायुमण डल में विद्यमान सभी अवांछनीय अवयव की वह मात्रा, जिसके कारण जीवधारियों को हानि पहुँचती है, वायु प्रदूषण कहलाता है।''

भारत की स्थिति

- एक अध्ययन के मुताबिक विश्व में सबसे ज्यादा 2.5 PM के रूप में वायु प्रदूषक भारत में ही मौजूद हैं।
- अध्ययन के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण की वजह से वर्ष 2017

में 1.24 मिलियन लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें 0.67 मिलियन शहरी प्रदूषण से तथा 0.57 मिलियन घरेलू प्रदूषण से।

- खराब वायु गुणवत्ता के कारण लाखों लोग अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या इनकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है।

विश्व की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से दुनियाभर में 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। 2016 में 91 फीसदी शहरी आबादी जिस हवा में सांस ले रही थी, उसकी गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी।
- बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (एचईआई) की सालाना वैश्विक वायु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 95 फीसदी आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है। वैश्विक तौर पर प्रदूषण से होने वाली मौतों में 50 फीसदी के लिए चीन और भारत अकेले जिम्मेदार हैं।

प्रभाव

- ओजोन की अल्पता होने पर गोरी चमड़ी के लोगों में चर्म कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है।
- सल्फर-डाइ-ऑक्साइड मिश्रित नगरीय धूम कोहरे के कारण मनुष्य के शरीर में श्वसन प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- सल्फर-डाइ-ऑक्साइड के प्रदूषण द्वारा आँख, गले एवं फेफड़े का रोग भी होता है।

सरकारी प्रयास

- स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं को शामिल कर औद्योगिक प्रदूषण के लिए अवसंरचना निर्माण, समान प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित किया जा रहा है।
- क्लीन इंडिया मिशन (स्वच्छ भारत अभियान) लांच किया गया है।
- नगर निगम को कचरे के प्रबंधन एवं उसके पुनर्चक्रण के लिए कई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।
- सीवेज ट्रीटमेंट सयंत्रों के मानकों की अधिसूचना हितधारकों की राय के लिए जारी की गई है।

आगे की राह

- समाज के प्रत्येक वर्ग को वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों की जाँच के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रदूषण की नियमित मॉनीटरिंग की जानी चाहिए।
- वायु प्रदूषकों को ऊपरी वायुमण्डल में विसरित एवं प्रकीर्ण करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए, ताकि धरातलीय सतह पर इन प्रदूषकों का सान्द्रण कम हो जाये।
- वायुमण्डल में सकल प्रदूषण भार को घटाने के लिए सक्रिय प्रयास किये जाने चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. महिलाओं के यौन शोषण से सम्बन्धित कानून

हाल ही में राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके दायरे में अधिकार के पदों पर बैठे जिम्मेदार व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी आते हैं, जिनके द्वारा महिलाओं के यौन शोषण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध का प्रावधान है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। सजा पांच साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। उलेखनीय है कि ऐसा कानून लागू करने वाला जम्मू-कश्मीर देश में पहला राज्य बन गया है।

बैठक में भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2018 और जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 को भी मंजूरी दी गई है। विदित हो कि विधेयक में रणबीर दंड संहिता में संशोधन किया गया है, जिससे धारा 354 ई के तहत विशिष्ट अपराध सेक्सटॉर्शन को शामिल किया गया है।

इसके तहत कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी लाभ के बदले महिला का सेक्सुअल फेवर चाहता है तो यह सेक्सटॉर्शन की श्रेणी में आएगा। इसमें पीड़ित की सहमति से यौन लाभ का कोई भी बचाव काम न आएगा।

इसके साथ ही धारा 154, 161 में संशोधन किए जा रहे हैं और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53 और एविडेंस एक्ट की धारा 53 ए में भी संशोधन होगा ताकि रणबीर दंड संहिता के तहत निर्धारित समान अपराधों के तहत इसे लाया जा सके।

पृष्ठभूमि

यह संशोधन जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति आलोक अराधे द्वारा 15 अक्टूबर को एक आदेश पारित किए जाने के बाद आया था। अदालत ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह सेक्सटॉर्शन की अवधारणा की जांच लागू कानूनों के संदर्भ में करे।

RPC के बारे में

- RPC (Ranbir Panel Code) भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में लागू मुख्य आपराधिक कोड है।
- भारतीय दंड संहिता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत यहां लागू नहीं है।
- डोगरा राजवंश के दौरान रणबीर सिंह द्वारा कोड पेश किया गया था और यह 1932 से लागू हुआ।
- कोड का प्रावधान थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। ■

2. कंप्यूटर संसाधनों की निगरानी हेतु एजेंसियों का गठन

हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को देश के किसी भी कंप्यूटर की निगरानी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर एवं इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी डिवीजन ने कंप्यूटर डेटा की जांच के संबंध में आदेश-पत्र जारी किया है।

- ये 10 एजेंसियां हैं: इंटेलीजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व इंटेलीजेंस निदेशालय, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सचिवालय (रॉ), सिग्नल इंटेलीजेंस निदेशालय (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य)।
- केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना खंगालने, निगरानी करने और जांच करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा) नियमावली 2009 के नियम 4 से यह प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी किसी सरकारी एजेंसी को किसी कम्प्यूटर संसाधन में सृजित, पारेषित, प्राप्त अथवा संरक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 69 की उप धारा (1) में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए खंगालने, निगरानी करने अथवा जांच करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- वर्ष 2009 में तैयार की गई नियमावली और तब से लेकर प्रभावी नियमों के अनुसार वैधानिक आदेश, किसी सुरक्षा अथवा कानून का अमल करने वाली एजेंसी को कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है।
- मौजूदा आदेशों को कूटबद्ध करने के लिए आईएसपी, टीएसपी, मध्यवर्तियो आदि को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। खंगाले जाने, निगरानी से जुड़े और जांच से जुड़े प्रत्येक मामले के लिए सक्षम अधिकारी यानि केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा मंजूरी प्राप्त करनी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना खंगालने, निगरानी करने और जांच करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा) नियमावली 2009 के अनुसार राज्य सरकारों में भी सक्षम अधिकारी के पास ये शक्तियां उपलब्ध हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना खंगालने, निगरानी करने और जांच करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा) नियमावली 2009 के नियम 22 के अनुसार खंगालने अथवा निगरानी करने अथवा जांच करने के लिए ऐसे सभी मामले को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति में रखना होगा, जिसकी ऐसे मामले की समीक्षा संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी।
  - यह सुनिश्चित करना कि किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना को खंगाले जाने, निगरानी करने अथवा जाँच करने का कार्य यथोचित कानूनी प्रक्रिया के साथ किया गया है।
  - उपर्युक्त अधिसूचना यह सुनिश्चित करेगी की कम्प्यूटर संसाधन को कानूनी तरीके से खंगाला गया है अथवा निगरानी की गई है और इस दौरान कानून के प्रावधानों का पालन किया गया है।

मुख्य चिंताएँ

- पहले आईबी के पास उपकरणों को जप्त करने की शक्ति नहीं थी लेकिन अब उनको ये शक्ति प्रदान की गई है। वे सिर्फ कॉल या ईमेल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पर पाए जाने वाले किसी भी डेटा को जप्त कर सकते हैं।
- एजेंसियों को बिना किसी जांच और पड़ताल के कंप्यूटर को जप्त करने के लिए दी गई व्यापक शक्तियां बेहद चिंताजनक हैं। इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।
- सरकार जांच एजेंसियों का दुरूपयोग कर अब किसी भी व्यक्ति के डाटा की जांच करवा सकती है क्योंकि इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
- यह आदेश नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

पक्ष में तर्क

- संबंधित अधिसूचना में जांच एजेन्सियों को कोई नया अधिकार नहीं दिया गया है और गृह मंत्रालय ने जांच की अनुमति देने का अधिकार अपने पास ही रखा है।
- यह आदेश हर व्यक्ति और हर कंप्यूटर के लिए नहीं है बल्कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में ही लागू होगा।
- यह आदेश वर्ष 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में बनाये गये कानून पर ही आधारित है और इसे फिर से लागू किया गया है।
- इसमें उन्हीं एजेन्सियों के नाम शामिल किये गये हैं जिन्हें 2009 के कानून में भी इस तरह की जांच का अधिकार दिया गया था।■

3. उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम, 2018

- 14 दिसंबर 2018 को, सरकार ने इन-फ्लाइट कॉल, मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिससे देश में चल रही भारतीय और विदेशी एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियाँ को एक वैध भारतीय दूरसंचार लाइसेंस धारक के साथ साझेदारी में उड़ान और समुद्री यात्रा के दौरान वोइस और डेटा सेवाएं प्रदान करने की इजाजत मिली है। इन नियमों को उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी नियम, 2018 कहा गया है और वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि पर लागू होंगे।
- इन-फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी (आईएफएमसी) को जमीन पर दूरसंचार नेटवर्क के साथ-साथ उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान किया जा सकता है।
- भारत में एक वैध दूरसंचार लाइसेंस धारक घरेलू और विदेशी उपग्रहों के माध्यम से सेवा प्रदान कर सकता है जिनके पास ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुमति है।
- स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में 3,000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई प्राप्त होने के बाद आईएफएमसी सेवाओं को सक्रिय किया जाएगा।

10 साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस

इस सेवा के लिए लाइसेंस 1 रुपये के वार्षिक शुल्क पर 10 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंस धारक से सरकार रेडियो तरंग शुल्क और राजस्व में हिस्सा लेगी। उपग्रहों के माध्यम से यह सेवा देने के लिए जरूरी होगा कि टेलीग्राफ संकेतों को भारतीय सीमा में स्थापित संचार उपग्रह प्रवेश-द्वार केंद्रों के रास्ते ही भेजा जाए। ये केंद्र भारत में लंबी दूरी की दूरसंचार सेवाएं देने वाली कंपनियों (एनएलडी) और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों (आईएसपी) के साथ परस्पर जुड़े होंगे।

भारतीय सेटेलाइट का होगा उपयोग

सुरक्षा के मद्देनजर भारत की सेटेलाइट के प्रयोग करना तय किया गया है। जबकि यह नियम ट्राई की उस सिफारिश के खिलाफ है जिसमें इस सेवा के मुहैया कराने में विदेशी सेटेलाइट और गेटवे के इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। लेकिन दूरसंचार आयोग ने विदेशी सेटेलाइट के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया था। ■

4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में व्यापक सुधार

भारत में वन प्रशासन के मेरुदंड स्वरूप भारतीय वन अधिनियम, 1927 में व्यापक सुधार के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रक्रिया चालू कर दी है। इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि एम.बी. शाह रिपोर्ट (2010) और टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम रिपोर्ट (2015) में इस अधिनियम में संशोधन करने की चर्चा की गई थी।

- उपर्युक्त प्रक्रिया में अधिनियम के सभी अनुभागों की जाँच होगी। उसमें जो पुराने पड़ गये प्रावधान हैं उनको निकाल दिया जाएगा और आजकल के हिसाब से जो उचित प्रावधान होने चाहिए उनको इसमें लाया जाएगा।
- वर्तमान में वन अथवा इसके प्रशासन से सम्बंधित किसी भारतीय कानून में वन की परिभाषा नहीं मिलती है। इसलिए वन, प्रदूषण, पर्यावरणिक सेवाएँ इत्यादि शब्दों को भी संशोधन में परिभाषित किया जाएगा।
- यदि वन की कानूनी परिभाषा निर्धारित हो जाती है तो वनों के संरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक

वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 को लागू करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

- संशोधन के द्वारा कई विषयों में परिवर्तन होने की सम्भावना है। जैसे- भारतीय वन अधिनियम में वर्णित दंड और जुर्माने, कार्बन पृथ्कीकरण से सम्बंधित प्रावधान, पर्यावरण से सम्बंधित सेवाएँ आदि।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में लागू पहले के कई भारतीय वन अधिनियमों पर आधारित है। इन पुराने अधिनियमों में सबसे प्रसिद्ध था- भारतीय वन अधिनियम, 1878।
- 1927 के अधिनियम में किसी क्षेत्र को आरक्षित वन अथवा सुरक्षित वन अथवा ग्राम वन घोषित करने की प्रक्रिया बताई गई है।
- 1927 के अधिनियम में यह भी बताया गया है कि वन अपराध क्या है और किसी आरक्षित वन के भीतर कौन-कौन से कार्य वर्जित हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कौन-कौन से दंड निर्धारित हैं।

वन और वनभूमि के सन्दर्भ में न्यायलय का आदेश

- सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के एक आदेश के अनुसार शब्दकोष में वन की जो परिभाषा है, वही परिभाषा कानूनी परिभाषा वर्तमान में मानी जाती है। इसके अंतर्गत वे सभी वन आते हैं जिन्हें वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, चाहे वे आरक्षी वन हों, सुरक्षित वन हों अथवा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुभाग 2(i) के निमित्त कोई वन हों।
- न्यायालय के इसी आदेश के अनुसार अनुभाग 2 में वर्णित वनभूमि में न केवल उसका शब्दकोषीय अर्थ शामिल है अपितु सरकार के अभिलेख में वन के रूप में अंकित कोई भी क्षेत्र इसमें शामिल है चाहे उसका स्वामी कोई भी हो। ■

5. तमिलनाडु के मछुआरों कोः इसरो का नया गैजेट

तमिलनाडु सरकार ने मछुआरों के 80 समूहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित उपग्रह आधारित संचार के 200 उपकरण दिये हैं जिससे नाविक समय-समय पर चक्रवात एवं मौसम संबंधी अपडेट से अवगत होते रहेंगे।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम करने वाले चेन्नई, नगापत्तनम और कन्याकुमारी से सात मछुआरों को यह गैजेट वितरित कर इसकी शुरुआत की। अमेरिकी जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) का भारतीय संस्करण माने जाने वाले 'नाविक' (भारतीय नौवहन समूह) से लैस संचार उपकरण मछुआरों को वास्तविक समय का अपडेट देंगे। इसरो के अनुसार भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली आठ उपग्रहों का समूह है, जिसे 'नाविक' नाम दिया गया है। यह भारत एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों की सही स्थिति, नौवहन एवं समय की सूचना प्रदान करता है। गैजेट मुख्य रूप से एक 'रिसीवर' है जो अलर्ट मिलने पर बीप की ध्वनि देगा। यह उपकरण साबुन के आकार का एक बक्सा है और इसमें ब्लूटूथ भी लगा है। किसी भी एंड्रॉयड फोन पर नाविक ऐप डाउनलोड कर अलर्ट की सूचना दी जा सकती है। ■

6. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का गठन करेगी सरकार

हाल ही में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्यन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (National Medical Devices Promotion Council: NMDPC) का गठन किया जाएगा।

चिकित्सा उपकरण उद्योग स्वास्थ्य सुविधा इको प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत अहम है। भारत में इस क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण परिषद् का नेतृत्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव करेंगे तथा आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन परिषद् को तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण परिषद भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रोत्साहन और विकास की सुविधा देगा, समय-समय पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, एजेंसियों तथा संबंधित विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, चिकित्सा उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानकों के प्रति उद्योग को जागरूक बनाएगा तथा नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में सरकार को सुझाव देगा।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग

- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी तथा औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इससे पहले अक्तूबर 1999 में लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (Small Scale Industries & Agro and Rural Industries - SSI & A & RI) और भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम (Heavy Industries and Public Enterprises - HI & PE) के लिये अलग-अलग मंत्रालयों की स्थापना की गई थी।

कार्य एवं भूमिका

- विकास की आवश्यकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक नीति और रणनीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन।
- सामान्य रूप से औद्योगिक विकास की निगरानी करना और विशेष रूप से सभी औद्योगिक एवं तकनीकी मामलों पर सलाह सहित निर्दिष्ट उद्योगों के प्रदर्शन की निगरानी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) नीति का निर्माण करना और FDI को स्वीकृति देना, प्रोत्साहन देना तथा FDI को सहज बनाना।
- उद्योग स्तर पर विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहन देना और इसके लिये नीतिगत मानक तैयार करना।

- पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक आदि के लिये बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत नीतियों का निर्माण।
- विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत उद्योगों का प्रशासन।
- औद्योगिक साझेदारी के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ■

7. GSAT-7A

हाल ही में इसरो (ISRO) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-GSLV-F11) के माध्यम से GSAT-7A नामक नवीनतम संचार उपग्रह छोड़ा।

GSLV-F11 क्या है?

GSLV-F11 इसरो का तीन चरणों वाला चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इस बार यह उसकी 13वीं उड़ान होगी जिसमें GSAT-7A को भूसमकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करेगा।

GSAT-7A क्या है?

- GSAT-7A को पृथ्वी की भूसमकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को विभिन्न राडार स्टेशनों, हवाई अड्डों एवं AWACS वायुयानों पर नजर रखने में सहायता पहुँचाना है। विदित हो कि AWACS (Airborne Warning And Control System) एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हवा में रहकर चेतावनी और नियंत्रण कार्य होता है।
- GSAT-7A में Ku-band ट्रांसपोंडर हैं और उसपर दो सौर-यंत्र हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होगी।
- GSAT-7A से ड्रोन संचालन में बड़ी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे नौसेना की नियंत्रण केन्द्रों पर निर्भरता घटेगी और सेना के मानव-रहित हवाई वाहनों को उपग्रह से नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे मानव-रहित हवाई वाहनों (UAVs) की पहुँच और शक्ति की वृद्धि होगी।
- योजना है कि भविष्य में भारतीय वायुसेना को GSAT-7C भी उपलब्ध कराई जाए जिससे उसके नेटवर्क-केन्द्रित संचालनों को बढ़ावा मिलेगा।

GSAT-7 श्रृंखला का इतिहास

GSAT-7 संचार उपग्रह श्रृंखला का अनावरण 2013 में खासकर भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए किया गया था। इससे नौसेना को अपनी सामुद्रिक क्षमता के उपयोग के लिए किया गया था। इससे नौसेना को अपनी सामुद्रिक क्षमता के लिए विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता की आवश्यकता नहीं रहेगी। GSAT-7 की पहुँच 2,000 सामुद्रिक मील तक है जिस कारण इससे भारतीय युद्ध पोतों, पनडुब्बियों और समुद्री वायुयानों के विषय में तत्काल सूचना उपलब्ध हो जाती है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. इजराइल की राजधानी यरुशलम को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता मिली

ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरुशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसकी घोषणा की लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तेल अवीव से दूतावास को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कोई शांति समझौता नहीं हो जाता।

मॉरिसन ने भविष्य में पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देने की भी प्रतिबद्धता जताई। मॉरिसन ने सिडनी में एक भाषण में कहा, ''नेसेट और कई सरकारी संस्थान वहां स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी यरुशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देता है।''

गौरतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरुशलम को अपनी राजधानी बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में वहां अमेरिकी दूतावास स्थापित किया था। तब तक ज्यादातर देश शहर के अंतिम दर्जे पर शांति वार्ता को भड़काने से बचने के लिए वहां दूतावास खोलने से बचते रहे।

मॉरिसन ने कहा, 'हम पश्चिम यरुशलम में दूतावास खोलने को लेकर उत्साहित हैं।' उन्होंने कहा कि दूतावास के लिए नए स्थान पर काम चल रहा है। इस बीच, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पवित्र शहर के पश्चिम में रक्षा और व्यापार कार्यालय स्थापित करेगा।

अमेरिका ने दिसंबर 2017 में पश्चिमी यरुशलम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के बाद इस साल मई में वहां अपना दूतावास शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले से इजराइल के लोग जहाँ बहुत खुश हुए, वहीं इससे फिलिस्तीन और अरब देशों में काफी नाराजगी देखी गई। इस फैसले को लेकर गाजा पट्टी पर भारी संख्या में फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 62 लोगों की मौत हो गई थी।

अरब देशों ने अमेरिका के इस कदम की तीखी आलोचना भी की थी। अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बीते अक्टूबर में पश्चिमी यरुशलम को इजरायल की राजधानी मानने की बात कही थी। इस पर ऑस्ट्रेलिया को मुस्लिम बहुल देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया आदि के रोष का सामना कर पड़ा था। अरब देशों का कहना है कि इससे पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ जाएंगे। ■

2. जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर मे कैंसर फैलाने वाला केमिकल

मशहूर अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन लंबे समय से आरोप झेल रही है कि इसके बेबी पाउडर से कैंसर होता है। इस साल अगस्त में अमेरिका की मिसौरी की एक अदालत ने बेबी पाउडर से कैंसर होने की बात सही होने के बाद कंपनी पर करीब 32 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया था। कंपनी लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनी को आज नहीं दशकों पहले से इस बात की जानकारी थी कि इसके पाउडर में एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस से कैंसर का खतरा होता है।

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा है कि कंपनी एग्जेक्यूटिव से लेकर माइन मैनेजर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और यहां तक कि वकील भी इस बात से अवगत थे। यह जानते हुए भी कंपनी सालों से यह प्रोडक्ट बेच रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स ने कंपनी के कई डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया जिससे यह बात सामने आयी कि 1971 से 2000 तक जॉनसन एंड जॉनसन के रॉ पाउडर और बेबी पाउडर की टेस्टिंग में कई बार एस्बेस्टस होने की बात सामने आई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने कॉस्मेटिक टैल्कम पाउडर में एस्बेस्टस की मात्रा को लिमिट करने की कोशिशों के खिलाफ अमेरिकी रेगुलेटर्स पर दबाव भी बनाया। इसमें वह काफी हद तक सफल भी हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। सीएनएन ने लिखा कि 2002 के बाद यह कंपनी के शेयर्स में सबसे बड़ी गिरावट है। 19 जुलाई 2002 को कंपनी के शेयर्स में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। तब कंपनी की एक पूर्व कर्मी ने कंपनी पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को आदेश दिया है कि वह अगले निर्देश तक मुंबई के मुलुंड प्लांट और हिमाचल प्रदेश की बद्दी प्लांट से किसी टैल्कम पाउडर के कच्चे माल का उपयोग न करे।

सीडीएससीओ के निर्देशों पर, दवा निरीक्षकों ने दोनों प्लांट से कंपनी के बेबी पाउडर के नमूने इकट्ठे किए। ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि इस उत्पाद में कथित तौर पर एस्बेस्टस है जिससे कैंसर हो सकता है।

इसके अलावा, देश भर में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों से 100 से अधिक सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। इनका टेस्ट यह देखने के लिए किया जाएगा कि क्या ये सभी निर्धारित मानकों का पालन करते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टस की मौजूदगी की भी जांच की जाएगी। ■

3. भारत–दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

11 से 13 दिसम्बर की अवधि में दक्षिणी कोरिया में भारत-दक्षिणी कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) के विषय में सातवें चरण का विचार-विमर्श हुआ और यह विचार-विमर्श बहुत सकारात्मक रहा।

पृष्ठभूमि

दक्षिणी कोरिया प्रत्येक वर्ष 15 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करता है और भारत के चीनी उत्पादक इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 2018-19 के गन्ना मौसम के दौरान उस देश को कच्ची चीनी का निर्यात किया जाए।

इसके लिए यह तय हुआ है कि दोनों देश 11 टैरिफ लाइनों पर चुंगी घटा दें जिससे कि दोनों देशों का व्यापार बढ़ सके। इसके लिए इन देशों को अपने वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते (free-trade agreement या CEPA) को नये तरीके से लागू करना होगा।

CECA और CEPA में क्या अंतर है?

- CECA का पूरा नाम है– Comprehensive Economic Cooperation Agreement.
- CEPA का पूरा नाम है– Comprehensive Economic Partnership Agreement.

इन दोनों में सबसे प्रमुख तकनीकी अंतर यह है कि एक ओर जहाँ CECA मात्र विभिन्न चरणों में नकारात्मक सूची तथा टैरिफ दर कोटा की वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर चरणबद्ध ढंग से चुंगी घटाने अथवा हटाने से सम्बन्धित है, तो दूसरी ओर CEPA में इनके अतरिक्त सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक भागीदारी जैसे अन्य विषय भी आते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CEPA का क्षेत्र CESA से बड़ा है। इसलिए देखा जाता है कि किसी देश से पहले CESA पर हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद ही CEPA के लिए विचार-विमर्श किया जाता है। ■

4. येलो वेस्ट आन्दोलन

इन दिनों फ्रांस में जारी येलो वेस्ट आन्दोलन काफी चर्चा में है। दरअसल इस आन्दोलन की शुरूआत मई, 2018 में ऑनलाइन हुई थी। इसके बाद 17 नवम्बर, 2018 से फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हुए।

येलो वेस्टः इस विरोध प्रदर्शन में प्रतीक के तौर पर पीले रंग के वस्त्र का उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा प्रदर्शनकारी नेताओं का ध्यान अपने एजेंडा की ओर आकर्षित करने के लिए पीले रंग के जैकेट को सुरक्षा की दृष्टि से पहना जाता है क्योंकि यह चटख रंग तेजी से ध्यान आकर्षित करता है। फ्राँस के प्रदर्शनकारियों ने इस जैकेट का चुनाव इसलिये किया ताकि वे अपनी मांगों और समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें। इस आंदोलन की विशेषता यह है कि इसका कोई विशेष नेता नहीं है।

आन्दोलन के कारण

- ईंधन पर कर बढ़ोत्तरी
- कार्बन टैक्स लागू करना
- ट्रैफिक एन्फोर्समेंट कैमरा
- 2017 में धन संपदा पर solidarity टैक्स को हटाया जाना
- वैश्वीकरण तथा नव-उदारवाद

मुख्य बिंदु

इस आन्दोलन के प्रमुख कारण सामाजिक-आर्थिक हैं। इसके अन्य प्रमुख कारण ईंधन की बढ़ती कीमतें, जीवन यापन की बढ़ती दर तथा मध्यम वर्ग पर असंतुलित कर भार को कम करना इत्यादि हैं।

इन आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं:

- ईंधन पर लगाए जाने वाले कर में कमी की जाए।
- मध्यम वर्ग पर असंतुलित कर भार को कम किया जाये।
- न्यूनतम वेतन की दर में वृद्धि की जाए।
- इमेनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दें। ■

5. ट्रांस–रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क

हाल ही में भारत ने ट्रांस-रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता समुद्रों में होने वाली वाणिज्यिक यातायात संबंधी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।

विदित हो कि 30 देशों के इस बहुपक्षीय पार-क्षेत्रीय समुद्री नेटवर्क (Trans Regional Maritime Network – T-RMN) समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह नेटवर्क इटली द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पहले 36 देशों के साथ भारत पहले ही व्हाइट शिपिंग समझौते कर चुका है।

पार-क्षेत्रीय समुद्री नेटवर्क क्या है?

- यह नेटवर्क दूरस्थ समुद्र में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों के यातायात के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- इस नेटवर्क के तहत सूचनाएँ 'ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस) के माध्यम से उपलब्ध होती है जो 300 सकल पंजीकृत टन से अधिक भार वाले जहाजों पर लगी होती है।
- स्मरणीय हो कि स्वचालित सूचना प्रणालियों से ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं– नाम, MMSI नंबर, स्थिति, मार्ग, गति, पिछला बंदरगाह, गंतव्य आदि। यह सूचना विभिन्न AIS सेंसरों, जैसे- तटीय AIS शृंखलाओं एवं उपग्रह आधारित रिसीवरों से प्राप्त होती है।

महत्त्व

- हिन्द महासागर में जहाजों का यातायात इतना

विशाल है कि कोई एक देश इस पर सम्पूर्ण निगरानी नहीं रख सकता है। अतः इसके लिए बहुपक्षीय समझौते आवश्यक हो जाते हैं।

- पार-क्षेत्रीय समुद्री नेटवर्क (T-RMN) समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारतीय नौसेना को हिन्द महासागर पर निगरानी रखने और देश की सामुद्रिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
- इस प्रकार के समझौते से भारत को तो लाभ होता ही है, अन्य देश भी आपसी सूचनाओं का समन्वय करने और आपस में उन्हें साझा करने की स्थिति में आ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिन्द महासागर में अवैध व्यापार अथवा संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। ■

6. तेजी से कम हो रहे हैं शनि के छल्लेः नासा की रिपोर्ट

हाल ही में नासा के नए शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से शनि के छल्ले को धूल के कण के साथ होने वाली बारिश से तेजी से नुकसान पहुंच रहा है। नए शोध इस बात का समर्थन करता है कि शनि के प्रतिकात्मक छल्ले की 100 मिलियन वर्ष से अधिक उम्र के होने की संभावना नहीं है।

शनि ग्रह के छल्ले

शनि ग्रह में बड़े-बड़े छल्ले होते हैं, इसलिए इसे "सौरमंडल के गहने" के रूप में जाना जाता है। इसकी यह अनूठी प्रणाली एक मुकुट की तरह दिखती है। इसी प्रकार के छल्ले बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों में भी होते हैं परन्तु शनि ग्रह के छल्ले आकार और संख्या में ज्यादा हैं।

विदित हो कि शनि ग्रह के छल्ले छोटे-छोटे कणों से बने हुए हैं। यह कण मुख्य रूप से बर्फ के बने हैं पर इनमें चट्टानों के कण भी शामिल हैं। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। यह कण अपने छल्ले में रहकर स्वतंत्र रूप से शनि की परिक्रमा करते हैं। वही प्रत्येक छल्लें में अलग-अलग घनत्व होता है। कुछ छल्लों में प्रोपेलर्स (propellers) के रूप में जाने वाली एक विषम विशेषता होती हैं, जो छोटे-छोटे चंद्रमा के कारण होती हैं, जो कि कैसिनी अंतराल (Cassini gaps) जैसी दरार को खोलने के लिए हैं। छल्लों में भी प्रवक्ता होते हैं, जो छल्ले में रेखाओं की तरह लगते हैं। ये प्रवक्ता कुछ नहीं बल्कि बर्फ के कण हैं जो छल्ले की सतह के ऊपर पाए जाते हैं लेकिन वे अस्थायी हैं।

जहाँ तक ग्रह के आंतरिक ढांचे कि बात है तो वह लोहा, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक चट्टानों के एक कोर से बना होता है। यह हाइड्रोजन धातु की एक मोटी परत से भी घिरा हुआ है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत भी होती है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला लगता है क्योंकि इसके उपरी वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल होते हैं। हाइड्रोजन की परत होने के कारण ग्रह के भीतर विद्युतीय धारा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है।

शनि ग्रह के छल्ले कैसे बनते हैं?

अलग-अलग वैज्ञानिकों का इस पर अलग-अलग विचार है कि शनि ग्रह में छल्ले कैसे बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब सौरमंडल का आदि ग्रह चक्र हमारे सूरज और ग्रहों को जन्म दे रहा था, तो कुछ मलबा शनि के इर्द-गिर्द बच गया जो आगे चलकर उसके छल्लों के रूप में स्थाई हो गया और बताया गया कि इन छल्लों में 11% से भी अधिक बर्फ है।

कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये छल्ले धूलकणों से बनते हैं। इन छल्लों के आसपास उपग्रह नहीं होने के कारण इसके धूलकण एक निश्चित स्थान पर नहीं रह पाते। शनि का उपग्रह एनसिलाडस अपने निकटवर्ती वलय को सीधे तौर पर नए धूलकणों की आपूर्ति करता है, जबकि प्रोमेथियस और पंडोरा उपग्रह एफ-रिंग के कणों को एक निश्चित क्षेत्र में बाँधे रखने में सहायक होते हैं।■

7. वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्य बल

हाल ही में भारत, नेपाल और भूटान की सरकारें सक्रिय रूप से राजनीतिक सीमाओं के बाहर वन्यजीवों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देने और कंचनजंघा लैंडस्केप में वन्यजीवों की तस्करी की जाँच करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित करने पर विचार कर रही हैं। यह कार्यदल नेपाल, भारत और भूटान कि सीमा-क्षेत्र पर कार्यरत होगी।

गौरतलब है कि कंचनजंघा पर्वत के दक्षिणी किनारे पर फैला भूभाग, पूर्वी नेपाल (21%), सिक्किम और पश्चिम बंगाल (56%) तथा भूटान के पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी भागों (23%) के हिस्सों में फैले 25,080 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है।

कंचनजंघा लैंडस्केप 169 स्तनधारियों की प्रजातियों और पक्षियों की 713 प्रजातियों का निवास स्थान भी है।

मुख्य चिंताए

- क्षेत्रीय ज्ञान विकास और शिक्षण केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) के अनुसार, 2000 से 2010 के बीच के परिदृश्य में 1,118 वर्ग किमी नदी के घास के मैदान और पेड़ अपनी नीव खो बैठे थे।
- आईसीआईएमओडी के अनुसार, 1986 और 2015 के बीच, हाथियों द्वारा हर साल औसतन 14 लोगों की मौत (4 औसतन 14 लोगों की मौत) हुई और 1958 से 2013 के बीच 144 हाथियों की मौत हुई (हर साल औसतन तीन हाथियों की मौत) अंततः इनकी सुरक्षा अत्यंत जरूरी हो गई है।

भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम

1972 भारत सरकार ने सन् 1972 ई. में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन् 2003 ई. में संशोधित किया गया है और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा गया जिसके तहत इसमें दण्ड तथा जुर्माना और कठोर कर दिया गया है। 1972 से पहले, भारत के पास केवल पाँच नामित राष्ट्रीय

पार्क थे। अन्य सुधारों के अलावा, अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की कटाई व शिकार को मोटे तौर पर गैरकानूनी करता है।

यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर जिसका अपना ही वन्यजीव कानून है को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

इसमें कुल 6 अनुसूचियाँ हैं जो अलग-अलग तरह से वन्यजीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं।

- अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 के द्वितीय भाग वन्यजीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते है। इनके तहत अपराधों के लिए उच्चतम दंड निर्धारित है।
- अनुसूची-3 और अनुसूची-4 भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं लेकिन इनमे दंड बहुत कम हैं।
- अनुसूची-5 मे वह जानवरों शामिल है जिनका शिकार हो सकता है।
- अनुसूची-6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

चर्चा का कारण

1.1 20 दिसम्बर, 2018 को लोकसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण बिल-2018 पारित किया गया। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

1.2 **साथ ही** इस बिल की सहायता से उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित विवादों के निपटान पर भी कार्य किया जायेगा।

1.3 यह बिल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1989 का स्थान लेगा।

कौन है उपभोक्ता?

2.1 उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम 1986 की धारा 2 की उपधारा के अनुसार वस्तुओं, पदार्थों या सेवाओं का उपभोग करने वाला और इनका मूल्य चुकाने वाला या चुकाने का वादा करने वाला उपभोक्ता कहलाता है।

विधेयक से संबंधित मुख्य तथ्य

3.1 **इसमें** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने के लिए तीन स्तरीय नियामक की व्यवस्था की गयी है।

3.2 सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग, उसके नीचे राज्य आयोग और निचले स्तर पर जिला आयोग होंगे।

3.3 पहले उपभोक्ता को वहां जाकर शिकायत करनी होती थी जहाँ से उसने सामान खरीदा है, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान है।

3.4 जिला आयोग के आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है।

3.5 राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर अपील आदेश के 30 दिन के भीतर करनी होगी।

3.6 नए विधेयक में प्रावधान है कि अगर जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हैं तो आरोपी कंपनी राष्ट्रीय फोरम में नहीं जा सकती।

नये विधेयक में सजा का प्रावधान

4.1 केंद्रीय आयोग का आदेश नहीं मानने पर छह महीने तक की कैद या 20 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

4.2 मिलावट का पता चलने पर दोसी को छह महीने तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

4.3 यदि उपभोक्ता को मामूली स्वास्थ्य नुकसान पहुँचा है तो एक साल तक की कैद और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना है।

4.4 गंभीर स्वास्थ्य नुकसान की स्थिति में सात साल तक की कैद और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना तथा उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में कम से कम सात साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तथा कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है।

4.5 इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई निर्माता या सेवा प्रदाता झूठा या भ्रामक प्रचार करता है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

4.6 अपराध दोहराये जाने पर जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक और कैद की अवधि पांच साल तक हो जायेगी।

विश्लेषण

5.1 विधेयक केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सदस्यों को नियुक्त करने के लिए निवारण आयोगों को नियुक्त करे लेकिन विधेयक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि आयोगों में न्यायिक सदस्य शामिल होंगे अथवा नहीं।

5.3 यह इन अर्ध-न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

5.4 विधेयक में यह भी निर्दिष्ट नहीं है कि सीपीसी किसको सलाह देगा।

5.5 बिल में ऑनलाइन ट्रेडिंग पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

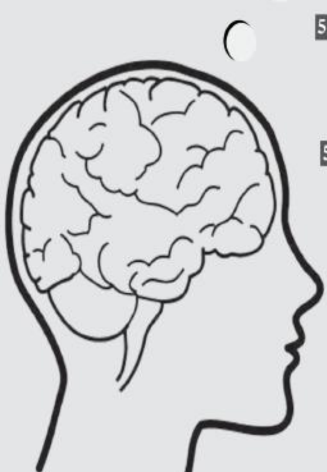

एंजल टैक्स

चर्चा का कारण

1.1 पिछले साल से लेकर अब तक कम से कम 80 स्टार्टअप को इस टैक्स को चुकाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत नोटिस मिल चुका है।

1.2 स्टार्टअप के कई संस्थापकों को मिले फंड का कम से कम 30 फीसदी बतौर टैक्स चुकाने के लिए कहा गया है।

1.3 एंजल फंड करने वालों को भी नोटिस मिले हैं, जिनमें उन्हें अपनी आय का स्रोत, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और दूसरे वित्तीय आंकड़े पेश करने के लिए कहा गया है।

1.4 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि कर मांगों से संबंधित कोई भी ठोस कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि एक विशेषज्ञ पैनल ने कर स्टार्टअप के मुद्दे को हल नहीं कर दिया हो।

एंजेल टैक्स क्या है?

2.1 यदि कोई अनलिस्टेड (जो सूचीबद्ध न हो) कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रेट पर शेयर जारी करती है तथा कंपनी को जारी करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू से जितनी ज्यादा रकम मिलती है, उसे दूसरे स्रोतो से हासिल इनकम माना जाएगा और उसी हिसाब से इन कंपनियों पर एंजल टैक्स लगता है।

2.2 इसे 'एंजल टैक्स' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्टार्टअप्स में एंजल निवेश को प्रभावित करता है। ये निवेशक उद्यमियों को नए उद्यम के शुरुआती दौर में पूंजी मुहैया कराते हैं।

2.3 सरल शब्दों में कहें तो, 'एंजल टैक्स' स्टार्टअप या कंपनियों में बाहरी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर 30.1% कर है।

क्यों लगाया गया यह टैक्स

3.1 इस टैक्स का प्रावधान पूर्व वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012 के बजट में लागू किया था ताकि पैसे की हेरफेर पर लगाम कसी जा सके।

3.2 दरअसल अनलिस्टेड और अनजान सी कंपनियों में निवेश के जरिए काले धन को सफेद करने के खेल की जानकारी मिलने पर यह कदम उठाया गया था।

एंजेल इन्वेस्टर कौन है?

4.1 एक एंजेल निवेशक एक निजी व्यक्ति होता है जो प्रतिस्पर्धी बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए व स्टार्टअप के लिए धन प्रदान करता है। यह सब अक्सर वह कंपनी में अपनी स्वामित्व या हिस्सेदारी के बदले में करता है।

4.2 पूंजी के अलावा एंजेल निवेशक उद्यमी के लिए व्यवसाय प्रबंधन अनुभव, कौशल भी प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ

5.1 समस्या तब पैदा होती है जब गुडविल जैसे इंटैंजिबल्स पर ध्यान दिए बिना स्टार्टअप को डिस्काउंटेड कैश फ्लो के आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है।

5.2 एंजेल निवेशकों पर कर लगाने के विचार के विपरीत, अमेरिका जैसे देशों में निवेशकों को वास्तव में कर लाभ की पेशकश की जाती है। जबकि वे छोटी कंपनियों को निधि देते हैं। लेकिन भारत में, स्टार्टअप निवेश पर संदेह रहता है।

सरकारी पहल

6.1 चूंकि स्टार्टअप के पास मुख्यधारा के वित्त पोषण के बहुत कम स्रोत हैं, ऐसे में निवेशकों और स्टार्टअप ने कर को हटाने के लिए सिफारिश की, हालाँकि गैर-निवासियों और उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त निधि इस कर से मुक्त थी।

6.2 उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में, सरकार ने कुछ राहत प्रदान करने के लिए स्टार्टअप की परिभाषा बदल दी जिसके तहत उन्हें कर रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।

6.3 एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 56 के तहत एंजेल इन्वेस्टर के कंट्रीब्यूशन सहित 10 करोड़ रुपये तक के कुल निवेश वाली स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट की इजाजत दी गयी थी।

6.4 विदित हो कि वर्तमान में स्टार्टअप में स्टेक लेने के इच्छुक एंजेल इन्वेस्टर की न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपये या पिछले तीन वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये से ज्यादा एवरेज रिटर्न्ड इनकम होनी चाहिए।

वैश्विक परिदृश्य

7.1 सिंगापुर, जर्मनी और यूके भी स्टार्टअप और निवेशकों को कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

7.2 दुनिया भर में, स्टार्टअप में निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के कर प्रोत्साहन को 'निश्चित रूप से दुनिया में सबसे उदार' कहा गया है।

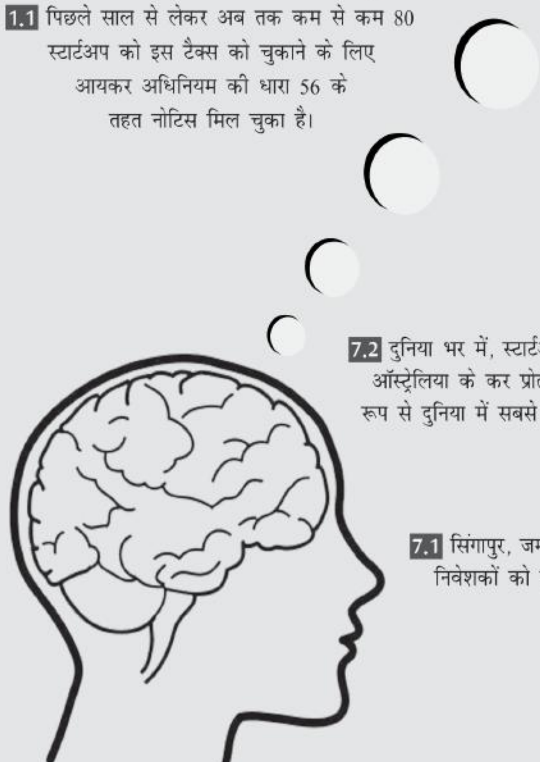

बाल संरक्षण नीति

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नीति जारी की है।

क्या है?

2.1 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में 30 से अधिक लड़कियों के यौन शोषण के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

2.2 इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करने के लिए भी कहा था।

महत्वपूर्ण बिन्दु

3.1 यह बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित पहली नीति होगी।

3.2 यह सभी संस्थानों, और संगठनों (कॉर्पोरेट और मीडिया हाउस सहित), सरकारी व निजी क्षेत्र पर लागू होगा।

3.3 इस नीति का उद्देश्य बाल शोषण, बाल उपेक्षा की रोकथाम और प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

3.4 यह संगठनों को बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनकी जिम्मेदारियों को निभाने पर बल देता है।

3.5 यह संस्थानों को एक स्टाफ सदस्य नामित करने पर जोर देता है जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सके।

3.6 कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के साथ शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण का अंदेसा रखता हो वह हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस या बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दे सकता है।

3.7 इसमें बच्चों के प्रति व्यवहार की सूची भी शामिल है जो पॉक्सो (POCSO) और जुवेनाइल जस्टिस (JJ) अधिनियमों सहित कानून द्वारा दंडनीय हैं।

आलोचना

4.1 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के विपरीत, यह उन बच्चों के बारे में बात नहीं करता है जिन्हें अतिरिक्त विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

4.2 जिनमें प्रवासन, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे या एचआईवी से संक्रमित बच्चों को शामिल किया गया है।

4.3 यह बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने या स्थानीय शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य की भूमिका के बारे में भी नहीं बताता है।

4.4 यह संगठनों पर आचार संहिता लगाने की बात करता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है कि स्कूलों में शिक्षकों का आचरण जैसे स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए।

आगे की राह

5.1 सरकार को इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

5.2 इसे सभी पहलुओं में जाना होगा जैसे जागरूकता, रोकथाम, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया पर बल देना होगा।

5.3 सरकार को संस्थानों की भूमिका से परे जाकर निचले स्तर पर व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

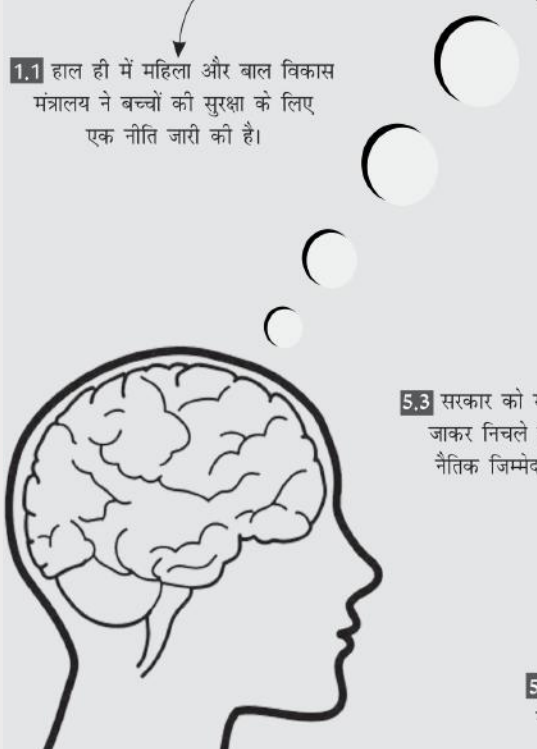

ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट-2018

चर्चा का कारण

1.1 विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट-2018 जारी की गयी।

क्या है लैंगिक असमानता

2.1 लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है।

2.2 वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है।

वैश्विक प्रदर्शन

3.1 वैश्विक लैगिंक समानता वाले देशों में सबसे बेहतर देश आइसलैण्ड है जिसने कुल लैगिंक अन्तर का 85.88 प्रतिशत से अधिक प्राप्त कर लिया है।

3.2 आइसलैण्ड के बाद नार्वे (83.5%) स्वीडन और फिनलैण्ड (82.2%) हैं।

3.3 शीर्ष दस देशों में निकारागुआ (5वाँ), रवांडा (6वाँ), न्यूजीलैण्ड (7वाँ), फिलीपीन्स (8वाँ), आयरलैण्ड (9वीं) और नामीबिया (10वें) है।

3.4 इडेक्स में दक्षिण एशिया दूसरा सबसे कम रैंकिंग वाला क्षेत्र था। इस क्षेत्र में लिंग समानता 65% ही है।

3.5 सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन में जेण्डर गैप सबसे ज्यादा है

भारत का प्रदर्शन

4.1 भारत 2018 में 149 देशों में 108 स्थान पर है, जो 2017 के समान है।

4.2 भारत सभी क्षेत्रों में जैसे कि आर्थिक अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में अपने लैगिंक अंतराल में नीचले स्तर पर पाया गया है।

4.3 स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

4.4 भारत आर्थिक अवसर और निवेश भागीदारी में 149 देशों में से 142वें स्थान पर है।

4.5 भारत ने मजदूरी समानता जैसे क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया है। पहली बार स्नातक और परास्नातमक शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम करने में सफलता मिली है।

4.6 जबकि कार्यबल के हिसाब से देखें तो भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम बुद्धि (एआई) वाला कार्यबल है।

मुख्य बिंदु

5.1 2018 में ग्लोबल जेण्डर गैप में कमी आने के बावजूद, पुरूषों की तुलना में महिलाएं श्रम बल में या राजनीतिक जीवन में कम भाग ले रही हैं।

5.2 दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पेशेवरों का केवल 22% महिलाएं हैं जबकि 78% पुरूष हैं।

5.3 उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों में लिंग समानता में गिरावट आई है।

5.4 शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल जेण्डर गैप में काफी कमी आई है तथा अगले 14 वर्षों में यह अन्तर और भी कम हो जायेगा।

5.5 रिपोर्ट में मूल्यांकन के लिये शामिल किये गए सभी आठ भौगोलिक क्षेत्रों ने कम से कम 60% लैगिक समानता हासिल की है और दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने 70% से अधिक प्रगति की है।

5.6 इस साल रिपोर्ट में शामिल 149 देशों में पाँच नए देशों को शामिल किया गया है जिनमें शामिल हैं- कांगो डीआरसी, इराक, ओमान, सिएरा लियोन और टोंगो।

5.7 यदि भविष्य में वर्तमान दरें कायम रहती हैं, तो संपूर्ण वैश्विक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में पश्चिमी यूरोप में 61 वर्ष, दक्षिण एशिया में 70 वर्ष, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों में 74 वर्ष, उप-सहारा अफ्रीका में 135 वर्ष, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 124 वर्ष, मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 153 वर्ष, पूर्वी एशिया एवं प्रशांत में 171 वर्ष और उत्तरी अमेरिका में 165 वर्ष का समय लगेगा।

आगे की राह

6.1 चौथी औद्योगिक क्रान्ति को सफल बनाने में वो अर्थव्यवस्थाएं सफल होंगी जो अपने मानव संसाधन का सही ढंग से उपयोग करेंगी।

6.2 लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक समरसता के लिए भी काफी जरूरी है।

6.3 जहाँ तक भारत का सवाल है, इन्हें अपने यहाँ की संस्थाओं में पेशेवर भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

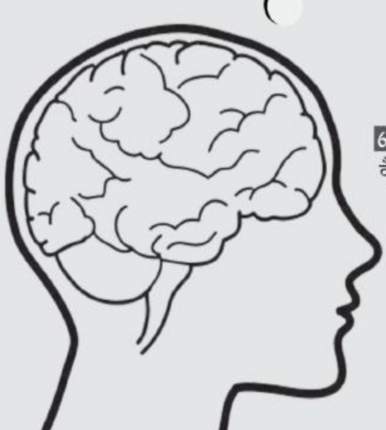

ट्रांसजेंडर विधेयक

चर्चा का कारण

1.1 17 दिसंबर, 2018 को लोकसभा द्वारा ट्रांसजेंडर विधेयक को 27 संशोधनों के साथ पारित किया गया।

1.2 यह बिल ट्रांसजेंडर को परिभाषित करने और उनके खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि

2.1 इस विधेयक को दो वर्ष पूर्व सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2.2 विधेयक को परामर्श के लिये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया, सरकार ने स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत 27 संशोधनों के साथ इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ट्रांसजेंडर कौन है?

3.1 ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है।

मुख्य बिंदु

4.1 इस विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों का खास ध्यान रखा गया है।

4.2 इस विधेयक संबंधी मसौदे को वेबसाइट पर जारी किया गया था और लोगों से सुझाव मांगे गए थे।

4.3 विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय देश में एक ऐसा समुदाय है जो सर्वाधिक हाशिये पर है क्योंकि वे 'पुरूष' या 'स्त्री' के लिंग के सामान्य वर्गों में फिट नहीं हैं। परिणामस्वरूप उन्हें समाजिक बहिष्कार, भेदभाव, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

4.4 भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को समता की गारंटी एवं सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित किये जाने के बाद भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरूद्ध विभेद और अत्याचार जारी है।

4.5 उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण बनाम भारत सरकार के मामले में 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडर के अधिकारों के सुरक्षा के प्रयोजन से उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया था।

4.6 प्रस्तुत विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, उनके खिलाफ विभेद को प्रतिषेध करने, उन्हें स्वत: अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देने, उन्हें पहचान प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ नियोजन, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दे पर उनके साथ विभेद नहीं करने का प्रावधान किया गया है।

4.7 इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने तथा राष्ट्रीय उभयलिंगी परिषद स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

समस्याएँ क्या हैं?

5.1 ट्रांसजेंडर विधेयक (सुरक्षा और अधिकार) 2016, से ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि यह उनको शिक्षा और रोजगार में किसी प्रकार का विशेष आरक्षण दिए बिना ही उनके भीख मांगने को रोक लगाते हुए उसे अपराध की श्रेणी में डाल देती है।

5.2 लोकसभा में पारित हो चुके इस विधेयक से जुड़ी दूसरी दिक्कत है कि यह ट्रांसजेंडर समुदाय के निजी अधिकारों को खत्म करता है।

5.3 नए विधेयक के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट डीएम द्वारा जारी किया जाएगा। एक स्क्रीनिंग कमेटी डीएम को हर व्यक्ति के लिए रिकमेंडेशन जारी करेगी। कमेटी में एक मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, सरकारी अफसर और एक ट्रांसजेंडर शामिल होंगे।

5.4 ट्रांसजेंडर की लिंग परिवर्तन कराने वाली सर्जरी में आने वाला खर्च भी एक अहम समस्या है। पूरे देश की बात करें तो केवल केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकार ही इस विषय पर कुछ कार्य करते हुए नजर आती है। इन राज्यों में कोई ट्रांसजेंडर अगर सर्जरी कराता है तो उसे इसके लिए वहां कि राज्य सरकार दो लाख का आर्थिक मदद करती है।

5.5 बाकी राज्यों में यह भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ट्रांसजेंडर समुदाय की माँग है कि इसका पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए और इस बात को विधेयक में शामिल की जानी चाहिए'.

5.6 नए विधेयक से जुड़ी एक दूसरी दिक्कत जुर्म होने पर सजा को लेकर है। अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रांस व्यक्ति से यौन दुष्कर्म करता है तो उसको इस जुर्म के लिए केवल दो साल की सजा का प्रावधान है जबकि अगर वही व्यक्ति किसी महिला से दुष्कर्म करता है तो इसके लिए वह सात साल तक दोषी होता है।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक-2016

चर्चा का कारण

1.1 19 दिसंबर को लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 पारित किया है इसका लक्ष्य वाणिज्यिक सरोगेसी और उससे संबंधित अनैतिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना है।

सरोगेसी क्या है?

2.1 सरोगेसी एक महिला और एक दंपति के बीच का एक एग्रीमेंट है, जो अपना खुद का बच्चा चाहता है। सामान्य शब्दों में इसका मतलब है कि बच्चे के जन्म तक महिला की 'किराए की कोख' का उपयोग।

2.2 सरोगेसी की मदद तब ली जाती है जब कोई महिला माँ बनने में असक्षम या फिर बार-बार गर्भपात हो रहा हो या बार-बार आईवीएफ तकनीक फेल हो रही है।

आवश्यकता क्यों?

3.1 भारत विभिन्न देशों की दंपतियों के लिए सरोगेसी केंद्र के तौर पर उभरा है और यहां अनैतिक गतिविधियों, सरोगेट माताओं के शोषण, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को त्यागने और मानव भ्रूणों एवं युग्मकों की खरीद-बिक्री में बिचौलिये के रैकेट से संबंधित घटनाओं की सूचनाएं प्रकाश में आई हैं।

3.2 पिछले कुछ वर्षों से भारत में चल रही वाणिज्यिक सरोगेसी की व्यापक निंदा करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है।

3.3 जिसमें वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने और नैतिक, परोपकारी सरोगेसी को अनुमति दिए जाने की जरूरतों को उजागर किया गया है।

3.4 भारत के विधि आयोग की 228वीं रिपोर्ट में भी उपयुक्त कानून बनाकर वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने और जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।

3.5 इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत को सरोगेसी टूरिज्म के लिये पसंदीदा जगह बताते हुए इस पर चिंता जताई थी।

3.6 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देते हुए मानव भ्रूण के आयात की अनुमति देने संबंधी नीति की दोबारा जाँच करने का निर्देश दिया था।

विधेयक में क्या खास है

4.1 विधेयक का उद्देश्य सरोगेसी व्यवहार एवं प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन करना, समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करना और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करना है।

4.2 विधेयक व्यापारिक सरोगेसी का निषेध करता है और निःस्वार्थ सरोगेसी की अनुमति देता है।

4.3 विधेयक के अंतर्गत सरोगेसी की अनुमति है यदि

4.3.1 ऐसे दंपत्ति के लिए हो जो कि प्रमाणिक इनफर्टिलिटी से पीड़ित हो

4.3.2 निःस्वार्थ हो

4.3.3 व्यापारिक उद्देश्य के लिए न हो और

4.3.4 जिसमें बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य प्रकारों के लिए बच्चों को जन्म न दिया जाए।

4.3.5 सरोगेट मां को इच्छुक दंपत्ति का निकट संबंधी होना चाहिए।

4.3.6 इच्छुक दंपत्ति के पास समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी 'अनिवार्यता का प्रमाण-पत्र' और 'योग्यता का प्रमाण-पत्र' होना चाहिए।

4.3.7 विधेयक के अधिनियम बनने के 90 दिनों के भीतर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा एक या एक से अधिक समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

4.3.8 यदि सरोगेसी क्लीनिक समुचित प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं है, तो वह सरोगेसी से संबंधित किसी क्रिया/प्रक्रिया का संचालन नहीं कर सकता है।

4.4 विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

4.4.1 विदित हो कि इस विधेयक में NRI दंपत्तियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

4.4.2 यह विधेयक जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होगा।

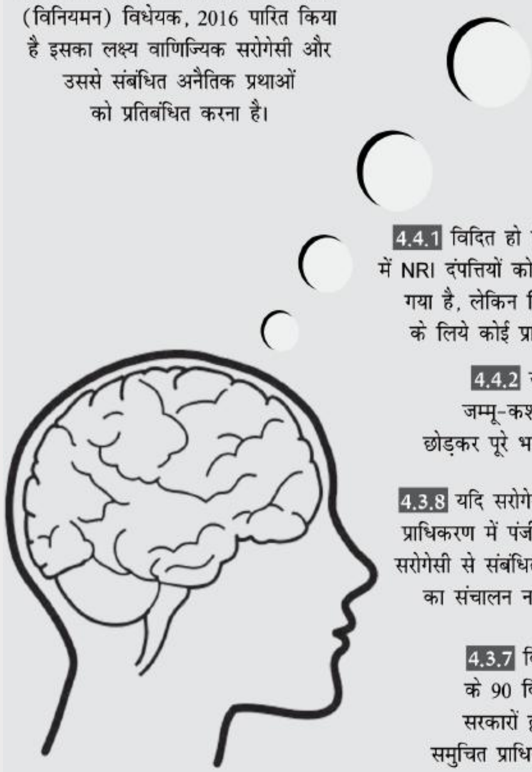

ECO निवास संहिता-2018

चर्चा का कारण

1.1 भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (Energy Conservation Building Code) ECO-2018 का अनावरण किया है।

1.2 यह अनावरण राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसम्बर 2018 के अवसर पर हुआ।

क्या है

2.1 कोड को लागू करने से रिहायशी क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिससे उनमें रहने वालों को ऊर्जा की बचत के लाभ दिए जा सकें।

2.2 इस कोड को बिल्डिंग मैटीरियल आपूर्तिकर्ताओं और डेवलपरों के वास्तुकारों और विशेषज्ञों सहित सभी साझेदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है।

2.3 कोड में सूचीबद्ध मानदंडों को जलवायु और ऊर्जा संबंधी आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अनेक मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है।

2.4 आरंभ में कोड के पहले भाग की शुरूआत ऊर्जा की बचत वाली रिहायशी इमारतें डिजाइन करने के उद्देश्य से की गई है।

2.5 व्यवसायिक इमारतों के लिए पहले से ही ईसीबीसी है और इसके संशोधित और आधुनिक संस्करण की शुरूआत जून, 2017 में की गई थी।

महत्व

3.1 उम्मीद है कि इस कोड से बड़ी संख्या में वास्तुशिल्पियों और बिल्डरों को सहायता मिलेगी जो देश के विभिन्न भागों में नए रिहायशी परिसरों के डिजाइन तैयार करने में उनके निर्माण में शामिल हैं।

3.2 इस कोड को लागू करने से 2030 तक 125 अरब यूनिट की बिजली की बचत होने की संभावना है जो करीब 100 मिलियन टन कॉर्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है।

3.3 इस तरह की पहलों का उद्देश्य ऊर्जा की न्यूनतम मांग द्वारा देश में ऊर्जा की तीव्रता को कम करना और ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करना है जो ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

3.4 ऊर्जा संरक्षण इमारत संहिता (ECBC-R) की सहायता से, आने वाले 10-15 वर्षों में इमारत निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा की मांग में आने वाली वृद्धि से निपटा जा सकेगा।

3.5 यह AC के लिए कड़े संरक्षण मानदंडों की मदद से 2030 तक 40 GW की बिजली बचत हासिल करने की उम्मीद करता है।

जरूरत क्यों

4.1 एक अनुमान के अनुसार इमारती क्षेत्र में ऊर्जा की मांग जो 2018 में 350 अरब यूनिट के आस-पास है वह वर्ष 2030 तक करीब 1000 अरब इकाई तक पहुंच जायेगी।

4.2 भारत यूएनएफसीसीसी को दिए गए दस्तावेज के हिस्से के रूप में 2030 तक जीएचजी का उत्सर्जन 33-35 प्रतिशत कम करने के लिए कृतसंकल्प है।

BEE के बारे में

5.1 भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।

5.2 बीईई विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन है जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में नीति और कार्यक्रमों को लागू करता है।

5.3 ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था (AEEE) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) दोनों ने मिलकर अगस्त 2018 में पहला राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEPI) जारी किया।

5.3.1 SEEPI ने राज्यों को चार श्रेणियों में रखा है- फ्रंट, रनर, अचीवर, कंटेस्टेंट और एस्पिरेंट

5.3.2 पांच राज्य फ्रंट रनर के राज्यों में सबसे शीर्ष श्रेणी में आए- आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान।

5.3.3 गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा को प्राप्तकर्ता राज्यों की दूसरी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

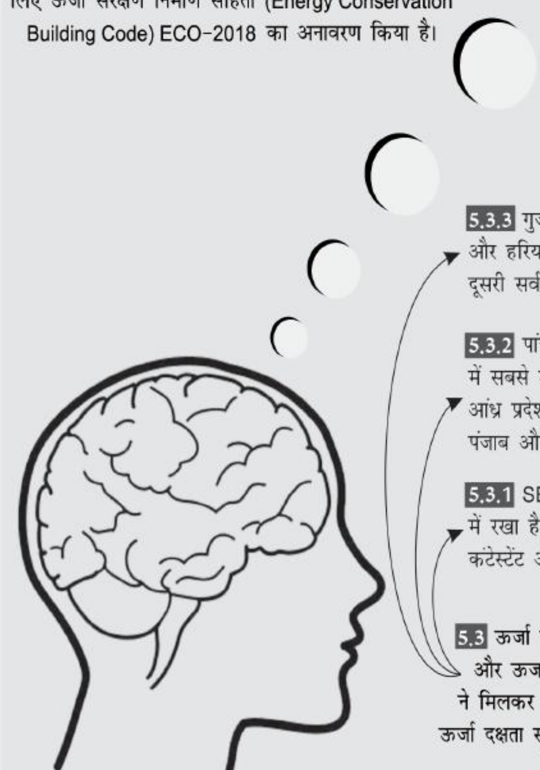

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

प्र. हाल ही में चर्चित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
2. यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1980 का स्थान लेगा।
3. नये विधेयक के अंतर्गत सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग उसके नीचे राज्य आयोग तथा निचले स्तर पर जिला आयोग होंगे।
4. विधेयक में यह प्रावधानित है कि केंद्रीय आयोग का आदेश नहीं मानने पर छह महीने तक की कैद या 20 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 3 व 4 (b) 1 व 2
(c) 3 व 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः 20 दिसंबर, 2018 को लोकसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2018 पारित किया गया। यह विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1989 (न कि 1980 का) का स्थान लेगा अतः कथन 2 गलत है। इस संदर्भ में उपर्युक्त अन्य सभी कथन सही हैं। ■

2. एंजल टैक्स

प्र. एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एंजल टैक्स का प्रावधान पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2012 के बजट में लागू किया था।
2. 'एंजल टैक्स' स्टार्ट-अप या कंपनियों में बाहरी निवेशकों द्वारा किये गए निवेश पर 30.1% टैक्स है।
3. एंजल निवेशक एक निजी व्यक्ति होता है जो प्रतिस्पर्धी बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए धन मुहैया कराता है।
4. सिंगापुर, जर्मनी और यूके भी स्टार्ट-अप तथा निवेशकों को कर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 व 3 (b) 3 व 4
(c) 2, 3 व 4 (d) 1 व 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः पिछले वर्ष से लेकर वर्तमान (2018 तक) समय तक 80 स्टार्ट-अप कंपनियों को एंजल टैक्स चुकाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत नोटिस दिया जा चुका है। इसी संदर्भ में एंजल फंडों को भी नोटिस मिले हैं जिनमें उन्हें अपनी आय का स्रोत बैंक अकाउंट और दूसरे वित्तीय आँकड़े पेश करने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में एंजल टैक्स का प्रावधान पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने नहीं बल्कि प्रणब मुखर्जी ने लागू किया था। अतः कथन 1 गलत है तथा शेष सभी कथन सही हैं।■

3. बाल संरक्षण नीति

प्र. बाल संरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित पहली नीति है।
2. इसमें बच्चों के प्रति व्यवहार की सूची भी शामिल है, जो पॉक्सो (POCSO) और जुवेनाइल जस्टिस (JJ) अधिनियमों सहित कानून द्वारा दण्डनीय है।
3. इस नीति का उद्देश्य बाल शोषण बाल उपेक्षा की रोकथाम और प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।
4. यह संस्थानों को एक स्टाफ सदस्य नामित करने पर जोर देता है जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) 1, 2, 3 व 4
(c) केवल 3 व 4 (d) केवल 2 व 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मसौदा नीति जारी की है। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में 30 से अधिक लड़कियों के यौन शोषण के आरोपों की जाँच करने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

4. ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट–2018

प्र. ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया दूसरा सबसे कम रैंकिंग वाला क्षेत्र था जहाँ लिंग समानता 65% है।

2. रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 149 देशों में 108वाँ है, जो कि पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर था।
3. वर्ष 2018 में ग्लोबल जेण्डर गैप थोड़ा कम होने के बावजूद, पुरूषों की तुलना में महिलाएं श्रम बल में या राजनीतिक जीवन में कम भाग ले रही हैं।
4. वैश्विक लैंगिक समानता वाले देशों में शीर्ष स्थान पर आइसलैण्ड है जिसने कुल लैंगिक अंतर का 85.8% से अधिक प्राप्त कर लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2, 3 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेण्डर गैप रिपोर्ट-2018 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश आइसलैण्ड है जिसके बाद नार्वे, स्वीडन और फिनलैण्ड हैं। भारत का स्थान 108वाँ है जो पिछले वर्ष के स्थान पर ही है। इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

5. ट्रांसजेण्डर विधेयक

प्र. ट्रांसजेण्डर विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ट्रांसजेण्डर विधेयक को 37 संशोधन के साथ लोकसभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 को पारित कर दिया गया।
2. भारत के संविधान में भी सभी व्यक्तियों को समता की गारंटी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः ट्रांसजेण्डर विधेयक को 27 संशोधन के साथ लोकसभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 को पारित कर दिया गया है। इस तरह कथन 1 गलत है। दूसरा कथन सत्य है, इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

6. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक-2016

प्र. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक-2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विधेयक का उद्देश्य सरोगेसी व्यवहार एवं प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन तथा समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करना, साथ ही उससे संबद्ध विषयों का विनियमन करना है।
2. विधेयक व्यापारिक सरोगेसी का निषेध करता है और निःस्वार्थ सरोगेसी की अनुमति देता है।
3. विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
4. यह विधेयक जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 1, 2 व 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः 19 दिसंबर को लोकसभा ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक-2016 पारित किया है। इसका लक्ष्य वाणिज्यिक सरोगेसी और उससे संबंधित अनैतिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करना है। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा अतः कथन 4 गलत है इस संदर्भ में शेष सभी कथन सही हैं। ■

7. ECO निवास संहिता-2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें-

(a) हाल ही में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (Energy Conservation Building Code)-2018 का अनावरण किया है।
(b) व्यावसायिक इमारतों के लिए पहले से ही ईसीबीसी (ECBC) है और इसके संशोधित तथा आधुनिक संस्करण की शुरूआत मई 2018 में की गई थी।
(c) इस संहिता को लागू करने से 2030 तक 125 अरब यूनिट की बिजली की बचत होने की संभावना है जो करीब 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है।
(d) भारत यूएनएफसीसीसी (UNFCCC) को दिए गए दस्तावेजों के हिस्से के रूप में 2030 तक GHG (Green House Gas) का उत्सर्जन 33.35% कम करने के लिए कृतसंकल्प है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा निर्माण संहिता (ECBC)-2018 का अनावरण किया है। व्यावसायिक इमारतों के लिए पहले से ही ईसीबीसी है और इसके संशोधित तथा आधुनिक संरक्षण की शुरूआत जून, 2017 में की गई थी इसलिए कथन (b) गलत है। अतः उत्तर (b) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. 91 वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म का चुनाव किया गया है?

–पीरियड एंड ऑफ ए सेंटेंस

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा राज्यों की स्टार्ट–अप रैंकिंग–2018 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में स्थान दिया गया है?

–गुजरात

3. किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के साथ बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 'शिक्षासेतु' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?

–हरियाणा

4. सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए भारत के सूचकांक में नीति आयोग द्वारा किन राज्यों को शीर्ष स्थान दिया गया है?

–हिमाचल प्रदेश और केरल

5. हाल ही में 19 दिसम्बर को किस राज्य ने अपना 57वाँ मुक्ति दिवस मनाया है?

- गोवा

6. जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है?

- सलोम जुराबिश्विली

7. हाल ही में भारत का सबसे बड़ा 'राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल' किस राज्य में खोला गया है?

–हरियाणा

विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणाम-2018

1. छत्तीसगढ़

- विधानसभा सीटों की संख्या - 90
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 46
- राज्य में विधान सभा चुनाव दिसंबर 2018 को संपन्न हुआ था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटें जीतीं और 43% वोट प्राप्त किया।
- भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें (वोटों का 33% हिस्सा) जीतीं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी ।
- बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने क्रमश: 2 और 5 सीटें जीतीं।
- गौरतलब है कि 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 49 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 39 और बीएसपी तथा निर्दलीय को एक-एक सीटें मिली थीं।
- छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही आप को 0.9%, सपा और राकांपा को 0.2%, भाकपा को 0.3% वोट मिले जबकि 2.1% वोटर्स ने नोटा बटन दबाया।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल
- मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
- राजधानी- रायपुर

2. राजस्थान

- विधानसभा सीटों की संख्या - 200
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या - 101
- राज्य में विधान सभा चुनाव दिसंबर 2018 को सम्पन्न हुआ था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2018 में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 200 में से 99 सीटें जीतीं और उसे 39.3% वोट मिले।
- भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें (वोटों का 38.8% हिस्सा) जीतीं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पर संतोष करना पड़ा।
- इस चुनाव में उपरोक्त में से कोई भी नहीं (NOTA) को 1.3% मत प्राप्त हुए।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- कल्याण सिंह
- मुख्यमंत्री- अशोक गहलोत
- उपमुख्यमंत्री- सचिन पायलट
- विपक्ष के नेता- वसुंधरा राजे (भाजपा)
- राजधानी- जयपुर

3. मध्य प्रदेश

- विधानसभा सीटों की संख्या - 230
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या - 116
- मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 28 नवंबर 2018 को सम्पन्न हुए थे।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 40.9% वोटों के साथ 114 सीटें हासिल कीं थीं।
- भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें जीतीं (वोटों का 41% हिस्सा) और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
- इस चुनाव में उपरोक्त में से कोई भी नहीं (NOTA) विकल्प 1.4% मतों का था।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- आनंदीबेन पटेल
- मुख्यमंत्री- कमलनाथ
- राजधानी- भोपाल

4. तेलंगाना

- विधानसभा सीटों की संख्या - 119
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 60
- 2014 में नया राज्य बनने के बाद तेलंगाना में यह पहला विधानसभा चुनाव था।

- तेलंगाना में मई, 2019 में विधान सभा चुनाव होना था किन्तु, राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सितंबर 2018 में विधानसभा भंग कर दी और जल्द चुनाव की घोषणा की थी।
- केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने 46.9% वोटों के साथ 88 सीटें जीतीं।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः 19 और 1 सीट जीतीं।
- अकबरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2.7% वोटों के साथ 7 सीटें जीतीं।
- इस चुनाव में उपरोक्त में से कोई भी नहीं (NOTA) विकल्प 1.1% मतों का था।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- द्विसदनीय
- राज्यपाल- ई.एस.एल. नरसिम्हन
- मुख्यमंत्री- के चंद्रशेखर राव
- राजधानी- हैदराबाद

5. कर्नाटक

- विधानसभा सीटों की संख्या - 224
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 112
- कर्नाटक विधान सभा चुनाव 12 मई 2018 को संपन्न हुआ था।
- चुनाव ने त्रिशंकु विधानसभा का नेतृत्व किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों (36.22%) के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 78 वोटों के साथ 38.04% मत जीता और दूसरा स्थान हासिल किया।
- जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) तीसरी पार्टी बनकर उभरी।
- NOTA को 0.9% प्रतिशत मत मिले
- राज्य विधानमंडल की संरचना- द्विसदनीय
- राज्यपाल- वजुभाई वाला
- मुख्यमंत्री- एच डी कुमारस्वामी
- विपक्ष के नेता- बी एस येदुरप्पा
- राजधानी- बेंगलुरु

6. उत्तर-पूर्वी राज्य-I

त्रिपुरा

- विधानसभा सीटों की संख्या - 60
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 31
- 18 फरवरी 2018 को त्रिपुरा में विधान सभा चुनाव संपन्न हुए थे।
- इस विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों (43% वोट शेयर) के साथ एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) क्रमशः 16 और 42.7% सीटों और वोटों की हिस्सेदारी के मामले में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- कप्तान सिंह सोलंकी
- मुख्यमंत्री- बिप्लब कुमार देब
- विपक्ष के नेता- माणिक सरकार, सीपीआई (एम)
- राजधानी- अगरतला

मेघालय

- विधानसभा सीटों की संख्या - 60
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 31
- 27 फरवरी 2018 को मेघालय में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे।
- चुनावों के परिणामस्वरूप किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28.5% वोटों के साथ 21 सीटें हासिल की थीं और सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी थीं।
- नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 19 सीटें, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) और भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः 6 और 3 सीटें प्राप्त कीं थीं।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- तथागत रॉय
- मुख्यमंत्री- कॉनराड संगमा
- विपक्ष के नेता- मुकुल संगमा, कांग्रेस
- राजधानी- शिलांग

7. उत्तर-पूर्वी राज्य- II

नागालैंड

- विधानसभा सीटों की संख्या - 60
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 31
- 27 फरवरी 2018 को नागालैंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे।
- नागालैंड में चार प्रमुख दल चुनाव मैदान में थे ये हैं- नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी)।
- नागालैंड पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) को 38.8% वोटों के साथ 26 सीटें मिलीं।
- राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने क्रमशः 18 और 12 सीटें हासिल कीं थीं।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- पद्मनाभ आचार्य
- मुख्यमंत्री- नेफ्यू रियो
- उपमुख्यमंत्री- यानथुंगो पैटन
- विपक्ष के नेता- टी आर जेलियांग (एनपीएफ)
- राजधानी- कोहिमा

मिजोरम

- विधानसभा सीटों की संख्या - 40
- सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या- 21
- 28 नवंबर 2018 को मिजोरम में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए।
- मिजो नेशनल फ्रंट ने चुनाव में 26.6% वोटों की हिस्सेदारी के साथ 26 सीटें जीतीं।
- भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः 5 और 1 सीट जीती।
- यह पहली बार है कि पूर्वोत्तर भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है।
- राज्य विधानमंडल की संरचना- एकसदनीय
- राज्यपाल- कुम्मनम राजशेखरन
- मुख्यमंत्री- जोरामथांगा
- विपक्ष के नेता- लालधुवामा
- राजधानी- आइजॉल

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. अभी हाल ही में पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर भारत सरकार ने पाइका विद्रोह की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, इस संदर्भ में पाइका विद्रोह तथा इसके कारणों की चर्चा करें।

2. केन्द्र सरकार जनवरी 2019 के पहले सप्ताह से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' विषय पर तीन विशेष राज्यों में क्षेत्र-स्तरीय अभियान का आयोजन करने जा रही है। इस संदर्भ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बताते हुए इसकी उपलब्धियों की समीक्षा करें।

3. नासा (NASA) द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गये मानवरहित अंतरिक्ष यान इनसाइट (Insight) से आप क्या समझते हैं? इस अंतरिक्ष यान के निर्माण में उपयोग की जाने वाली तकनीकी तथा इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें।

4. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी.रावत के अनुसार असत्य समाचार (Fake News) मतदान को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में असत्य समाचार का उल्लेख करते हुए इससे उत्पन्न समस्यायें तथा इसे रोकने के उपायों की चर्चा करें।

5. सामाजिक सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करें।

6. आज भारत विश्व के देशों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है, इस संदर्भ में भारत के पड़ोसी देशों के साथ नदी जल संबंध की चर्चा कीजिए।

7. 'एथिक्स ऑफ केयर' से आप क्या समझते है साथ ही यह पश्चिमी नैतिक सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा करें

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

Date	Test	Subjects
02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)	Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)	Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)	World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)	Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh
13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)	Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-I) Full Test
	Test-11 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-II) Full Test
	Test-13 - (3:30pm-6:30pm)	Essay
17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-III) Full Test
	Test-15 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-IV) Full Test
	Test-17 - (3:30pm-6:30pm)	Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400